लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On 15-2-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 22, बुधवार, 12 अप्रैल, 1972/23 चैत्र, 1894 (शक)

No. 22, Wednesday, April 12, 1972/Chaitra 23, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
361. गोआ और काश्मीर के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने जीवन का बलिदान देने वाले तथा जेल गए व्यक्तियों को पेंशन	Pension to Persons who Laid Down their Lives or were sent to Jails during the Liberation Struggles of Goa and Kashmir ...	1
362. नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सरकारी कर्मचारियों की बैठने की अनुमति	Permission to Government Employees to appear in the Regular IAS Examination ...	3
363. जगदलपुर, मध्य प्रदेश में कागज का कारखाना स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करना	Issue of Letter of Intent for setting up Paper Mill in Jagdalpur (M. P.) ...	5
366. दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता के टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता	Capacity of Telephone Exchange of Delhi, Bombay and Calcutta ...	6
367. सरकारी कार्यालयों तथा स्वात्तशासी निकायों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Government Offices and Autonomous Bodies ...	8
368. आकाशवाणी के कृषि तथा गृह विज्ञान प्रसारणों का प्रभाव	Impact of Farm and Home Cells Broadcasts over AIR ...	10
369. उपग्रह छोड़ने की क्षमता का देश में ही विकास	Development of Indigenous Satellite Launch Capability ...	11
370. पिछड़े राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग न किया जाना	Non Utilization of Funds by Backward States ...	13
371. भारतीय स्वाधीनता के इतिहास संबंधी ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम	Sound and Light Programme on History of Indian Independence ...	16
372. दिल्ली नागरिक परिषद्	Delhi Citizens Council ...	17

*किसी नाम पेर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

364. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 1972-73 की योजनाएं	Plans for Union Territories for 1972-73	...	18
365. केरल में सूक्ष्म यंत्र निर्माण कारखाने की स्थापना	Precision Instruments Factory in Kerala	...	19
373. आकाशवाणी कटक का विस्तार	Expansion of AIR Cuttack	...	19
374. हंगरी के सहयोग से संयुक्त उपक्रमों की स्थापना	Setting up of Joint Ventures with Hungarian Collaboration	...	20
375. केरल में कृत्यशील औद्योगिक बस्तियाँ बनाने के लिए अनुदान	Grant for starting Functional Industrial Estates in Kerala	...	20
376. हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध में मारे गए सैनिकों की स्मृति में डाक टिकट	Commenorative Stamp for Army Men killed in Recent Indo-Pak. War	...	21
377. पश्चिम जर्मनी द्वारा भारत में पूंजी का निवेश	Capital Investment by West Germany in India	...	21
378. हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप	Charges Against Chief Minister of Haryana	...	21
379. नीम का थाना/कोटपुतली (राजस्थान) में सीमेंट कारखाना स्थापित करना	Setting up of Cement Industry at Neem–Ka–Thana/ Kotputli (Rajasthan)	...	22
380. कागज की मिलों का विस्तार	Expansion of Paper Mills	...	22

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2547. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की भर्ती	Recruitment of Engineers in C. P. W. D.	...	24
2548. इंजीनियरों के लिए पदोन्नति के अवसरों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Administrative Reforms Commissions Recommendations on Avenues of Promotion for Engineers	...	24
2549. 1970 में बिहार में मनीआर्डरों/तार मनीआर्डरों को गलत व्यक्तियों को दिया जाना	Wrong Delivery of Money Orders in Bihar in 1970	...	25
2550. बड़े व्यापार गृहों द्वारा छोटा नागपुर और पालामऊ के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in backward areas of Chotanagpur and Palamau by Big Business Houses	...	25
2551. सरकार द्वारा आयोगों की स्थापना	Appointment of Commissions by Government	...	26

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2552.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली को हुई हानि	Loss incurred by Central Government Employees' Consumer Cooperative Society Ltd., New Delhi ...	26
2553.	बिहार में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का विकास	Development of Industrially backward Districts in Bihar ...	27
2554.	1971-72 में केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र	Pending Applications for Telephone connections in Kerala in 1971-72	27
2555.	केरल के तटीय क्षेत्र के खनिज भण्डारों का उपयोग किया जाना	Utilisation of Mineral Deposits in Coastal area of Kerala ...	28
2556.	समाचार-पत्रों की आय में वृद्धि	Increase in Revenue of Newspapers	29
2557.	यूरेनियम का आयात	Import of Uranium	29
2558.	कार निर्माण उद्योग में क्षमता का उपयोग	Utilisation of Capacity in Car Manufacturing Industry ...	30
2559.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में अधीक्षकों की वरीयता सूची को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Seniority List of Superintendents in the Directorate of National Sample Survey ...	31
2560.	भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड 4 में तदर्थ आधार पर पदोन्नत हुए कर्मचारियों की कालावधि का बढ़ाया जाना	Extension to Ad hoc Promotees to Grade IV of Indian Statistical Service ...	31
2562.	टेलीविजन बूस्टर	T. V. Booster ...	32
2563.	संचार मंत्रालय के अधीन अनुसंधान तथा विकास संगठनों संबंधी समिति	Committee on Research and Development Organisations under Communications	32
2564.	टेलीफोन ब्रांचों में इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के पदों के लिए इंजीनियरिंग के डिप्लोमा धारियों की अपेक्षा विज्ञान स्नातकों को प्राथमिकता देना	Preference of B. Sc. s to Diploma holders in Engineering for Posts of Engineering Supervisores in Telephone Branches	33
2565.	स्क्रैप से सीसा निकालना	Recovery of Lead from Scrap ...	33
2566.	थाईलैण्ड के सहयोग से संयुक्त उपक्रमों की स्थापना	Setting up of Joint Ventures in Collaboration with Thailand	34

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2567.	इंस्टीट्यूट आफ पेपर टैक्नालोजी, सहारनपुर में आपरेटर पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण	Tranining in Operators' Course in Institute of Paper Technology, Sahranpur ...	34
2568.	केन्द्र राज्य संबंधों की जाँच करने के लिए आयोग	Commission to look into Centre State Relations ...	35
2569.	भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गये नागरिक	Citizens killed in Indo-Pak War ...	35
2570.	क्रासबार एक्सचेंज का ठीक प्रकार से न चलना	Malfunctioning of Cross Bar Exchanges ...	36
2571.	दिल्ली में बिजली, पानी तथा मल निकास संबंधी कार्यों के लिए स्वायशासी बोर्डों की स्थापना करना	Autonomous Boards for Electricity, Water Supply and Sweage Disposal in Delhi ...	36
2572.	परियोजना के इंजीनियरिंग और प्रबंध के बारे में विचारगोष्ठी	Symposium on Engineering and Management of Projects	36
2573.	एस० एस० भटनागर पुरस्कार	S. S. Bhatnagar Awards	37
2574.	पर्यावरण आयोजना और समन्वय संबंधी राष्ट्रीय समिति	National Committee on Environmental Planning and Coordination ...	37
2575.	चुनावों के समय प्रधान मंत्री का दौरा	Tours of Prime Minister during Elections ...	38
2576.	दिल्ली प्रशासन द्वारा विज्ञापन पट्ट लगाना	Hoardings put up by Delhi Administration	39
2577.	आकाशवाणी दिल्ली पर संसद सदस्यों, पत्रकारों और शिक्षाविदों द्वारा वार्ता	Talks by M. Ps., Journalists and Educationists over AIR Delhi ...	39
2578.	पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए कार्यकारी दलों की स्थापना	Setting up of Working Groups to formulate proposals for Fifth Five Year Plan ...	40
2579.	काश्मीर के विलय और स्वायत्ता के सम्बन्ध में शेख अब्दुल्ला का कथित वक्तव्य	Sheikh Abdullah's reported Statement about Accession and Autonomy of Kashmir ...	40
2580.	राज्य सरकार भवन के अधिकारियों के विरुद्ध जाँच	Enquiry against State Government Bhavan Officials ...	41
2581.	केरल के लिये चौथी योजना में निर्धारित किया गया धन	Amount Enarmarked for Kerala during Fourth Plan ...	41
2582.	राष्ट्रीय रोजगार योजना	National Employment Scheme ...	42

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2583.	शेख अब्दुल्ला द्वारा प्रधान मंत्री पर काश्मीर और बंगला देश के मामलों में दोहरी नीति अपनाने का आरोप	Accusation made by Sheikh Abdullah for adopting Double Standards by Prime Minister in Kashmir and Bangla Desh ...	43
2584.	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के हैडक्वार्टर्स	CRP Headquarters in Madhya Pradesh ...	43
2585.	भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बन्दी बनाया जाना	BSF Men taken prisoners during the Iado-Pak War ...	44
2586.	भूतपूर्व शासकों को उपहार के रूप में धन दिया जाना	Gift Money to Former Rulers ...	44
2587	हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल द्वारा परिशोधकों की सप्लाई	Supply of Rectifiers by Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal ...	44
2588.	विधान सभाओं के हाल ही के चुनावों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दौरों पर किये गये खर्च	Expenditure incurred on Tours performed by Ministers during recent Election to State Assemblies ...	45
2589.	प्रधान मंत्री के निवास स्थान से स्थानीय काल और ट्रंक काल	Local and Trunk Calls from P. M's Residence ...	45
2590.	इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड उद्योग मंडल (केरल) के मैनेजर के विरुद्ध शिकायत	Complaint against the Manager, Indian Rare Earths Limited, Udyogamandal (Kerala) ...	46
2591.	भारत पाकिस्तान युद्ध में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, नीमच के जवानों का हताहत होना	Casualties amongst Jawans of C. R. P. Neemuch, during Indo-Pak War ...	46
2592.	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा दिल्ली प्रशासन को उपहार के रूप में दिये गये टेलीविजन सैट	T. V. Sets gifted to Delhi Administration by UNICEF ...	47
2593.	शिक्षित बेरोजगारों के लिये योजना	Schemes for Educated Unemployed ...	47
2594.	मध्य प्रदेश के विकास के लिये दिये गये धन का उपयोग	Utilisation of Amount Allocated to Madhya Pradesh for Development purposes ...	48
2595.	भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व	Adequate Representation of People from Northern India in IAS ...	48
2596.	हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल में नौकरी देना	Employment in Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal ...	49

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2597.	दिल्ली में बन्दी बनाये गये नक्सलवादी	Naxalities arrested in Delhi ...	49
2598.	पाँचवी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी का दूर किया जाना	Removal of unemployment during Fifth Five Year Plan ...	50
2599.	टेलीविजन पर व्यापारिक विज्ञापन	Commercial Broadcasting over T. V. ...	50
2600.	सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना	Encouraging use of Hindi in Government Offices ...	50
2601.	सरकारी फार्म/लैटर हैड को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छापना	Printing of Government Forms/Letter Heads in both Hindi and English ...	51
2602.	लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पहाड़ी जिलों में लघु उद्योग स्थापित किया जाना	Setting up of Small Scale Industries in Hill areas by Small Scale Industries Development Organisation ...	51
2603.	लघु उद्योग स्थापित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों को भेजे गये तकनीकी विशेषज्ञों का प्रतिवेतन	Report of Technical Experts sent to hill areas for setting up Small Scale Industries ...	52
2604.	प्रेस सूचना ब्यूरों में अप्रयुक्त अनुदान	Unutilised grants of Press Information Bureau ...	52
2605.	केन्डु किस्म का रिएक्टर	CANDU type Reactor ...	53
2606.	भाभा आणुविक अनुसंधान केन्द्र की किरणीयन सुविधाओं संबंधी रिपोर्ट	Report of the Bhabha Atomic Research Centre on Irradiation facilities ...	54
2607.	भाभा आणुविक अनुसंधान केन्द्र द्वारा धन का उपयोग न करना	Non utilisation of funds by Bhabha Atomic Research Centre ...	54
2608.	1974 में रोहिणी वैज्ञानिक उपग्रह का छोड़ा जाना	Launching of Rohini Scientific Satellite in 1974 ...	55
2609.	टेलीविजन, संगीत और नाटक विभाग तथा आकाशवाणी के अधिकारियों की सेवा अवधि में वृद्धि	Extension of service to officers of T. V. Song and Drama Division and AIR ...	55
2610.	साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने संबंधी निर्णय	Decision on Banning Communal Organisations	56
2611.	चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की सहायता के लिए पी० एल०-480 कोष का उपयोग	Utilisation of PL-480 funds for helping Political Parties during Elections	57
2612.	पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार	Educated Unemployed in West Bengal ...	57
2613.	राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय	National income and per capita income ...	58

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2614.	थुम्बा भूमध्यवर्ती राकेट लांचिंग केन्द्र से राकेटों को छोड़ने में विलम्ब	Delay in Launching Rockets from the Thumba Equatorial Rocket Launching Station ...	59
2615.	दक्षिण दिल्ली में चोरी आदि के मामले	Cases of Burglary and theft in South Delhi ...	59
2616.	सरकारी क्षेत्र में छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car in Public Sector ...	60
2617.	ग्रेड दो स्टेनोग्राफर परीक्षा	Grade II Stenographers Examination ...	60
2618.	अशोक पेपर मिल्ज लिमिटेड, दरभंगा (बिहार)	Ashok Paper Mills, Ltd., Darbhanga (Bihar) ...	61
2619.	केरल में तकनीशियनों की सहकारी समितियों को अनुदान	Grant for Technicians Co-operatives in Kerala ...	62
2620.	केरल राज्य लघु उद्योग निगम को ऋण देना	Loan to Kerala State Small Industries Corporation ...	62
2621.	औद्योगिक लाइसेंसों के लिए उड़ीसा से प्राप्त प्रार्थना-पत्र	Applications from Orissa for Licences ...	63
2622.	आकाशवाणी के लिए शक्तिशाली ट्रांसमीटर	Powerful Transmitters for AIR ...	63
2623.	वर्ष 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केरल के अस्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन न देना	Non Payment of Wages to Temporary Central Government Employees who participated in 1968 strike ...	64
2624.	भारतीय जन प्रचार संस्था की परियोजनाएँ	Projects of Indian Institute of Mass Communication ...	64
2625.	इटली से स्कूटर कारखाने का खरीदा जाना	Purchase of Scooter Plant from Italy ...	65
2626.	अखिल भारतीय साम्प्रदायिकता विरोधी समिति के तत्वाधान में मनाया गया माँग सप्ताह	Demand Week observed Under the Auspices of Akhil Bhartiya Sampradayikta Virodhi Samiti ...	66
2627.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिहार का पिछड़ापन	Backwardness in Bihar in the Field of Science and Technology ...	66
2628.	पाँचवी योजना पर विचार विमर्श के लिए मुख्य मंत्रियों की बैठक	Meeting with Chief Ministers to Discuss Fifth Plan ...	67
2629.	खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित नई मशीनों पर गोष्ठी	Seminar on New Machines Devised by Khadi and Village Industries ...	67
2630.	गुजरात के गाँवों में टेलीफोन	Telephone in Gujarat Villages ...	68

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2632.	नेपाल में टेलीफोन केन्द्रों के निर्माण पर भारत नेपाल समझौता	Indo Nepal Agreement on Construction of Telephone Exchanges in Nepal ...	68
2633.	एस्कालेटरों, ट्रेवलेटरों, टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों और मैग्नेटिक टेपों के निर्माण के लिए आशय-पत्र जारी करना	Issue of Letters of Intent for Manufacture of Escalators, Travelators, Television Picture Tubes and Magnetic Taps ...	69
2634.	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए छूट प्राप्त पद	Posts exempted by UPSC for direct recruitment	70
2635.	संघ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति के सदस्य	Scheduled Caste Members in the UPSC ...	71
2636.	मध्य प्रदेश में टेली कम्युनिकेशन स्विचिंग इक्युप्मेंट फैक्ट्री	Telecommunication Switching Equipment Factory in Madhya Pradesh ...	71
2637.	होशंगाबाद में सीमेंट के कारखाने की स्थापना	Setting up of Cement Factory at Hoshangabad ...	72
2638.	मैहर (मध्य प्रदेश) में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस का जारी करना	Issue of Licence for setting up of Cement Plant at Maihar (M. P.) ...	72
2639.	सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा दल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को अतिरिक्त अधिकार	Additional Powers to BSF and CRP deployed on Borders ...	72
2640.	बड़े उद्योग गृहों से मशीनरी के पूरे उपयोग के बारे में प्राप्त प्रार्थना-पत्र	Applications from Larger Industrial Houses for Fuller Utilisation of the Plant ...	72
2641.	भारती मानक संस्था के चिह्न का प्रयोग करने वाले लाइसेंसों की जाँच के लिए गाजियाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना	Central Laboratory at Ghaziabad for checking Licences using ISI marks ...	73
2642	पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries in Backward Areas ...	74
2643.	पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग	Industries in Backward Areas of Eastern U. P. ...	75
2644.	लघु उद्योगों में उत्पादन	Output in Small Scale Industries ...	76
2646.	चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा विमानों, हेलीकॉप्टरों और मोटर गाड़ियों का उपयोग	Use by P. M. of Planes, Helicopters and other Vehicles during Elections ...	76

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2647.	कागज की कमी और अधिक मूल्य	Shortage and High Price of Paper ...	76
2648.	स्वयं को राजधानी के एक अंग्रेजी दैनिक का संवाददाता बताने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी	Arrest of a Man posing as Reporter of an English Daily in the Capital ...	77
2649.	गैर सरकारी क्षेत्र में कार के निर्माण के लिए आशय-पत्र जारी करना	Issue of Letter of Intent for Manufacture of Passenger Car in Private Sector ...	77
2651.	ट्रैक्टरों के अधिक मूल्य तथा उनकी कमी	Shortage and High Prices of Tractors ...	78
2652.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी में व्यापक आयोजना	Comprehensive Planning in Science and Technology ...	78
2654.	आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र पर दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए निर्धारित समय	Allotment of time for South Indian Languages over AIR Madras ...	79
2655.	भारत हैवी इलक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में नियुक्तियाँ	Appointment in Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar ...	79
2656.	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में नियुक्तियों और पदोन्नतियां में अनियमितताओं की शिकायतें	Complaints of Irregularities in Appointments and Promotions in Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar ...	80
2658.	पूना फिल्म इस्टीट्यूट के सफल छात्रों को सहायता प्रदान करने के बारे में फिल्म वित्त निगम की नीति	Policy of Film Finance Corporation re. help to Successful Students of Poona Film Institute ...	80
2659.	बड़ौदा अनुसंधान केन्द्र चालू करने में विलम्ब	Delay in Commissioning of Baroda Research Centre ...	81
2660.	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए रियायतें	Concessions for setting up of Industries in Backward Areas ...	81
2661.	आन्ध्र प्रदेश में आई० टी० आई० बंगलौर का अतिरिक्त एकक स्थापित करना	Additional Unit of ITI Bangalore Andhra Pradesh ...	81
2662.	उच्च न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in High Courts ...	82
2663.	मध्य प्रदेश के रतलाम और मंदसौर जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन और टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए माँग	Demand for PCOs and Telephone Exchanges in Ratlam and Mandsaur Districts of Madhya Pradesh ...	82
2664.	मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले	Industrially Backward Districts in M.P. ...	83

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2665. छात्रों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रति रुचि का अभाव	Lack of Interest among Students in IAS	84
2666. बूंदी, राजस्थान में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Bundi (Rajasthan) ...	84
2667. पत्रकारों संबंधी दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Second Wage Board Recommendations on Journalistes ...	84
2668. औद्योगिक लाइसेंसों के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त आवेदन पत्र	Applications from U. P. for Industrial Licences	85
2669. उत्तर प्रदेश में बाढ़ों संबंधी समाचार चित्र	News-Reel on floods in Uttar Pradesh ...	85
2670. टेलीफोन की कालों के अधिक राशि के बिल बनाना	Overbilling in Telephone Calls ...	85
2671. टेलीफोन के मीटर लगाना	Installation of Telephone Meters ...	86
2672. कलामस्सेरी स्थित एच० एम० टी० यूनिट में हड़ताल	Strike in H. M. T. Unit at Kalamassery ...	86
2673. स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट्स स्टेनोग्राफर	Stengoraphers in Small Industries Service Institutes ...	87
2674. लघु उद्योग विकास संगठन में कर्मचारी	Staff in Small Scale Industries Development Organisation ...	87
2675. विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में अब तक हुई प्रति का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग का मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध	Planning Commission's Request to Government of Madhya Pradesh to Review the Progress made in Implementation of various Programmes ...	87
2676. आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर में अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जाना	High Power Transmitter at AIR Indore ...	89
2677. पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्र का समेकित विकास	Integrated Development of North Eastern Council Area ...	89
2678. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा तकनीकी परामर्श सेवा	Technical Consultancy Service by National Industrial Development Corporation Ltd., New Delhi ...	89
2680. केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयक	Bills sent by Kerala Government for approved of Central Govenment ...	91
2681. कैलोंग को हेलीकोप्टर द्वारा डाक सेवा	Helicopter Mail Service to Keylong ...	91

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2682. सांख्यिकीय विभाग, नई दिल्ली में दैनिक मजूरी पर मेहतरों की नियुक्ति	Appointment of Sweepers on Daily Wages in the Department of Statistics, New Delhi ...	91
2683. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए 4 सूत्री योजना को क्रियान्वित करना	Implementation of 4-Point Plan to Improve the working of Class I Scheduled Caste and Scheduled Tribe Officers ...	92
2684. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विदेशों में भेजे गये अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के अधिकारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Officers Deputed abroad by CSIR Etc. for Training Programmes ...	93
2685. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसूचित जाति के सीनियर इन्वेस्टीगेटरों को स्थाई बनाना	Confirmation of Scheduled Caste Senior Investigators of Central Statistical Organisation ...	93
2686. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में अनुसूचित जाति के सीनियर इन्वेस्टीगेटरों की नियुक्ति	Appointment of Scheduled Caste Senior Investigators in the Central Statistical Organisation ...	95
2688. विजयवाड़ा मद्रास ट्रंक टेलीफोन सेवा	Vijayawada - Madras Trunk Telephone Service ...	95
2689. फिल्मों का सेंसर कार्य राज्य सरकारों को सौंपने के बारे में तमिलनाडु सरकार का अनुरोध	Tamil Nadu request for entrusting Censorship of Films to States ...	96
2690. सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को आई० ए० एस० परीक्षाओं में बैठने की अनुमति	Permission to Released Emergency Commissioned Officers to appear in IAS Examinations ...	96
2691. भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग ढाँचे का पुर्नविलोकन	Review of Cadre Structure of Indian Statistical Service ...	97
2692. श्री नागरवाला के विरुद्ध बैंक डकैती का आपराधिक मामला	Criminal Case of Bank Robbery against Shri Nagarwala ...	98
2693. राज्यों में राज्यपालों के सरकारी निवासों से संलग्न अतिरिक्त भूमि का निपटारा	Disposal of Excess Land attached to Government Houses in States where Governors reside ...	99
अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
गेहूँ की वसूली—कीमत घटायी जाने और उसके परिणामस्वरूप किसानों में व्याप्त रोष का समाचार	Reported reduction in procurement Price of wheat and consequent resentment among Peasants ...	99
श्री कमल मिश्र मधुकर	Shri K. M. Madhuker	
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	
सभा-पटल पर गये पत्र	Papers Laid on the Table	103
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	105
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee ...	105
34 वां और 35 वां प्रतिवेदन	Thirty fourth and Thirty-fifth Report ...	105
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on Absence of Members from Sittings of the House ...	105
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report ...	105
समितियों के लिए निर्वाचन	Election to Committees	105
(एक) प्राक्कलन समिति	Estimates Committee ...	105
(दो) लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee ...	106
(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Public Undertakings Committee ...	107
उड़ीसा में भुखमरी से हुई मृत्यु के बारे में	Re. Starvation Death in Orissa ...	109
अनुदानों की माँगें, 1972-73	Demands for Grants, 1972-73 ...	108—109
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग	Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture ...	109
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri-Jagdish Bhattacharya ...	109
श्री सुधाकर पांडे	Shri Sudhakar Pandey ...	111
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan ...	112
श्री पी० एंथनी रेड्डी	Shri P. Antony Reddi ...	114
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R. P. Ulaganambi ...	125
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra ...	128
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa ...	129
श्री गंगाचरण दीक्षित	Shri G. C. Dixit ...	131
श्री भालजीभाई परमार	Shri Bhaljibhai Parmar ...	131
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar ...	132
श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri ...	133
श्री राजा राम शास्त्री	Shri Raja Ram Shastri ...	134
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait...	135
श्री के० प्रधानी	Shri K. Pradhani ...	136

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री अनंत प्रसाद धूसिया	Shri Anant Prasad Dhusia ...	137
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon ...	138
श्री एम० एम० जोज़फ	Shri M. M. Joseph ...	139
श्री धर्मराव अफजलपुरकर	Shri Dharamrao Afzalpurkar...	140
श्री अरविन्द नेताम्	Shri Arvind Netam ...	141
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ...	142
श्री पन्नालाल बारूपाल	Shri Panna Lal Barupal ...	142

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 12 अप्रैल, 1972/23 चैत्र, 1894 (शक)
Wednesday, April 12, 1972/Chaitra 23, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Pension to Persons who laid down their Lives or were sent to Jails during the Liberation Struggles of Goa and Kashmir

*361. **Shri R. R. Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether Government propose to give the same facilities or pension to the families of those, who laid down their lives or were sent to Jails during the liberation struggles of Goa and Kashmir, as are given in respect of the freedom fighters, who took part in the freedom struggle prior to 1947 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : The scheme formulated by Government of India, which will commence from 15th August, 1972, is for those freedom fighters who suffered in securing the freedom of the country from foreign rule. The freedom struggle in Kashmir till 15 August, 1947, is covered by the scheme. The scheme will also cover those who took part in the freedom struggle in Goa till the time of its liberation from Portuguese rule.

Shri R. R. Sharma : Will the hon. Minister state the number of persons who were killed, and also of those who suffered imprisonment in Goa Liberation Struggle ?

Mr. Speaker : How does it arise of it ? Your question is about the payment or non-payment of pension ?

Shri R. R. Sharma : Then I ask another question. What facilities and how much

pension are being given by the Government for those who were killed and to those who were jailed in connection with this liberation struggle ?

Shri K. C. Pant : Ordinarily such facilities are given by the concerned State Governments whose responsibility it is. Some facilities are given by the Centre also and these relate firstly to those who remained in Jails in Andaman and Nicobar islands, and secondly, to those who were deported and confined to Jails abroad, say for example, the freedom fighters of Goa; and thirdly, the Home Ministry, under discretionary grants provides aid to the freedom fighters.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या मैं जम्मू और कश्मीर राज्य के उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जान सकता हूँ जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा सुविधायें दी गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नाम नहीं। माननीय सदस्य यह पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें कोई सुविधायें अथवा पेन्शन दी गई है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मैं जानना चाहता हूँ कि कितने व्यक्तियों को ये सुविधायें दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे ढंग से वही बात पूछ रहे हैं। यह प्रश्न उन लोगों के परिवारों को पेन्शन देने से संबंधित है जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अपना जीवन न्यौछावर किया। वह उनकी संख्या के बारे में पूछ रहे हैं····

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ व्यक्तियों को केन्द्र की ओर से सुविधायें दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जम्मू व कश्मीर के किसी स्वतंत्रता सेनानी को भी केन्द्र द्वारा कोई सुविधा दी गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैंने स्पष्ट किया कुछ स्वतंत्रता सेनानी अनुदान के लिये आवेदन करते हैं और केन्द्र सरकार स्वाविवेक निधि में से अनुदान देती है। मुझे इस समय तो याद नहीं कि उनमें से कोई जम्मू व कश्मीर से भी था या नहीं। वर्ष 1971-72 में कुल 582 व्यक्तियों को इस अनुदान में से विभिन्न एवार्ड दिए गए।

Shri M. C. Daga : Do the Government intend to give it a statutory shape or propose to bring forward some legislation in respect of the facilities and pension which the Government propose to give to the freedom fighters or are giving to them ?

Shri K. C. Pant : This House has already discussed this issue....

Shri Atal Bihari Vajpayee : But proper reply was not given at that time.

Shri K. C. Pant : This issue was raised at that time also when a discussion was held on Shri Shibban Lal Saxena's Bill. At that time also I had suggested that it would lose its flexibility in case a Bill was passed to this effect and that not passing a Bill would be better since after such an enactment, the matter would be subjected to audit. It will involve several things and the hon. Member can discuss them separately, if they so desire. But at present, there is no idea of having a legislation in this regard, but to implement the scheme

as it is. In case there any difficulty arises and we need a legislation, we will discuss it but it is better if this matter remains flexible.

Shri S. M. Banerjee : Please don't have an Act, otherwise the Supreme Court would held that null and void, because they are not freedom fighters in fact.

Shri Atal Bihari Vajpayee : We donot insist that there should be an Act, for it, but is it not a fact that the facilities given to the freedom fighters vary very much and in some cases they are quite inadequate ? Are they going to have some central policy in this connection, and would the hon. Minister take the Members of this house into confidence ?

Shri K. C. Pant : Certainly. We have had enough discussion here in regard to the Central policy, and thereafter, a central scheme has been prepared under which a pension of at least Rs. 200 would be given, in case the states were giving pension separately. Even if the States give pension separately, the centre will give lump-sum pension and this will remove the disparity.

नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सरकारी कर्मचारियों को बैठने की अनुमति

+
***362. श्री डी० एन० सिंह :**
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा (वर्ग 1 की केन्द्रीय सेवाओं सहित) की परीक्षाओं में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को, जो 35 वर्ष से कम आयु का है, अवसर प्रदान करने और उक्त परीक्षा में सामान्य अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें 18 अप्रैल, 1969 से सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जिसने 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तथा 35 वर्ष से कम आयु का है और जो शैक्षणिक योग्यता संबंधी सभी शर्तें पूरी करता है, उसे नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि की परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसर प्रदान करने के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि की परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 24 से 26 वर्ष तक की वृद्धि करने का निर्णय किया है।

Shri Shankar Dayal Singh : Has he received any suggestions either from the State Government or the Gazetted Officers Unions in this connection ?

श्री राम निवास मिर्धा : प्रशासनीय सुधार आयोग की इस विशिष्ट सिफारिश के बारे में हमें अनेक सेवा-संगठनों तथा विशेष रूप से राज्य सिविल सेवा संगठनों तथा कुछ राज्य सरकारों से भी अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं । अन्तिम निर्णय होते समय उन पर विचार किया जायेगा ।

Shri Shankar Dayal Singh : From which date are they going to implement the recommendations, made by the A. R. C. ? Are they considering the issue of giving three chances to the candidates instead of two ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The A. R. C. has made no recommendation regarding three chances instead of two. But the Government have received a number of suggestions in this regard atthough none is being considered at present.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा ?

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि डिप्टी कलैक्टर समय-समय पर भारत सरकार से अनुरोध करते रहे हैं, और यदि हो, तो · · · ·

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहाँ कैसे संगत है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : यह संगत है क्योंकि यह प्रश्न उन सरकारी कर्मचारियों को भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के बारे में है और इसका जिक्र प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों में है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या डिप्टी कलैक्टर भारतीय प्रशासन सेवा पदों के लिए अपने कोटे के आरक्षण को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर देने का समय-समय पर अनुरोध करते रहे हैं । क्या उस संबंध में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को एक अवसर देना · · · ·

श्री एस० एम० बनर्जी : वे सरकारी कर्मचारी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न संगत नहीं है । परन्तु इसमें अन्तर भी बहुत ही थोड़ा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह प्रश्न संगत है, श्रीमन् ।

Shri Ram Niwas Mirdha : There is some other recommendation of the A. R. C. regarding what the hon. Member has indicated but that is not connected with this.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उन्होंने अंग्रेजी में प्रश्न किया और उसका उत्तर हिन्दी में है ।

Shri Ram Niwas Mirdha : But the A. R. C. has indeed recommended that the percentage of the State Civil Service personnel be increased from 25 to 40 per cent. This recommendation is under consideration.

Shri Bhagwat Jha Azad : Although that is not the recommendation of the commission,

yet is it not a fact that in the opinion of a Member of the A. R. C. the rule promulgated by the Government after 1962 has not paid any dividends. Have they thought over that ? If so, what is their reaction thereto ?

Shri Ram Niwas Mirdha : One of the objective of enhancing the age limit from 24 to 26 years is that those who pass University examinations late, they sometimes do not get more than one chance of appearing in this examination, and therefore enhancing it up to 26 years would give these candidates at least two chances. As regards giving three chances instead of two, several hon. Members have written to me. And while reiterating this stand, I would say that we would consider it.

जगदलपुर, मध्य प्रदेश, में कागज का कारखाना स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करना

*363. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जगदलपुर, मध्य प्रदेश में कागज का कारखाना स्थापित करने के लिए एक उद्योगपति को आशय-पत्र जारी किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कितनी लागत आयेगी और इसमें कितने लोगों को रोज़गार मिलने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रण बहादुर सिंह : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान कारखानों ने इस संबंध में अपनी समता बढ़ाने की अनुमति माँगी है ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : जी हाँ, उन्होंने अनुमति मांगी है।

श्री रण बहादुर सिंह : ये अनुमति मांगने वाले कारखाने इस प्रकार विस्तार करने से कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को रोज़गार दे सकेंगे ?

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : मध्य प्रदेश में इसके इस समय निम्नलिखित कारखाने हैं : (1) मैसर्ज़ आलोक पेपर इन्डस्ट्रीज़, (1) स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लिमिटेड, (3) मन्दीदीप पेपर मिल्ज प्राईवेट लिमिटेड, और (4) ओरियेन्ट पेपर मिल्ज़ लिमिटेड। इनमें से अधिकांश ने द्रुत कार्यक्रम के अधीन विस्तार की अनुमति मांगी है और इस बारे में विचार किया जा रहा है। जगदलपुर के बंगूर ब्रादर्स ने आशय-पत्र के लिए आवेदन किया है और इस बारे में विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आश्चर्य है कि जब उन्होंने "नहीं, प्रश्न नहीं उठता है" उत्तर दिया है तो भी प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्योंकि मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के कागज़ के कारखाने कच्चे

माल की अत्यन्त कमी अनुभव कर रहे हैं, तो क्या वह पश्चिम बंगाल में ऐसे कारखाने स्थापित करने पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आप जगदलपुर को छोड़ पश्चिम बंगाल के बारे में प्रश्न क्यों पूछने लगे ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह विस्तार के बारे में विचार कर रहे हैं । अतः वह इस बारे में भी सोच सकते हैं । उन कारखानों को कच्चे माल की कमी के कारण बड़ी कठिनाई हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । यह संगत नहीं है ।

श्री राम सहाय पांडेय : आशय-पत्र जारी करने से पूर्व किन मानदंडों पर विचार किया जाता है ? इसमें मुख्य बातें क्या हैं ? क्या इसमें कच्चे माल, स्थान तथा रोज़गार आदि संबंधी बातों पर विचार होता है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने स्वयं ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री मोइनुल हक़ चौधरी : कच्चे माल के उपलब्ध होने का प्रश्न होता है । अगली बात यह देखी जाती है कि क्या राज्य सरकार कच्चा माल उपलब्ध कराना स्वीकार करती है । वन राज्यों का विषय है । रोज़गार और क्षमता तथा स्थान के बारे में भी विचार किया जाता है । हमें देखना होता है कि यह एक बड़ा उद्योग है अथवा छोटा । ये सभी बातें विचारणीय होती हैं ।

दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता के टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता

+

*366. **श्री राम सहाय पांडे** :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता महानगरों के टेलीफोन केन्द्रों की वर्तमान क्षमता वहाँ के नागरिकों को नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बढ़ती माँग को पूरा करने में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि तो क्या क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने नये टेलीफोन कनेक्शनों की माँग का कोई अनुमान लगाया है ?

संसदीय कार्य विभाग के उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी हाँ । यह सच है कि दिल्ली, बम्बई और कलकत्ते के टेलीफोन एक्सचेंज़ों की वर्तमान क्षमता से इन शहरों में टेलीफोन कनेक्शनों की माँग पूरी नहीं की जा सकती ।

(ख) क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से देश में अन्य स्थानों के साथ-साथ इन स्थानों पर भी टेलीफोनों की मांग का हर वर्ष अनुमान लगाया जाता है । किन्तु विकास के साधन सीमित होने

के कारण बढ़ती हुई मांग पूरी नहीं की जा सकती। देश में कुल मिला कर आमतौर पर टेलीफोन के लिए चार से पाँच वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दिल्ली, बम्बई और कलकत्ते में 1973-74 तक टेलीफोन क्षमता बढ़ाने की योजनाएँ बनाई गई हैं, जो उत्तरोतर 1976-77 तक उपलब्ध हो जाएंगी। आशा है कि इससे इन स्थानों पर 1972 तक मांगें पूरी की जा सकेंगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह प्रश्न संचार मंत्री को संबोधित है तो फिर वह उत्तर क्यों दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने बता दिया है।

श्री केदार नाथ सिंह : मैं उनकी ओर से उत्तर दे रहा हूँ।

श्री राम सहाय पांडेय : क्योंकि संचार मंत्री यहाँ उपस्थित नहीं हैं, इसलिये मैं अपना अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय · मंत्री महोदय तो भली प्रकार उत्तर दे रहे हैं।

डा० रानेन सेन : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज के पास गत कई वर्षों से दो लाख से अधिक टेलीफोनों के लिये आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं? गत दो वर्षों में कितने लोगों को टेलीफोन दिये गये हैं ?

श्री केदार नाथ सिंह : 31 दिसम्बर को प्रतीक्षा सूची में 20,953 आवेदकों के नाम थे—

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस प्रश्न के लिये पृथक से सूचना दें।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे परन्तु आपने हस्तक्षेप कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : अलग सूचना देना बेहतर होगा।

डा० रानेन सेन : वह कुछ उत्तर दे रहे थे परन्तु हम सुन नहीं सके।

अध्यक्ष महोदय : वह तो एक सामान्य उत्तर था।

श्री समर गुह : क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान बम्बई तथा कलकत्ता से संबंधित प्रश्न के दूसरे भाग की ओर दिला सकता हूँ ? मैं टेलीफोन सलाहकार समिति का एक सदस्य हूँ और मुझे कलकत्ता की स्थिति का पता है। इसलिये यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलकत्ता में हजारों आवेदन-पत्र निर्णयाधीन पड़े हैं और लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है। यदि आप इस प्रश्न को अगले सप्ताह की सूची में शामिल कर लेते जबकि संचार मंत्री उपस्थित होते और वह उचित उत्तर देते, तो अधिक अच्छा होता। यदि मैं संसदीय कार्य विभाग के उप-मंत्री से प्रश्न करूँ तो वह क्या उत्तर देंगे ? अत: मैं श्री राम सहाय पाण्डे की इस बात से सहमत हूँ कि वह आज कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। इस प्रश्न को आज के लिये स्वीकार करना बड़ी अनुचित बात थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों से कलकत्ता और बम्बई में 'अपना टेलीफोन लगवाइये' योजना और सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ?

श्री केदार नाथ सिंह : मुझे इस प्रश्न का नोटिस चाहिए ।

Use of Hindi in Government Offices and Autonomous Bodies

*367. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the percentage of original official work being done in Hindi in the Central Government Offices and the percentage by which English work has been reduced there;

(b) whether Government have made any arrangements to encourage the use of Hindi in autonomous bodies also; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The progress cannot readily be quantified in terms of percentage but there has been progressive increase in the use of Hindi for official purposes, although under the Official Languages Act every Central Government employee is free to use Hindi or English for official work. This increase is reflected in the fact that the number of Sections in which Hindi was used in noting & drafting has increased from 250 as on 31.3.70 to 359 as on 31.3.71 and the number of originating letters in Hindi sent to State Governments/Union Territories has gone up from 37,582 during 1969-70 to 49,552 in 1970-71.

(b) and (c). Autonomous bodies located in Hindi speaking areas and which are owned or controlled by the Central Government have been requested to comply with those provisions of the Official Languages Act which are applicable to them and to ensure that adequate administrative arrangements for the purpose are made.

Shri Narendra Singh Bisht : Many years have passed since the enactment of the Official Languages Act, and under the provisions of the Act, it was necessary to bring out Hindi version of all the official publications. I would like to know as to why the above Act has not been implemented so far ? Hindi version of all the English publications should also be brought out simultaneously.

Shri Ram Niwas Mirdha : Sir, it has been our endeavour to implement the Act fully. So far as translation is concerned, the Government now increased the facilities to a large extent. The translation staff has been appointed in various Ministries and Departments. A special wing has been set up, which would translate all the rules and a lot of progress has been made in this field.

Shri Narendra Singh Bisht : It has been reported that Hindi staff of Press Information Bureau is being reduced. Moreover, the scale of pay of the staff is not equal to that of their counterparts in regular service. I would like to know as to what extent it is correct ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The anamoly referred to by the hon'ble Member is not

correct. More staff is being recruited in the Bureau which has been set up. The field of their activity is being enlarged. Full care is taken about the efficiency of the persons recruited. The pay etc. is equal to that of their counterparts.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon'ble Minister has just now stated that the Government employees have the option to use Hindi in their official work, but I would tike to know as to whether he is awere of the fact that the Government employees, who wish to work in Hindi, are discouraged or they are asked to submit English version as well ? A number of such instances have been brought to my notice. I would like to know whether the Minister is prepared to take any action in this regard ?

Shri Ram Niwas Mirdha : I think what the hon'ble Member has stated is not a fact. No such instance has come to our notice, when a person was discouraged for doing his work in Hindi. As against this, our officers have got full freedom to use Hindi, or English or any other language in the official work. The notes and drafts prepared in Hindi have got to be transtated in English for the use of such officers as do not know Hindi. There is no question of discouraging anybody. But as I have already stated, the notes and drafts prepared in Hindi have got to be translated in English for the convenience of the officers who do not know Hindi.

Shri Atal Bihari Vajpayee : My question has not been answered. I want to know whether there are Government orders that the employees working in Hindi are asked to submit English version as well ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The translation officers are being appointed in every Ministry to translate letters and notes prepared in Hindi. Therefore, what the hon'ble Member has stated, does not seem to be correct.

Shri Shankar Dayal Singh : The manner in which the hon'ble Minister of State has been answering the questions in Hindi clearly shows the progress of Hindi. Just now a supplementary question in English was answered by him in Hindi. I would like to ask a single question. Has he punished any officer for the violation of the instructions ?

Shri Ram Niwas Mirdha : We have no information of any violation and, therefore, the question of any punishment does not arise. The hon'ble Member's contention that a person is punished for doing his work in Hindi is not correct. If the hon'ble Member has any such information, he may supply it to me. It would be inquired into and proper action would be taken.

Shri Shiv Kumar Shastri : The Hindi letters are replied to in Hindi. This shows the progress of Hindi. It is a matter of great pleasure that the persons knowing Urdu, such us Shri Shafi Qureshi, put their signatures in Hindi. It is all right, but the persons knowing Hindi and engaged in various committees such as Estimates Committee and Sales Tax Committee are not supplied with Hindi translations, whereas this facility is available to the English knowing persons. I would like to know whether the Minister is aware of this difficulty ? If so, how long will it take to remove this difficulty ?

Mr. Speaker : You may take it as information and not a question.

श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों को एक अधिसूचना जारी की है कि सभी अहिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी पढ़ने के लिए

बाध्य किया जाय और हिन्दी का अध्ययन न करने वाले व्यक्ति की पदोन्नति रोक दी जाय और क्या सरकार संविधान में स्वीकृत सभी राष्ट्रीय भाषाओं को समान दर्जा देने के लिए प्रयास करेगी और संविधान में हिन्दी के विशेष दर्जे को समाप्त कर देगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार की वर्त्तमान नीति यह है कि केन्द्रीय सरकार के प्रशासन-कार्य को लगाने के लिए हिन्दी और अँग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाय। मुझे इस नियम के उल्लंघन की कोई जानकारी नहीं है। हिन्दी सीखने के लिए लोगों को बाध्य करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने एक हिन्दी शिक्षण योजना की व्यवस्था की हुई है, जिसका अनेक कर्मचारी लाभ उठा रहे हैं। परन्तु हिन्दी न जानने के लिए किसी को दण्ड देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : श्रीमान् जी, प्रश्न के दूसरे भाग का क्या उत्तर है ? प्रश्न यह था कि क्या भारत सरकार संविधान में स्वीकृत सभी राष्ट्रीय भाषाओं को बराबर का दर्जा देगी और संविधान में हिन्दी का विशेष दर्जा समाप्त करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : सब भाषाओं में राष्ट्रीय भाषा तो एक ही है।

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Minister has stated in his answer to the main question that there should be some progress and phased development. I want to know whether the Government is satisfied with the phased development and whether the figures submitted in this regard are adequate in view of the progress or something more has to be done in this matter ?

Shri Ram Niwas Mirdha : I do agree with the view of the hon. Member that progress should he made in this matter and Government is taking proper steps in this regard.

आकाशवाणी के कृषि तथा गृह विज्ञान प्रसारणों का प्रभाव

*368. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन द्वारा भाषाई क्षेत्रों के लिए तैयार किये गये आकाशवाणी के कृषि तथा गृह विज्ञान संबंधी प्रसारणों के ग्रामों में सुने जाने के संबंध में किये गये अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा तथा इसके प्रेरणात्मक मूल्य क्या हैं एवं ट्रांसमीटर सेटों के प्रचलन के कारण श्रोताओं के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) और (ख). भारतीय जन सम्पर्क संस्थान द्वारा किए जाने वाले अध्ययन का उद्देश्य कुल श्रवण समय, कृषि तथा गृह कार्यक्रमों में प्राथमिकताओं की श्रेणी, प्राथमिकताओं की दृष्टि से श्रोताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा, कृषि तथा गृह कार्यक्रमों से कुल अपेक्षा तथा प्राथमिकताओं की श्रेणी पर व्यक्तिगत स्वामित्व के प्रभाव की तालिका बनाना था। तथापि, साधनों की कमी के कारण, संस्थान द्वारा यह अध्ययन नहीं किया जा सका।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : यह बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है। क्या इस बारे में अध्ययन करने से पूर्व इंस्टीट्यूट के बजट का विश्लेषण नहीं किया गया था और उसी प्रकार विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के लिये राशि निर्धारित नहीं की गई थी ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन है लेकिन हमें संसाधनों के बारे में भी विचार करना होगा। ऐसी बात नहीं है कि इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक कृषि तथा गृह विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों का संबंध है हमें श्रोताओं से अनेक पत्र प्राप्त हो रहे हैं, उनसे इस कार्यक्रम के बारे में श्रोताओं पर पड़े प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : जिस वर्ष अध्ययन किया जाना था उस वर्ष इंस्टीट्यूट का बजट क्या था और उस वर्ष में कितनी बार अध्ययन किया गया ? अध्ययन कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन वास्तव में 1,41,200 रुपये का बजट अनुमान लगाया गया था। इस सीमित बजट से इंस्टीट्यूट के लिये अध्ययन कार्य करना संभव नहीं था और वह इस वर्ष भी अनुसंधान कार्य नहीं कर सकेगा।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : यह संगत प्रश्न है। कितने अध्ययन किये गये थे, कितने अध्ययन पूरे किये गये और अध्ययन कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उनके कहने का अभिप्राय यह है कि उक्त बजट से आगे अध्ययन करना संभव नहीं है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : उपलब्ध बजट के अन्तर्गत कितने अध्ययन किये गये और कितने अध्ययन पूरे हुए थे ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : प्रश्न कृषि और गृह कार्यक्रमों के अध्ययन के बारे में था। इसके अतिरिक्त, भारतीय जन सम्पर्क संस्थान ने वर्ष 1966 में ग्रामीण स्तर पर गृह और कृषि शीर्षक के अन्तर्गत अध्ययन किया है। उनके अपने कार्यक्रम भी हैं, जिनका ब्यौरा इस समय मेरे पास नहीं है।

उपग्रह छोड़ने की क्षमता का देश में ही विकास

369. **श्री वी० एन० पी० सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपग्रह छोड़ने की क्षमता का देश ही में विकास करने की दिशा में, विशेषकर नियंत्रण और पथ प्रदर्शन प्रणालियों, राकेट निर्माण तथा राकेट संचालन में काम आने वाले ईंधन आदि के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : उपग्रह को छोड़ने के काम में आने वाले राकेट का नियन्त्रण एवम् पथप्रदर्शन करने वाली प्रणाली में लगने वाले बहुत से अत्यन्त

परिशुद्ध तथा परिष्कृत संघटकों तथा असैम्बलियों का विकास सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इनमें से कुछ संघटकों की जाँच, राकेटों को छोड़कर की जा चुकी है। विकास के भविष्य के कार्यक्रम में सहायता देने के लिए इंजीनियरिंग तथा प्रयोगशालाओं संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने का काम चल रहा है। उपग्रह छोड़ने के लिए बड़े आकार के राकेटों की आवश्यकता होगी।

125 मि० मी० व्यास वाले राकेट थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से छोड़कर परखे जा चुके हैं तथा 560 मि० मी० व्यास वाले राकेटों की जाँच आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोट राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से छोड़कर की जाएगी। 560 मि० मी० से अधिक व्यास के राकेटों का विकास किया जा रहा है। श्रीहरिकोट राकेट प्रक्षेपण केन्द्र, जहाँ से पहला भारतीय उपग्रह छोड़ा जाएगा, से पहला राकेट अक्तूबर, 1971 में छोड़ा गया था।

छोटे आकार के राकेटों का ईंधन, थुम्बा राकेट प्रणोदक संयंत्र में पहले से ही बनाया जा रहा है। विभिन्न ज्वलन-दरों तथा ऊर्जा स्तरों वाले प्रणोदकों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य अन्तरिक्ष विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी केन्द्र, थुम्बा में किया जा रहा है। उपग्रह को ले जाने वाले राकेटों के प्रणोदकों के लिए बहुत सी किस्मों के ईंधन बनाने के लिए थुम्बा में एक प्रणोदक-ईंधन समिश्र की स्थापना की जा रही है।

श्री बी० एन० पी० सिंह : क्या यह सच है कि चैम्बर में अधिक दबाव के कारण 15 अप्रैल को मेनका राकेट का छोड़ा जाना असफल रहा ? यदि हाँ, तो इसका यह अभिप्राय है कि देश में निर्मित प्रणोदक दोषपूर्ण हैं और वे शीघ्र आग नहीं पकड़ते और हमारे पास उनके लिये कोई नियंत्रण उपकरण नहीं है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ये बहुत जटिल, आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण हैं। इन राकेटों का थुम्बा में विदेशी जानकारी की सहायता से भी विकास हो रहा है, लेकिन इसका बिल्कुल प्रारम्भिक अवस्था से ही यहाँ पर विकास हो रहा है। मैंने स्वयं उस स्थान का दौरा किया है और यह देखा है कि हमारे युवक वैज्ञानिक बहुत उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। वह स्वयं काम करके सीखने से नहीं घबराते। यदाकदा कुछ असफलताएं हो सकती हैं लेकिन और सब बातों को ध्यान में रखते हुए थुम्बा की उपलब्धि बहुत सन्तोषजनक है। इस विशेष कार्यक्रम के बारे में प्रगति पूर्णतया सन्तोषजनक है।

श्री बी० एन० पी० सिंह : क्या हमने जहाज पर छोटे संगणक और प्रारम्भिक मार्ग दर्शक उपकरण लगाने के बारे में देश में कोई प्रगति की है ? यदि नहीं, तो इन उपकरणों के लिये हमें किन किन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैं अपने मूल उत्तर में उल्लेख कर चुका हूँ, मार्ग दर्शक प्रणाली के नियंत्रण के लिये बहुत अधिक सूक्ष्म और आधुनिक उपकरणों के एकत्र करने की आवश्यकता है और उपग्रह छोड़ने वाले वाहन का सफलतापूर्वक विकास किया गया है और कुछ उपकरणों का उड़ान में परीक्षण भी किया गया है। मुझे अपने माननीय मित्रों को यह बताते हुए हर्ष होता है कि कुछ उपकरणों का थुम्बा में प्रारम्भिक स्तर से ही विकास किया गया है।

श्री वयालार रवि : प्रणोदक (प्रौपेलर) इंजीनियरिंग डिवीजन ने अनुसंधान कार्य पर

लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। क्या उक्त अनुसंधान के कोई परिणाम निकले हैं ? क्या यह सच है कि प्रणोदक (प्रौपेलर) इंजीनियरिंग डिवीजन के प्रधान को उस पद के लिये उचित योग्यता प्राप्त नहीं है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं उक्त वैज्ञानिक की योग्यता के बारे में इस समय कुछ नहीं कह सकता। मैं इस मामले की जाँच कर सकता हूँ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या यह सच है कि सरकार ने थुम्बा राकेट केन्द्र को अन्य जगह ले जाने का निर्णय किया है ? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस प्रश्न के पीछे कुछ गलतफहमी हैं। थुम्बा केन्द्र को अन्य स्थान पर ले जाने का कोई प्रश्न नहीं है। केवल श्री हरिकोटा द्वीप में राकेट छोड़ने के केन्द्र का विकास किया जा रहा है, जहाँ से राकेट छोड़ने का प्रस्ताव है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि थुम्बा स्थित वर्तमान सुविधाओं को अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है।

श्री समर गुह : क्या राकेट छोड़ने के स्थान दूर तक मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों के विकास हेतु और इस उद्देश्य से प्रयोग करने हेतु किया गया है अथवा किया जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह उपग्रह छोड़ने के लिये स्थान है। मेरे विचार से वहाँ से काफी दूरी तक उपग्रह छोड़ा जा सकता है।

पिछड़े राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग न किया जाना

370. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई पिछड़े राज्यों ने केन्द्र द्वारा आबंटित विकास निधि का पूरा उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितनी-कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया है और इन राज्यों द्वारा इस धनराशि का उपयोग किए जाने के लिए सरकार ने कितना समय बढ़ाया है; और

(ग) उन राज्यों द्वारा धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). चौथी योजना अवधि के पहले तीन वर्षों यानि 1969-70 से 1971-72 के दौरान, केवल तीन पिछड़े राज्यों—बिहार (5·3 करोड़ रुपये), असम (2·3 करोड़ रुपये) और नागालैंड (0·3 करोड़ रुपये) में कुल योजना खर्च में कमी होने की संभावना है। योजना परिव्यय समूची पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निश्चित किए जाते हैं, अतः जो धन इन पांच वर्षों में से किसी भी अवधि में खर्च नहीं किया जा सका उसे उपयोग में लाने के लिए समय सीमा बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

नागालैंड के मामले में योजना खर्चे की संभावित कमी नगण्य है। बिहार और असम का जहाँ तक संबंध है, योजना खर्चे में कमी आने के मुख्य कारण हैं : राज्यों के अपने संसाधनों में कटौती, मुख्य सामग्री में कमी, बाढ़ और राजनीतिक अस्थिरता के कारण काम में अव्यवस्था।

राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यत संबंधित राज्य सरकारों की है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी वार्षिक योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन में आने वाली रुकावटों को दूर करें। इस संबंध में योजना आयोग भी समय-समय पर राज्य सरकारों की सहायता करता है।

श्री एन० ई० होरो : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय ने केवल सामान्य टिप्पणी की है। मेरा प्रश्न था कि क्या विकास कार्य के लिए दिये गये धन का उपयोग कर लिया गया है। मंत्री महोदय का उत्तर था कि असम और बिहार के योजना व्यय में कमी होने का कारण राज्य में संसाधनों का उपलब्ध न होना है। इसको ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ऐसे राज्यों को और अधिक सहायता देगी जिससे कि अपने विकास कार्यों के लिए उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त हो जाये ?

श्री मोहन धारिया : अपने उत्तर में मैंने बताया कि इन राज्यों को दिए गए धन का उपयोग किया जा चुका है। जहाँ तक रुपये के खर्च होने का सवाल है, इसमें कोई कमी नहीं हुई है। अन्य पूरक प्रश्नों के बारे में मेरा कहना यह है कि केन्द्रीय सरकार की नीति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बनाए गए फारमूले के अनुसार राज्यों को यथाशक्ति सहायता देने की है। योजना सुचारु ढंग से कार्यान्वित करने का कर्तव्य राज्य सरकारों का है। फिर राज्य के अन्दर ही संसाधन जुटाने का भी प्रश्न है। दुर्भाग्यवश कुछ राज्यों में इनका विकास भली प्रकार नहीं किया गया है और इस कारण वहाँ कमी रही।

श्री पैनुली : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही है, क्या योजना मंत्रालय योजना को कार्यान्वित करने का काम अपने हाथ में लेगा, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे पिछड़े क्षेत्रों में ?

श्री मोहन धारिया : योजना के कार्यान्वयन को अपने हाथ में लेना हमारे लिए संभव नहीं है, पर हम कोई ऐसी प्रक्रिया की खोज करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि योजना को भली प्रकार कार्यान्वित किया जा सके। जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्रों का प्रश्न है, योजना आयोग इनके लिए एक विभाग बनाने तथा पहाड़ी क्षेत्रों समेत समाज पिछड़े क्षेत्रों के उचित विकास के लिए आधारभूत ढाँचा खड़ा करने का प्रयत्न कर रहा है।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या इस कमी का एक कारण जिसका उल्लेख माननीय मंत्री द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा राज्यों को, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र को सहायता देने के लिए निरूपित पद्धति और राज्यों से ऋणों की वसूली और राजसहायता संबंधी शर्तें हैं तथा ये उन राज्यों में योजना के ठीक-ठीक कार्यान्वित होने के भी आड़े आते हैं ?

श्री मोहन धारिया : यह फारमूला राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निरूपित किया गया था जिससे सभी मुख्य मंत्री संबंधित हैं। तथापि, पाँचवाँ वित्त आयोग इसका अध्ययन करेगा और

पूर्वी क्षेत्र संबंधी विशेष समस्याओं पर विचार करेगा। सरकार इस संबंध में सही और सहानुभूति-पूर्ण रवैया अपनायेगी।

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister pointed out certain reasons for the non-utilization of funds in the states. Keeping this in view, will such a policy be adopted as may help the states in the proper utilization of funds, so that the public may get the benefit ?

श्री मोहन धारिया : हम इस बात का ध्यान रखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि राज्य सरकारों को किसी परियोजना के लिए दी गई सहायता उसी परियोजना पर खर्च की जाये। हम इस संबंध में कार्रवाई करेंगे।

Shri Bhagirath Bhanwar : Hon. Minister said that the states did not spend the funds due to the shortage of resources and also due to political unrset. Were there any cases where the funds could not be spent because the allotted amounts were not given in time and the financial year came to an end ?

श्री मोहन धारिया : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि धन देने में देरी होने के कारण योजना की कार्यान्विति में बाधा पड़ी हो। यदि कोई इस प्रकार के मामले होंगे तो हम उनकी जाँच करेंगे।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या पिछली तीन योजनाओं में असम सरकार धन का उपयोग न कर सकी और वह व्ययगत हो गया और क्या उन्होंने इस योजना में पिछड़े प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र का विकास करने के लिए असम सरकार को निर्देश दिए हैं।

श्री मोहन धारिया : अपने उत्तर में मैंने बताया है कि असम में 2-3 करोड़ रुपये की कमी हुई। यह कोई बड़ी कमी नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या उपलब्ध धन का मुख्यतः इस कारण उपयोग नहीं किया गया कि राज्य सरकारों द्वारा ठोस योजनायें भेजे बिना ही उनके लिए धन का आबंटन कर दिया जाता है ?

श्री मोहन धारिया : धन योजना के आधार पर दिया जाता है। बिना योजना बनाए रुपया देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कार्तिक उरांव : यहाँ पिछड़े राज्यों का जिक्र किया गया। एक राज्य पिछड़ा हो या न हो, एक क्षेत्र पिछड़ा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगना जिनमें अधिकतर आदिम जातियाँ रहती हैं, बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। और अब जबकि छोटा नागपुर, संथाल परगना स्वात्तयशासी विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आ गया है, क्या सरकार इस क्षेत्र के विशेष रूप से विकास के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत धन आबंटित करेगी ?

श्री मोहन धारिया : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह हमारा प्रयत्न रहेगा, अन्यथा यह धन उन क्षेत्रों और पिछड़े राज्यों का विकास करने के लिए नहीं पहुँच सकेगा।

Sound and Light Programme on History of Indian Independence

+

*371. **Shri M. C. Daga :**
Shri Chhatrapati Ambesh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether his Ministry had organised Sound and Light Programme on history of the Indian Independence in Purana Quilla, New Delhi during March, 1972;

(b) whether there was any reference to the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri or to his slogan 'Jai Jawan Jai Kishan' in the said programme and if not, the reasons therefor; and

(c) the expenditure incurred thereon ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दनी सतपथी) : (क) जी, हाँ। इस मंत्रालय के गीत तथा नाटक प्रभाग ने 27 जनवरी, 1972 से 15 मार्च, 1972 तक पुराने किले की प्राचीरों पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर एक विशाल दृश्य का आयोजन किया था।

(ख) इस कार्यक्रम के पीछे मूल भाव लोगों का बुराई, असत्य तथा अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष तथा स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, समानता और शान्ति के अधिकार के लिए उनकी लगातार लड़ाई चित्रण करना था। कार्यक्रम एक घन्टे की सीमित अवधि के लिए था जिसमें मुख्य बल आम जनता पर दिया गया था। इसमें लाल बहादुर शास्त्री अथवा उनके नारे 'जय जवान जय किसान' का कोई उल्लेख नहीं था।

(ग) 31 मार्च, 1972 तक इस कार्यक्रम पर कुल किया गया व्यय 2,97,088/- रुपए है। इसमें नियमित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते शामिल नहीं है।

Shri M. C. Daga : Nothing was shown about the freedom fighters like Shri Lal Bahadur Shastri, Dr. Ram Manohar Lohia, Acharya Narendra Deo and Shri M. N. Roy and the hon. Minister says that due to the shortage of time it was not possible to do so. Is it a satisfactory reply ? Do you consider it as correct ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ मुख्य रूप से बल जनसाधारण पर दिया गया था न कि व्यक्तियों पर और यह कार्यक्रम मुख्य-मुख्य घटनाओं और अन्दोलनों पर आधारित था तथा इतिहास को तारीखवार नहीं दर्शाया गया था। इस कारण श्री लाल बहादुर शास्त्री अथवा डा० राम मनोहर लोहिया तथा अन्य लोगों के नामों को, जिन्हें शामिल किया जा सकता था उल्लेख नहीं किया गया।

Shri M. C. Daga : Hon. Minister said that 297 thousand rupees were spent on it. Is it correct that money was misused ? Six thousand rupees were spent on conveyance and a sari worth Rs. 600 was purchased ? Is it also correct that the actors and actresses did not get the full amount ? Will any inquiry be made regarding the misuse of money ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सर्वथा भिन्न बात है। यह कोई प्रश्न नहीं है, यह मात्र एक जानकारी देना है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या इस ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम में दर्शनकारियों के विरुद्ध दलित लोगों के संघर्ष को पहली बार हमारे स्वतन्त्रता संग्राम से लेकर बंगला देश मुक्ति आन्दोलन तक दिखाया गया है ? क्या पंडित नेहरू की आवाज को केवल एक बार, स्वतन्त्रता आन्दोलन के दिनों से और इन्दिरा गाँधी की आवाज बंगला देश मुक्ति के समय से जब उन्होंने घोषणा की थी कि ढाका मुक्त करा लिया गया है और पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिये हैं, सुनाया गया है और कि अन्य किसी भी नेता का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरे, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि लड़कों और लड़कियों में देश भक्ति की भावना को भरने के लिए क्या इस कार्यक्रम का बार-बार प्रदर्शन किया जायेगा ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस कार्यक्रम में प्रमुख घटनाओं को लिया गया था तथा आम जनता को विशेष स्थान दिया गया था। एक घण्टे के सीमित समय में इससे अधिक दिखाना सम्भव नहीं था। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, पंडित नेहरू और श्रीमती गाँधी की आवाज को एक-एक बार ही सुनाया गया। इसके अतिरिक्त, जन आन्दोलन का प्रदर्शन करते समय केवल आम नारे जैसे गांधी जी की जय, पण्डित नेहरू की जय आदि लगाए गये। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य नाम का उल्लेख नहीं किया गया।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is the Victory of India over Pakistan in 1965 not an important event in Government's view ? Could the name of Shri Lal Bahadur Shastri under whose leadership we won the war, not be mentioned ? Was Sardar Patel also ignored in that programme ? Is the memory of certain leaders being deliberately ignored ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : यह सही नहीं है। किसी नेता या व्यक्ति के नाम को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं था। जैसा कि मैंने कहा और श्री बनर्जी ने भी बताया पंडित नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गाँधी का नाम भी केवल एक-एक बार ही लिया गया। उनके नाम का भी बार-बार उल्लेख करना सम्भव नहीं था। स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय के नारों में ही दोबारा उनका उल्लेख हुआ। कुछ नेताओं के नाम जनता के मन से हटाने की कोई इच्छा नहीं थी।

दिल्ली नागरिक परिषद

*372. **श्री शशि भूषण** : क्या गृह मंत्री दिल्ली नागरिक परिषद् के बारे में 17 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 472 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली महानगर परिषद् के हाल ही के चुनावों को देखते हुए क्या दिल्ली नागरिक परिषद् के गठन में कुछ परिवर्तन किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार के परिवर्तन किए जायेंगे तथा उक्त परिवर्तन कब तक किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) · (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि फिलहाल परिषद के गठन में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Shashi Bhushan : The Chairman and a number of members of the council had unfortunately died. New election to the metropolitan council has taken place. The main purpose of this citizen's council is to foster communal harmony. But its member include such people as are opposed to communal harmony and who were arrested in Gandhi Murder case. Those who have been abusing Sardar Patel and Lal Bahadur Shastri throughout their life, they are in majority in these councils. I would, therefore, like to know whether in this changed atmosphere there is going to be any change in it or not ?

Shri K. C. Pant : Lt. Governor will think over it, whether there is any need of change or not. At present there is no such proposal before him, that is what he has informed.

Shri Shashi Bhushan : I want only this assurance that the persons who are against communal harmony and who were arrested in Gandhi murder case will not be kept in the new council.

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Plans for Union Territories for 1972-73

***364. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state the amount involved in the plans approved by the Planning Commission so far for the Union Territories for 1972-73 ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) :

Annual Plan 1972-73—Union Territories

		(Rs. lakh) 1972-73 Approved outlay
1.	Andaman & Nicobar Islands	300·00
2.	Chandigarh	153·29
3.	Dadra & Nagar Haveli	49·00
4.	Delhi	4100·00*
5.	Goa, Daman & Diu	868·00
6.	Laccadive, Amindivi & Minicoy Islands	45·00
7.	Misoram	275·00
8.	NEFA	360·00
9.	Pandicherry	300·00
	Total	6450·29*

* Excludes the outlay for Road Transport now shown in the Central Sector Plan after the formation of Delhi Transport Corporation.

केरल में सूक्ष्म यंत्र निर्माण कारखाने की स्थापना

*365. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में सूक्ष्म यंत्र निर्माण कारखाना स्थापित करने के संबंध में अपने निर्णय में परिवर्तन किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि केरल सरकार ने इस प्रयोजन के लिए पहले ही भूमि अर्जित कर ली है और इस योजना के प्रारम्भिक कार्य पर लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस अवस्था पर निर्णय में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) : (क) जी, नहीं। जैसा कि 20 जुलाई, 1971 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5312 के दिए गए उत्तर में उल्लेख किया गया है कि जब भी सरकारी क्षेत्र में एक दूसरा प्रेसिजन इंस्ट्र मेंट यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता होगी जैसा कि पहले तय किया गया है, केरल राज्य के पालघाट में परियोजना स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया जाएगा।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि केरल राज्य सरकार ने भूमि और पानी की सप्लाई पर 21·81 लाख रुपये खर्च किए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी, कटक का विस्तार

*373. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कटक केन्द्र के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या विवादास्पद भूमि को सरकार ने इस बीच अपने अधिकार में ले लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी, हाँ। इस केन्द्र के वर्तमान ट्रांसमीटर के स्थान पर एक अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जाएगा। तथा स्टूडियो एवं कार्यालयों के लिए एक स्थाई भवन का निर्माण किया जाएगा। स्टूडियो सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।

(ख) जिस स्थान पर नया केन्द्र बनाया जाना है, उसको आकाशवाणी द्वारा 24 दिसम्बर, 1971 को अपने अधिकार में ले लिया गया था।

हंगरी के सहयोग से संयुक्त उपक्रमों की स्थापना

*374. **श्री सी० टी० दंडपाणि :**
श्री पी० के० देव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हंगरी का विचार भारत में बड़े पैमाने पर संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की मोटे तौर पर रूपरेखा क्या है; और

(ग) हंगरी के सहयोग से भारत में किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) : (क) से (ग). जनवरी, 1972 में नई दिल्ली में हंगरी के साथ संपन्न हुई एनुअल ट्रेड टाक (वार्षिक व्यापार वार्ता) के दौरान भारत और हंगरी के बीच औद्योगिक सहयोग पर भी विचार किया गया था। भारत में विद्यमान इंडो-हंगेरियन प्रयासों की प्रगति का पुनरीक्षण भी किया गया तथा और अधिक सहयोग से भारत वर्ष में माइक्रोवेव टेलीकम्यूनिकेशन उपकरण, लेम्पों और लैम्प निर्माण करने वाली मशीनों, सीमलेस स्टील ट्यूबों तथा गैस सिलिण्डरों के उत्पादन की संभावनाओं पर व्यापक रूप से विचार किया गया।

केरल में कृत्यशील औद्योगिक बस्तियाँ बनाने के लिए अनुदान

*375. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कृत्यशील औद्योगिक बस्तियाँ बनाने के लिए केरल सरकार को किसी वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि की माँग की गई थी और कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ग) क्या सरकार का विचार शेष धनराशि राज्य सरकार को देने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) : (क) से (ग). शिक्षित बेरोजगार लोगों की सहायता करने के लिए केरल व अन्य राज्य सरकारों से, निर्धारित धनराशि में से जिसमें औद्योगिक बस्तियाँ भी सम्मिलित हैं, कुछ विशिष्ट योजनाएं कार्यान्वित करने को कहा गया था। राज्य सरकार को वित्त वर्ष में हुए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति कर देने की व्यवस्था योजना में थी।

योजना के अंतर्गत केरल राज्य से शिक्षित बेरोजगारों की सहायता में 15·70 लाख रुपये खर्च होने की सूचना मिली थी। इस धनराशि की मंजूरी दी जा चुकी है।

हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध में मारे गए सैनिकों की स्मृति में डाक टिकट

*376. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सैनिकों की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ 14 दिन के युद्ध में अपने प्राणोत्सर्ग किए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा डाक टिकट कब तक जारी किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हाँ। हाल के भारत-पाक संघर्ष में सुरक्षा सेनाओं ने जो भूमिका निभाई है, उसकी स्मृति में एक विशेष डाक-टिकट निकालने का निर्णय किया गया है।

(ख) यह डाक-टिकट निकालने की तारीख अभी निश्चित नहीं की गई है।

Capital Investment by West Germany in India

*377. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the industrialists of West Germany have expressed their desire to increase the capital invested by them in India;

(b) if so, the main features of the proposal; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development (Shri Moinul Haque Choudhury) : (a) to (c). Parties from West Germany, as from other developed countries, have been evincing interest in technical and financial investment collaborations with Indian parties. All applications are considered on a case basis in accordance with Government's policy on the subject.

हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

*378. **श्री एच० एम० पटेल** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हरियाणा के अनेक संसद् सदस्यों और विधायकों ने हाल ही में हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंसीलाल के विरुद्ध राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें भ्रष्टाचार और कु-प्रबंध के अनेक आरोप लगाये गये थे;

(ख) क्या उस ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) क्या ज्ञापन में लगाए गए विभिन्न आरोपों की सरकार ने जाँच कर ली है; और यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). श्री भगवत दयाल शर्मा तथा हरियाणा विधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को मई, 1969 तथा जुलाई, 1969 में दो ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल तथा अन्य के विरुद्ध कतिपय आरोप समाविष्ट थे। सावधानी से जाँच करने के बाद, इन ज्ञापनों में समाविष्ट आरोप साबित हुए नहीं पाये गये थे।

श्री भगवत दयाल शर्मा द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 को श्री बी० डी० शर्मा, संसद सदस्य तथा कुछ अन्यों द्वारा हस्ताक्षरित दूसरा ज्ञापन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था। श्री भगवत दयाल शर्मा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 1972 को, एक अन्य दूसरा ज्ञापन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री बंसी लाल तथा अन्यों के विरुद्ध समाविष्ट कतिपय आरोप थे। कुछ संसद् सदस्यों ने भी प्रधान मंत्री का ध्यान दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 तथा पहले के ज्ञापनों की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने अपने पत्रों के साथ, दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन की प्रतिलिपियां भी संलग्न की थीं। दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 तथा 24 फरवरी, 1972 के ज्ञापन, जिनमें जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है, जाँचाधीन हैं। चूंकि ये ज्ञापन जाँचाधीन हैं, अतः उनकी प्रतियों को सभा के पटल पर रखना वांछनीय नहीं होगा।

नीम-का-थाना/कोटपुतली (राजस्थान) में सीमेंट कारखाना स्थापित करना

*379. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में नीम-का-थाना अथवा कोटपुतली में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) : (क) और (ख). जी, हाँ। राजस्थान के सिरोही जिले के नीम-का-थाना तालुक के पाटन में 13·5 करोड़ की लागत से 7·35 लाख मीटर टन की वार्षिक क्षमता वाला सीमेंट का एक कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है।

कागज की मिलों का विस्तार

*380. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज की कमी को पूरा करने के लिए कतिपय कागज की मिलों को अपना पर्याप्त विस्तार करने के लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक़ चौधरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) आंशिक रूप में क्रैश कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान मिलों में सन्तुलन उपकरण लगाकर और उत्पादन का अभिनवीकरण करके तथा आंशिक रूप में नये एककों की स्थापना करके/विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आशय-पत्र/ औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गये हैं। क्रैश कार्यक्रम तथा सामान्य विस्तार की योजनाओं के अन्तर्गत अधिष्ठापित की जाने वाली अनुमानित क्षमता क्रमशः 1,09, 750 मी० टन तथा 5,73,925 मी० टन प्रतिवर्ष है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इन्जीनियरों की भर्ती

2547. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न सरकारी विभागों में उनके द्वारा सूचित किये गये रिक्त स्थानों के अनुसार इन्जीनियरों तथा अन्य पदों पर भर्ती करने के लिए प्रत्याशियों की सिफारिश करता है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसे विभिन्न विभाग निर्धारित प्रक्रिया का दृढ़ता से पालन न करके बड़ी संख्या में लोगों को सीधे भर्ती कर लेते हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभागीय तौर पर पदोन्नत किये गये कार्यकारी इन्जीनियरों की कुछ समय पूर्व पदावनति की गई ताकि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास किये हुये सीधे प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को स्थान दिया जा सके ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/पदों पर इन्जीनियरों एवं अन्यों की भर्ती आयोग द्वारा की जाती है—

(i) उनके द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से; और

(ii) केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा।

जहाँ तक साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा भर्ती का सम्बन्ध है, आयोग किसी विशेष 'चयन' के द्वारा भरी जाने के लिए सूचित रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों की संख्या की सतत सिफारिश करता है, बशर्ते कि उपयुक्त उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो।

जहाँ तक प्रतियोगी-परीक्षा द्वारा भर्ती का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग में समय-समय पर अधिसूचित परीक्षाओं के लिए नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार आयोग विभिन्न परीक्षाएँ लेता है। इन नियमों में साथ ही साथ यह भी व्यवस्था है कि परीक्षा के पश्चात्, आयोग द्वारा उम्मीदवारों को उनके योग्यता के क्रम से व्यवस्थित किया जायेगा, जो क्रम

वह प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंकों से प्राप्त करता है, और उस क्रम में आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से अर्हता प्राप्त समझे गये उम्मीदवारों की उतनी संख्या के लिए नियुक्ति के हेतु सिफारिश की जायेगी, जितनी कि परीक्षा के परिणामों के आधार पर आरक्षित रिक्तियाँ भरनी निश्चित हुई हैं। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की उतनी संख्या तक, जितनी कि सामान्य स्तर के आधार पर नहीं भरी जा सकती हैं, आयोग द्वारा आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने हेतु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को शिथिल स्तर पर लेने के लिए सिफारिश करने की भी व्यवस्था है, बशर्ते कि परीक्षा के योग्यता क्रम में उनके स्थानों की ओर ध्यान दिये बिना सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए ये उम्मीदवार उपयुक्त हों।

आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या, आयोग की परीक्षा द्वारा भरने के लिए सूचित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, विनियम, 1958 (परामर्श से छूट) संघ लोक सेवा आयोग के विनियम 4 (1) के अधीन लोक हित में श्रेणी-I और II के पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्तियाँ एक वर्ष तक की अवधि के लिए की जा सकती हैं। निर्धारित प्रक्रिया में छूट के साथ नियुक्ति केवल उसी दशा में की जा सकती है, जबकि यदि सुसंगत नियमों में ऐसी छूट की व्यवस्था है। जहाँ तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सम्बन्ध है, सहायक कार्यकारी अभियन्ता (कनिष्ठ श्रेणी-I) और सहायक अभियन्ता (श्रेणी-II) के स्तर पर सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर की जाती है।

(ग) वे बारह सहायक अभियन्ता जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्रेणी-I सीधी भर्ती के लिए कार्यकारी अभियन्ताओं की रिक्तियों पर तदर्थ नियुक्तियाँ करने के लिए पदोन्नत किये गये थे। उन्हें वर्ष 1966-67 में पदावनत किया गया था ताकि बाद वालों को स्थान दिया जा सके।

इंजीनियरों के लिए पदोन्नति के अवसरों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

2548. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन इंजीनियरों के लिए पदोन्नति के अधिक अवसरों की व्यवस्था करने के बारे में सिफारिश की है जो शिक्षा क्षेत्र की अपेक्षा सेवा के क्षेत्र में अधिक अच्छा काम करते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सिफारिशों के संगत अंग क्या हैं और उनको क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रशास-

निक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन संबंधी अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

1970 में बिहार में मनीआर्डरों/तार मनीआर्डरों को गलत व्यक्तियों को दिया जाना

2549. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 में बिहार में जिलावार तार मनीआर्डरों/मनीआर्डरों के गलत व्यक्तियों को वितरित करने के कुल कितने मामले सरकार की जानकारी में लाए गए और उनमें कितनी राशि अन्तग्रस्त है;

(ख) मनीआर्डर आदि भेजने वालों को कुल कितनी राशि वापस दी गई है तथा उनके नाम क्या हैं और कितने मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं, और

(ग) इस बारे में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बड़े व्यापार गृहों द्वारा छोटा नागपुर और पालामऊ के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

2550. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री बड़े व्यापार गृहों द्वारा छोटा नागपुर और पालामऊ के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के बारे में 1 दिसम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2332 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसको कब तक इकट्ठा कर लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). बिहार सरकार ने बताया है कि टाटा, बिड़ला साहूजैन तथा डालमिया को छोटा नागपुर और पालामऊ में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए हैं । औद्योगिक गृहों को किसी क्षेत्र विशेष में उद्योग स्थापित करने के लिए निर्देश देने की भारत सरकार की कोई भी नीति नहीं है । फिर भी सभी उद्योगियों से प्राप्त सभी आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर वर्तमान नीति के अनुसार विचार किया जाता है । 1967 से तथा उससे अगले बड़े औद्योगिक गृहों को बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किए गए लाइसेंसों और आशय-पत्रों की एक

सूची संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—1722/72.**] बिहार सरकार ने यह नहीं बताया है कि छोटा नागपुर के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है ।

सरकार द्वारा आयोगों की स्थापना

2551. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा जाँच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत कितने आयोग नियुक्त किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि में आयोग-बार कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा नियुक्त किए गए आयोगों में से कौन-कौन से आयोग इस समय कार्य कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली को हुई हानि

2552. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली को अब तक कुल कितनी हानि हुई है; और

(ख) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 30 जून, 1970 तक समिति को कुल 27·72 लाख रुपये की हानि हुई थी ।

(ख) व्यवस्था द्वारा हानि को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई :

(i) घाटे पर चल रहे स्टोरों का बन्द किया जाना;

(ii) कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली माल की चोरी पर नियंत्रण रखना;

(iii) व्यय में मितव्ययता का प्रयोग करते हुए ऊपरी खर्चों में कटौती करना;

(iv) समिति द्वारा खरीदारी के संबंध में अभिनवीकरण किया जाना ।

स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो गया है । जब वर्ष 1970-71 के लेखों को अन्तिम रूप दिया जायेगा तो लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है ।

बिहार में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का विकास

2553. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने पिछड़े जिलों का शीघ्रता से औद्योगिक विकास करने हेतु चयन किया गया है; और

(ख) उनके विकास के लिए दिए जाने वाले प्रस्तावित वित्तीय और अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). कुछ जिलों/क्षेत्रों को नये एककों में लगे अचल पूंजी निवेश के 1/10 की राशि अथवा विद्यमान एककों के पर्याप्त विकास के लिए 50 लाख रु० से अनधिक अचल पूँजी निवेश तक केन्द्रीय आर्थिक सहायता मंजूर करने के लिए चुना गया है। 26 अगस्त, 1971 के असाधारण राजपत्र में इस योजना का ब्यौरा प्रकाशित किया गया है। बिहार के दो जिले अर्थात् दरभंगा और भागलपुर यह आर्थिक सहायता पाने के योग्य हैं।

देश भर में पिछड़े जिलों के करीब 219 चुने हुए उद्योगों की स्थापन करने के लिए रियायती दर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध है। बिहार के निम्नलिखित जिले यह रियायत पाने के हकदार हैं :

दरभंगा, भागलपुर, संथाल परगना, चम्पारन, सारन, सहरसा, पूर्णिया, पालामऊ, और मुजफ्फरपुर।

इसके अतिरिक्त, बिहार के संथाल परगना, दरभंगा, रांची, शाहबाद और गया जिलों के 5 क्षेत्रों सहित, 49 पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए केन्द्र सरकार ग्रामीण उद्योग परियोजना भी चला रही है।

औद्योगिक विकास बैंक ने राज्य का सर्वेक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

आशा है कि राज्य अभिकरण और उद्यमी इन सुविधाओं/रियायतों से लाभ उठायेंगे और बिहार के विभिन्न भागों में उद्योग स्थापित करेंगे।

1971-72 में केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र

2554. **श्री वयालार रवि** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में केरल में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए तथा कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) क्या आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के पश्चात् टेलीफोन कनेक्शन देने में असाधारण विलम्ब होता है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) केरल में 1971-72 के दौरान दिए गए टेलीफोन के कनेक्शनों की संख्या 4,357.

31-3-72 को बकाया अर्जियों की संख्या 12,478.

(ख) जी, हाँ। टेलीफोनों की माँग उत्पादन से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए देश भर में एक्सचेंज उपस्कर और जरूरी सामान की सामान्य कमी है; केरल में टेलीफोन देने में विलम्ब होने के कारण ये भी हैं कि एक्सचेंज में क्षमता कम है, और जमींदोज केबल और लाइन स्टोर की भी कमी है।

(ग) उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा टेलीफोनों की माँग पूरा करने के लिए लगातार कोशिशें की जाती हैं और अधिक कनेक्शन देने के लिए एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने और जमींदोज केबलों की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं।

केरल के तटीय क्षेत्र के खनिज भण्डारों का उपयोग किया जाना

2555. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के तटवर्ती क्षेत्र के मूल्यवान खनिज भंडारों को वर्तमान संयंत्रों द्वारा जिस दर से प्रयोग किया जा रहा है उस हिसाब से उनका अधिकांश भाग अनेक वर्षों तक अप्रयुक्त पड़ा रहेगा।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार नए संयंत्र लगाने अथवा विद्यमान संयंत्र का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सबंधी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग). इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी है, ने अन्य खनिजों की थोड़ी थोड़ी मात्रा के अलावा, खनिजयुक्त रेत को अलग करने वाला एक संयंत्र चवारा में स्थापित किया है। इंडियन रेयर अर्थस ने संयंत्र की उत्पादन क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए योजनाएँ बनाई हैं ताकि इल्मेनाइट की माँग को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में प्रतिवर्ष 2 लाख मीटरिक टन इल्मेनाइट का उत्पादन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, त्रावणकोर टाइटेनियम लिमिटेड तथा अन्य खनिजों पर आधारित केरल के उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए

केरल राज्य उद्योग विकास निगम एक लाख मीटरिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है ।

समाचार-पत्रों की आय में वृद्धि

2556. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे मजूरी बोर्ड के गठन के बाद से समाचार-पत्रों के परिचालन और विज्ञापन की आय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) उक्त अवधि में उत्पादन लागत और मजूरी बिल में वृद्धि तथा बोनस के भुगतान के कारण राजस्व में हुई वृद्धि किस हद तक निष्प्रभावी हो गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). इस बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

यूरेनियम का आयात

2557. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु बिजलीघरों में प्रयोग के लिए यूरेनियम का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या देश में यूरेनियम के पर्याप्त भण्डार मौजूद हैं जिनसे विदेशों से इसका आयात बन्द किया जा सकता है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि देश में इसका कुल कितना भण्डार मौजूद है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन साधनों का प्रयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और देश के साधनों के उपयोग से यूरेनियम के आयात को किस हद तक रोका जा सकता है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना के लिए समृद्ध यूरेनियम का आयात अमरीका से किया जाता है । राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट के लिए आवश्यक नैसर्गिक यूरेनियम ईंधन का प्रारम्भिक अर्धभाग कनाडा से मँगाया गया है ।

(ख) जी, हाँ । केवल तारापुर परमाणु बिजलीघर को चलाने के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम को छोड़कर ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) बिहार के सिंहभूम क्षेत्र में यूरेनियम के विभिन्न आकार पाये गए हैं तथा जादूगुडा में पाए गए यूरेनियम भण्डारों को निकालने के लिए एक पूर्ण आकार की खान बनाई गई है और वहाँ व्यावसायिक स्तर पर खनिज निकालने का काम परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत काम करने वाला एक सरकारी उपक्रम यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड कर रहा है। खान से प्राप्त धातुक का संसाधन करने के लिए एक मिल भी लगाया गया है जो काम कर रहा है। जादूगुडा खान तथा मिल की क्षमता इतनी रखी गई है कि वे देश की वर्तमान यूरेनियम संबंधी माँग की पूर्ति कर सके। मिल में प्रतिदिन 1,000 मीटरिक टन तक धातुक का संसाधन किया जा सकता है। वर्तमान तथा भविष्य के विद्युत रिऐक्टरों की यूरेनियम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जादूगुडा तथा अन्य स्थानों पर यूरेनियम का खनन तथा उसका संसाधन करने की व्यवस्था का विस्तार करने के प्रश्न का पुनरीक्षण लगातार किया जाता रहता है। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट के लिए आवश्यक प्रारम्भिक ईंधन का आधा भाग तथा फुके हुए ईंधन के पूरे भाग को बदलने के लिए आवश्यक ईंधन तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के दूसरे यूनिट तथा मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक प्रारम्भिक ईंधन तथा फुके हुए ईंधन को बदलने के लिए आवश्यक ईंधन भारतीय साधनों से ही तैयार किया जा रहा है।

कार निर्माण उद्योग में क्षमता का उपयोग

2558. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार का निर्माण करने वाले वर्तमान कारखाने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने उनकी अप्रयुक्त क्षमता के पूरे उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गत तीन वर्षों में तीन कार उत्पादन कर्त्ताओं द्वारा प्राप्तव्य क्षमता और किया हुआ उत्पादन निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	उत्पादन कर्त्ता का नाम	प्राप्तव्य क्षमता	उत्पादन		
			1969	1970	1971
(1)	मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, कलकत्ता	30,000 कारें प्रति-वर्ष	21,641	23,325	28,657
(2)	मै० प्रीमियर आटो-मोबाइल्स लि०, बम्बई	14,000 कारें प्रतिवर्ष	12,213	12C4	12821
(3)	मै० स्टेन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०, मद्रास।	3,400 कारें प्रतिवर्ष	1,405	450	847

(ख) सभी तीन कार निर्माताओं की पूर्ण क्षमता पर उत्पादन करने के लिए पुर्जों और कच्चे सामान का आयात करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स स्टेंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०, जो पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा था, को भी लोक वित्तीय संस्थाओं से आवश्यक अतिरिक्त वित्त प्राप्त करने में सहायता दी गई है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में अधीक्षकों की वरीयता सूची को अन्तिम रूप देना

2559. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में गत 10 वर्षों से अधिक समय से अधीक्षक के पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की वरीयता सूची को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो संबंधित व्यक्तियों को इस ग्रेड पर किस तिथि से स्थायी किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अन्तर्गत क्षेत्रीय-कार्य संचालन प्रभाग (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय) के अधीक्षकों की संबंधित अवधि के लिए वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) पात्र अधिकारियों को उपलब्ध स्थायी पदों पर स्थायी रूप में नियुक्त करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। अन्य सम्बद्ध अभिकरणों से परामर्श करके उक्त मामले में अभी आगे कार्यवाही की जाने वाली है, और स्थायी नियुक्ति के आदेश यथा-संभव शीघ्र जारी किए जायेंगे।

भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड 4 में तदर्थ आधार पर पदोन्नत हुए कर्मचारियों की कालावधि का बढ़ाया जाना

2560. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड 4 में तदर्थ आधार पर पदोन्नत हुए कर्मचारियों के सेवाकाल को 31 दिसम्बर, 1971 से आगे नहीं बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी पदोन्नति को नियमित करने में कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड 4 पदों में अधिकारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति

को 31 दिसम्बर, 1971 से आगे जारी रखने के बारे में संघ लोक सेवा आयोग का अनुमोदन आवश्यक है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) अधिकांश पदों पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें सीधी भर्ती से भरा जाना अपेक्षित है, जिन्हें प्रावस्था के आधार पर प्रयोग में लाया जा रहा है। शेष पदों को नियमित पदोन्नति द्वारा भरे जाने की कार्रवाई की जानी है। चूंकि इससे बड़ी संख्या में सरकार के मंत्रालय तथा विभाग संबंधित हैं, अतः ऐसी नियमित पदोन्नति के लिए कोई कालावधि बताना सम्भव नहीं है।

टेलीविजन बूस्टर

2562. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलानी स्थित इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान केन्द्र ने एक ऐसा 'बूस्टर' बनाया है जिससे दिल्ली के 250 किलोमीटर के दायरे के अन्दर लगे टेलीविजन सेट दिल्ली टेलीविजन स्टेशन के कार्यक्रमों को पकड़ सकेंगे तथा सुन सकेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो इससे जिन नगरों को लाभ होगा उनके नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

संचार मंत्रालय के अधीन अनुसंधान तथा विकास संगठनों संबंधी समिति

2563. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने अनेक अनुसंधान तथा विकास संगठनों में विद्यमान स्थिति के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए समिति स्थापित की है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या है और निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी, हाँ।

(ख) समिति के गठन और इसके विचारार्थ विषयों से संबंधित विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1723/72.**]

(ग) सितम्बर, 1972 के अन्त तक।

टेलीफोन ब्रांचों में इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के पदों के लिए इंजीनियरिंग के डिप्लोमा-धारियों की अपेक्षा विज्ञान स्नातकों को प्राथमिकता देना

2564. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन ब्रांचों में इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारियों (इलैक्ट्रिकल या दूर-संचार) की अपेक्षा विज्ञान स्नातकों को इंजीनियरिंग सुपरवाइजर के पद पर भर्ती करने की प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) क्या सभी सर्किलों में इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के भर्ती नियम समरूप हैं; और

(ग) विभिन्न सर्किलों में गत तीन वर्षों में, सर्किलवार, कितने इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी और विज्ञान स्नातक भर्ती किये गये ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) अभी तक कुछ सर्किलों से सूचना नहीं मिली है। शेष सर्किलों/यूनिटों के संबंध में आवश्यक सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1724/72.**]

स्क्रैप से 'सीसा' निकालना

2565. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति स्क्रैप से 'सीसा' निकालने के प्रस्ताव की जाँच कर रही है जिससे सरकार को एक करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बात क्या है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हाँ।

(ख) अनुपयुक्त सीसा प्राप्त करने का अन्य मुख्य साधन इस्तेमाल की हुई बैटरियाँ और उनके बचे हुए अंश हैं। इस समय देश में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी अधिक बैटरियाँ तैयार की जाती हैं। सारे विश्व में इस समय बैटरियाँ तैयार करने के लिए जो धातु इस्तेमाल की जाती है वह पुरानी बैटरियों से प्राप्त की जाती है। विकसित देशों में भी बैटरी उद्योग अपनी लगभग 80 प्रतिशत आवश्यकताएँ पुरानी बैटरियों से ही पूरी करते हैं। इस समय देश में एक ऐसी कारगर प्रणाली तैयार करने की समस्या विचाराधीन है जिसके द्वारा सभी काम में ली गई बैटरियाँ अन्त में या तो बैटरी उत्पादकों के पास पहुँच जायें अथवा धातु शोधक कारखानों को वे उपलब्ध

हो सकें जो उनसे अच्छी धातु प्राप्त करके फिर से बैटरी उद्योग को उपलब्ध कर सके। अनुपयुक्त सीसे को फिर से काम में लेने के संबंध में उपयुक्त तकनीकी जानकारी देश में ही उपलब्ध है। परन्तु इसकी एक ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है जिसके द्वारा काम में ली गयी बैटरियाँ या तो उत्पादकों को प्राप्त हो सकें अथवा बैटरी शोधक कारखानों के पास पहुँच जायें। इस काम को पूरा करने में जो आर्थिक और प्रशासनिक समस्यायें हैं, उनका अध्ययन किया जा रहा है।

थाइलैण्ड के सहयोग से संयुक्त उपक्रमों की स्थापना

2566. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति की हाल की थाइलैण्ड की यात्रा के दौरान संयुक्त उपक्रमों को स्थापित करने के लिए मंत्री स्तर पर कोई वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हाँ तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) थाइलैण्ड में मंत्री स्तर पर हुई वार्ता में भारत और थाइलैण्ड के सहयोग स्वरूप सामान्यतया वहाँ उद्योग स्थापित करने के विषय में बातें हुईं, किसी विशेष औद्योगिक उपक्रम के बारे में वार्ता नहीं हुई। हाँ, फिल्म उद्योग के संबंध में संयुक्त उपक्रम का सुझाव दिया गया था।

(ख) कोई ठोस प्रस्ताव नहीं बन सका है।

इंस्टीट्यूट आफ पेपर टेकनालोजी, सहारनपुर में आपरेटर पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण

2567. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इंस्टीट्यूट आफ पेपर टेकनालोजी, सहारनपुर में 'आपरेटर' पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए केरल सरकार द्वारा भेजे गये अभ्यार्थियों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). नागालैण्ड, असम और केरल में सरकारी क्षेत्र में कागज, लुगदी और अखबारी कागज बनाने वाली परियोजनाओं की स्थापना का सरकार द्वारा निर्णय कर लिए जाने के बाद संबंधित राज्य सरकारों को इन्स्टीट्यूट आफ पेपर टेकनालाजी, सहारनपुर में प्रशिक्षण के लिए शिक्षु भेजने तथा उनके द्वारा भेजे गये प्रशिक्षुओं को अतिरिक्त प्रशिक्षण और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने में होने वाले व्यय का हिस्सा बढ़ाने के लिए कहा गया है।

असम और नागालैंड की सरकारों ने ट्यूशन फीस के अलावा 3500/-रुपये प्रति प्रशिक्षु प्रति सत्र के हिसाब से दिया है जबकि केरल राज्य सरकार ने अपने द्वारा भेजे गये विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस के अलावा कुछ भी देना स्वीकार नहीं किया है। फलत: संस्थान केरल के विद्यार्थियों को प्रयोगशाला वर्कशाप संबंधी अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर सका है।

केन्द्र-राज्य संबंधों की जाँच करने के लिए आयोग

2568. **श्री मुहम्मद शरीफ** :
श्री वी० मायावन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-राज्य संबंधों की जाँच करने और उनकी शक्तियाँ निर्धारित करने के लिए एक आयोग गठित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान्। प्रशासनिक सुधार आयोग तथा आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा केन्द्र-राज्य से संबंधित प्रश्नों का पहले ही गहन अध्ययन किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि केन्द्र-राज्य संबंधों को निर्धारित करने वाले संविधान के उपबंध प्रत्येक स्थिति का सामना करने के प्रयोजन के लिए अथवा इस क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्येक समस्या के हल के लिए पर्याप्त हैं। राज्य सरकारों से प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर अपने विचार भेजने का अनुरोध किया गया है।

Citizens killed in Indo-Pak War

2569. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of Indian citizens, other than defence personnel, killed and found missing during the Indo-Pak war in December, 1971 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : According to the information received so far, the number of Indian citizens, other than defence personnel, killed or found missing during the Indo-Pak war in December, 1971 is as follows :—

No. killed	...	171
No. found missing	...	156

The above figures do not include information relating to the States of Punjab and Meghalaya, and J. & K. Militia, which is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt.

Malfunctioning of Cross Bar Exchanges

2570. **Shri N. K. Sanghi :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the "Indian Express" dated the 9th February, 1972 that one of the main causes for malfunctioning of the crossbar exchanges in India is that an American firm with which Government had collaboration arrangements did not supply latest technology necessary to manufacture the equipment in India;

(b) if so, since when the collaboration arrangements have been in force and the number of cross bars exchanges manufactured under this collaboration, which are not giving trouble-free and adequate service and the cost involved in their manufacture; and

(c) the quantun of extra expenditure to be borne to rectify the defects and how much of it is to be borne by the collaborating firm ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) to (c) . A statement giving the requisite information in attached. [*Placed in the Library. See* No. LT 1725/72]

दिल्ली में बिजली, पानी तथा मल विकास संबंधी कार्यों के लिए स्वायत्तशासी बोर्डों की स्थापना करना

2571. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली, पानी तथा मल निकास के कार्यों की व्यवस्था करने के लिए स्वायत्तशासी बोर्डों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ये बोर्ड कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). ब्यौरों पर विचार किया जा रहा है ।

परियोजना के इंजीनियरिंग और प्रबंध के बारे में विचारगोष्ठी

2572. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इण्डियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन, दिल्ली में 'इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट आफ प्रोजैक्टस' के बारे में दो दिवसीय विचारगोष्ठी का आयोजन कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). ऐसा

समझा जाता है कि इस प्रकार का परिसंवाद मई, 1972 में होना है। चूंकि इस परिसंवाद का आयोजन सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा परिसंवाद अभी होना है अतः परिसंवाद पर सरकार की प्रतिक्रिया का अभी प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

एस० एस० भटनागर पुरस्कार

2573. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापकों को वर्ष 1968 और 1969 के लिए 'एस० एस० भटनागर पुरस्कार' दिया गया है; यदि हाँ, तो इस प्रथा के आरंभ होने से अब तक कुल कितने पुरस्कार दिए जा चुके हैं;

(ख) इन पुरस्कारों को समयान्तर में दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इसमें एकरूपता लाने की किसी प्रक्रिया पर विचार कर रही है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) इस प्रथा के आरंभ होने से अब तक 57 भारतीय वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकों को 'शान्ति-स्वरूप भटनागर स्मृति पुरस्कार' दिए गए हैं; इनमें से दिल्ली विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापकों को वर्ष 1968 और 1969 के पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।

(ख) और (ग). पुरस्कार चयन के नियमों को दोहराने एवं उनमें सुधार करने के कारण गत कुछ वर्षों से पुरस्कार प्रदान करने में कुछ विलम्ब हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनु-संधान परिषद् की शासी सभा द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया संलग्न है और यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही पुरस्कारों में एकरूपता लाई जायेगी और इनको नियमित कर दिया जायेगा। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1762/72]**

पर्यावरण आयोजना और समन्वय संबंधी राष्ट्रीय समिति

2574. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :**
डा० कर्णी सिंह :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण आयोजना और समन्वय संबंधी राष्ट्रीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उसके निदेश पद क्या हैं, और यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी;

(ग) यदि ऐसी समिति गठित नहीं की गई है तो देश की जनसंख्या वृद्धि और इसके वितरण तथा आर्थिक विकास के संदर्भ में क्या सरकार को देश में मानव पर्यावरण परीक्षण और सुधार की समस्याओं को जानने और उनकी जाँच करने की आवश्यकता का पता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). जी, हाँ । भारत सरकार ने अपने संकल्प क्रमांक H-11013/2/72- दिनांक 18 फरवरी 1972 के अनुसार परिस्थितिकीय योजना एवं समन्वय पर एक राष्ट्रीय समिति स्थापित की है, जिसमें उसके सदस्यों के नाम तथा समिति के निदेश पद भी दिये गये हैं । उक्त संकल्प की एक प्रतिलिपि सदन के सभापटल पर रख दी गई है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—1727/72.]** समिति की कार्य-अवधि दो वर्ष के लिए है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

Tours of Prime Minister during Elections

2575. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Samar Guha :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of States visited by the Prime Minister during the recent Elections to the State Legislative Assemblies held in March, 1972 together with the number of tours undertaken by her;

(b) the number of times, the I. A. F. planes were used for this purpose and the average per hour expenditure incurred on such flights; and

(c) the estimated expenditure incurred by the Central Government on tours undertaken by the Prime Minister during the months of February and March, 1972 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) During the period from 13th February to 9th March, 1972 the Prime Minister performed eight tours which were not official and visited the following States and Union Territories:—

1. Madhya Pradesh
2. Maharashtra
3. Uttar Pradesh
4. Andhra Pradesh
5. Mysore
6. Himachal Pradesh
7. Punjab
8. Rajasthan
9. Gujarat
10. Bihar
11. West Bengal
12. Assam
13. Goa, Daman and Diu
14. Haryana, and
15. Jammu and Kashmir

(b) and (c). The Prime Minister used I. A. F. aircraft during all these tours. No separate costing is done for such flights but recoveries are made at the rates prescribed under the rules.

दिल्ली प्रशासन द्वारा विज्ञापन पट्ट लगाना

2576. **श्री सरजू पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने चुनाव के दौरान 'दिल्ली दि सिटी आफ स्माइल्स' शीर्षक के अंतर्गत बहुत बड़े आकार का विज्ञापन पट्ट लगाया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सार्वजनिक धन का इस प्रकार दुरुपयोग करने का विरोध किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान सूचना तथा प्रसार निदेशालय की योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत स्थूल लक्ष्यों में से एक का संबंध विज्ञापनपट्ट लगाने से था। इसका मार्च, 1972 में हुए चुनावों से कोई संबंध नहीं था। विज्ञापनपट्टों की विषय-वस्तु पूर्णतया गैर-राजनैतिक थी। इसमें एक फुव्वारा तथा उस फुव्वारे को देखने वाले का पार्श्व चित्र दिखाया गया है तथा उस पर केवल निम्नलिखित संदेश लिखा हुआ था :—

'दिल्ली—सिटी आफ स्माइल्स; दिल्ली इज़ यौर सिटी—कीप इट ब्यूटीफुल'

(ख) जी हाँ।

(ग) इसकी जाँच की गई थी तथा यह निर्णय किया गया कि चूँकि विज्ञापनपट्टों के पीछे कोई राजनैतिक प्रयोजन नहीं था, अतः कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

Talks by M. Ps., Journalists and Educationists over A. I. R., Delhi

2577. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of Members of Parliament, Journalists and Educationists among the private persons, whose talks on various subjects were broadcast by the Delhi Station of A India Radio during the years 1970-71 and 1971-72;

(b) the names of such persons belonging to the above three categories separately or the first ten persons who were invited for giving talks on maximum number of occasions; and

(c) the names of such persons who were invited to give talk/talks only once ?

The Minister of State in The Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) to (c) . The required information is furnished in the statements attached. [*Placed in Library. See* No. LT 1728/72].

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए कार्यकारी दलों की स्थापना

2578. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने और केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों के लिए भी कई कार्यकारी दलों की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो कार्यकारी दलों में कौन-कौन सदस्य होंगे; और

(ग) कार्यकारी दलों के गठन के लिए सरकार ने क्या मापदंड अपनाया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों संबंधी अध्ययन दल सहित अनेक संचालन दल/टास्क फोर्सिस/कार्यकारी दल पहले ही गठित किये जा चुके हैं। और दल गठित करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या -1729/72]**

ों के सदस्य योजना आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों के विभिन्न विभागों,
ायत्तशासी संगठनों के अधिकारियों और गैर-सरकारी विशेषज्ञों
की अच्छी जानकारी होती है ।

संबंध में शेख अब्दुल्ला का

ेंगे कि :

श्री हेज़लेहुस्ट द्वारा प्रका-
र के साथ झगड़ा विलय के
था उसके सहयोगी भारतीय

क्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ने उल्लिखित रिपोर्ट देखी है।

(ख) यदि यह वक्तव्य, जैसा बताया गया है, इस बात का संकेत है कि शेख अब्दुल्ला अब विश्वास करते हैं कि भारत के साथ जम्मू व कश्मीर राज्य का विलय अन्तिम है, तो सरकार रवैये में इस परिवर्तन का स्वागत करेगी।

राज्य सरकार भवन के अधिकारियों के विरुद्ध जाँच

2580. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्थित किसी राज्य सरकार के भवन के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कथित जासूसी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच कराई गई है;

(ख) क्या सरकार ने किसी भवन के किसी कर्मचारी की कार्यवाहियों पर कभी कोई संदेह किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या संबंधित राज्य सरकारों को इस मामले में सचेत कर दिया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के लिए चौथी योजना में निर्धारित किया गया धन

2581. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केरल राज्य के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल राज्य के लिए चौथी योजना का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो किन विशेष क्षेत्रों के लिये धन का आबंटन का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केरल का अनुमोदित चौथी पंचवर्षीय योजना परिव्यय 258·40 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग). राज्यों के अपने संसाधनों में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कुछ हद तक चौथी योजना परिव्यय में वृद्धि होने की संभावना है। राज्य सरकार से विचार विनिमय कर अतिरिक्त परिव्यय के क्षेत्रीय वितरण का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

National Employment Schemes

2582. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme for providing employment to the maximum number of unemployed persons at national level;

(b) the estimated number of persons to be provided employment during the next two years as a result of various schemes of the Government; and

(c) the broad outlines of these schemes ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c). Government are taking all possible steps to undertake programmes for generating increasing employment opportunities. Apart from the programmes of economic development with employment bias, which are likely to provide the bulk of the employment opportunities during the Plan period, a number of special programmes designed to deal more directly and effectively with the more vulnerable sections of the population and the areas affected by unemployment and under employment have been formulated. These are programmes for small farmers, submarginal farmers and agricultural labourers, rural works programme in the drought prone areas and the crash scheme for rural employment. Special programmes designed for the benefit of the educated unemployed including engineers and technicians have been initiated in 1971-72 which will be continued during 1972-73 and 1973-74. The main programmes already initiated relate to expansion and improvement of the quality of primary education, rural engineering surveys, agro-service centres, accelerated development of consumer cooperatives, support to small entrepreneurs, preparation of road projects and rural water spply scheme. An allcoation of Rs. 30 crores for expansion and improvement of primary education and Rs. 60 crores for special employment schemes is envisaged in the Budget for 1972-73. Besides continuing the programmes initiated in 1971-72, it is proposed to utilise a sum of Rs. 20 crores in 1972-73 for generating employment and training opportunities for highly qualified technical personnel like engineers, technologists and scientists. This scheme would also include the stepping up of research and development efforts, natural resources surveys on a national scale, strengthening of the technological base and personnel of public sector enterprises and evaluation of technology, both indigenous and imported. It is also proposed to allocate a sum of Rs. 26'5 crores to the different State Governments and Rs. 50 lakhs to the Union Territories for formulating programmes for generating increasing employment opportunities for all sections of the population including highly technical personnel like engineers and sceintists.

No precise estimates of the employment likely to be generated by all the schemes are available. It is roughly estimated that the progammes of small farmers, marginal farmers and agricultural labourers, rural works programme and the crash scheme for rural employment are likely to providee mployment opportunities to about 2·5 million persons each during 1972-73 and 1973-74. The special employment programme for educated unemployed is likely to provide employment to about 3·5 lakh persons during 1972-73.

The Expert Committee on Unemployment set up by the Ministry of Labour & Employment, under the Chairmanship of Shri B. Bhagavati has submitted its Interim Raport, which is currently being examined by an Inter-Ministerial Group set up by the Planning Commission with a view to formulating a programme of action. On the basis of this examination, suitable additional programmes would be taken up for consideration, consistent with the availability of physical and financial resources.

शेख अब्दुल्ला द्वारा प्रधान मंत्री पर कश्मीर और बंगला देश के मामलों में दोहरी नीति अपनाने का आरोप

2583. **श्री एम० एम० जोज़फ :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'दि टाइम्स' (लन्दन) के संवाददाता हेजलहर्स्ट की इस रिपोर्ट पर विचार किया है जिसमें शेख अब्दुल्ला ने भारत की प्रधान मंत्री पर काश्मीर और बंगला देश के मामलों में दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). 10 मार्च, 1972 के लन्दन टाइम्स के अनुसार उसके संवाददाता श्री हेज़लहर्स्ट के साथ साक्षात्कार के दौरान शेख अब्दुल्ला ने भारत की प्रधान मंत्री पर काश्मीर और बंगला देश के मामलों में 'दोहरी नीति' अपनाने का कथित आरोप लगाया।

सरकार प्रतिवेदित वक्तव्य को अनुचित तथा तथ्यों के प्रतिकूल समझती है। दोनों स्थितियों में तुलना करना पूर्णत: असंगत है।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के हेडक्वार्टर्स

2584. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के हैडक्वार्टर्स कहाँ-कहाँ हैं;

(ख) क्या उक्त हैडक्वार्टरों में स्थित सभी जवानों के इस समय रहने के लिए पर्याप्त आवास व्यवस्था नहीं है; और

(ग) इस असुविधा को दूर करने की दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के हैड-क्वार्टर्स मध्य प्रदेश में नीमच तथा बरवाहा में हैं।

(ख) और (ग). नीमच में लगभग 900 पारिवारिक क्वार्टरों तथा 14 अविवाहित-व्यक्ति बैरकों की कुल आवश्यकता की तुलना में विभिन्न श्रेणियों के 485 क्वार्टर तथा 6 अविवाहित-व्यक्ति-बैरक उपलब्ध हैं। शेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने 164 लाख रुपये की लागत से 442 पारिवारिक क्वार्टर तथा 8 अविवाहित-व्यक्ति-बैरक बनाने की पहले ही स्वीकृति दे दी है।

बरवाहा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पास प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आवास है। क्योंकि कार्यकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय स्थान तथा उपलब्ध भूमि को पर्याप्त नहीं पाया गया है, अतः मध्य प्रदेश सरकार की 46 एकड़ भूमि खरीद ली गई है। मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श कर इस भूमि का कब्जा लेने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बन्दी बनाया जाना

2585. **श्री विक्रम महाजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में पाकिस्तान द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कितने जवान बन्दी बनाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : दिसम्बर 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमा सुरक्षा बल के 92 जवान पाकिस्तान द्वारा बन्दी बनाए गये।

भूतपूर्व शासकों को उपहार के रूप में धन दिया जाना

2586. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व शासकों को उनके शासन की समाप्ति का मुआवजा देने के लिए उपहार के रूप में धन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस कारण भारत के सरकारी खजाने पर वास्तव में कितना बोझ पड़ेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). प्रिवी पर्सों तथा विशेषाधिकारों की समाप्ति से उत्पन्न मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल द्वारा परिशोधकों की सप्लाई

2587. **श्री एम० एम० जोज़फ** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड भोपाल ने परिशोधकों की सप्लाई के लिए विभिन्न भारतीय कम्पनियों के साथ अनुबन्ध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुबन्ध की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी हाँ। ऐक्टीफायरों के संभरण के लिए हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल की विभिन्न भारतीय कंपनियों के साथ संविदाओं पर हुई समझौता वार्ता की मोटी शर्तें निम्नलिखित हैं:—

(1) आर्डर के साथ आर्डर की कीमत की 10 प्रतिशत अग्रिम धन राशि ।

(2) आर्डर की तिथि से 6 मास उपरान्त आर्डर के कुल मूल्य का आगे 20 प्रतिशत ।

(3) सुपुर्दगी की अवधि के उपरान्त आर्डर देने की तिथि से उपस्कर के कुल मूल्य का आगे 20 प्रतिशत अग्रिम धन ।

(4) रेलवे रिसीट मिलने पर अवशेष 50 प्रतिशत ।

फिर भी, उपरोक्त शर्तों के मानकीकरण के पूर्व, भेजने के प्रमाण पर देय शेष धन, से प्रगामी देनदारियाँ आर्डर की कीमत से 25 से 60 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न थीं ।

भेजने की तिथि से 18 महीने की अवधि तक अथवा चालू होने की तिथि से, जो भी पहले हो, दोषपूर्ण माल/अंभिकल्प अथवा कारीगरी में खराबी होने पर उपकरण हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्ड०) लि० द्वारा प्रत्याभूत (गारंटीड) हैं ।

Expenditure Incurred on Tours Perofrmed by Ministers During Recent Election to State Assemblies

2588. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the amount of expenditure incurred by Government on tours of each Central Minister, including the Prime Minister, during the recent elections to State Legislative Assemblies i. e., from 1st January, 1972 to 29th February, 1972 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Local and Trunk Calls from P. M.'s Residence

2589. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of local calls and trunk calls made from the residence of the Prime Minister during January, February and March, 1972; and

(b) the total expenditure incurred thereon ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Of the five telephones being subscribed for by the Prime Minister's Secretariat, three telephones (617477,617070 and 376929) are working for the Prime Minister at her residence.

(b) Meter readings are not recorded separately for each calendar month. Information relating to the number of local calls as available on the basis of readings taken nearabout the first & the last date of each month in respect of the 3 telephones is therefore furnished below. As regards trunk calls, the information in respect of official calls made upto the 10th March, 72 only is available and is indicated below :—

(a) Total No. of Local calls : 16,443
Total No. of Trunk calls : 63

(b) Total expenditure : Rs. 7470·35 Paise

इंडियन रेयर अर्थ्‌स लिमिटेड, उद्योग मंडल (केरल) के मैनेजर के विरुद्ध शिकायत

2590. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने निजी भवन के निर्माण के लिए कम्पनी के सीमेंट का प्रयोग करने के बारे में इंडियन रेयर अर्थ्‌स लिमिटेड, उद्योगमंडल केरल के मैनेजर के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन आरोपों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस बारे में जाँच की जा रही है और जाँच की रिपोर्ट का इंतजार है ।

Casualties Amongst Jawans of C. R. P., Neemuch, during Indo-Pak War

2591. **Dr. Laxmi Narain Pandey** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of jawans of the Central Reserve Police, Neemuch, Madhya Pradesh killed during the recent Indo-Pak war;

(b) the number of those injured and disabled, separately; and

(c) the steps taken by Government to provide relief to these disabled jawans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b). During the recent Indo-Pak war no jawan of the Central Reserve Police, Neemuch was killed, injured or disabled.

The number of jawans of the entire CRP Force killed, injured and disabled during the Indo-Pak war is as follows :—

No. killed	...	1
No. injured	...	1
No. disabled	...	1

(c) Liberalised pensionary awards have been sanctioned for the widows of Government servants killed in enemy action and for the war disabled Government servants. These orders will cover also the cases of Central Reserve Police personnel killed disabled during the recent Indo-Pak war,

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा दिल्ली प्रशासन को उपहार के रूप में दिए गए टेलीविजन सेट

2592. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा दिल्ली प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए उपहार के रूप में 100 टेलीविजन सेट दिए गए थे; और यदि हाँ, तो कब; और

(ख) इन टेलीविजन सेटों के वितरण के लिए जो पद्धति अपनाई जायेगी, उसकी मोटी रूप रेखा क्या है और इसमें कितना समय लग जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजना

2593. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों ने योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). शिक्षित बेरोज़गारों के लिए कतिपय स्कीमें शुरू करने के उद्देश्य से 1971-72 के केन्द्रीय बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। योजना आयोग के सुझावों का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय मंत्रालयों ने 1971-72 के दौरान शिक्षित बेरोज़गारों को लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए। योजना आयोग ने जिन स्कीमों की सिफारिश की उनके लिए 1971-72 में 13 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया और इन स्कीमों को चालू रखने पर 1972-73 तथा 1973-74 में से प्रत्येक वर्ष 25 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता होगी। कुछ स्कीमें इस तरह की हैं जिनका खर्चा केन्द्र उठायेगा और कार्यान्वित राज्य सरकारों द्वारा की जायेंगी, जब कि कुछ दूसरी ऐसी हैं जिनका केन्द्र स्वयं संचालन करेगा।

जो मुख्य कार्यक्रम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं वे प्राथमिकता शिक्षा के विस्तार तथा किस्म में सुधार, ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, कृषि-सेवा केन्द्र, उपभोक्ता सहकारी समितियों का तेजी से विस्तार, छोटे उद्यमियों को सहायता, सड़क परियोजनाओं की तैयारी और ग्रामीण जलपूर्ति स्कीमों से संबंधित हैं। वर्ष 1972-73 के बजट में 30 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा सुधार और 60 करोड़ रुपये विशेष रोजगार स्कीमों के लिए आबंटित किए गए हैं।

इसके अलावा उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों जैसे इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा वैज्ञानिकों के लिए रोजगार पैदा करने और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने वाले जिन कार्यक्रमों को 1971-72 में शुरू किया गया था, उन पर 1972-73 में 20 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। इस स्कीम में अनुसंधान और विकास प्रयत्नों को बढ़ाना, राष्ट्रीय आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, सरकारी क्षेत्र उद्यमों को तकनीकी आधार और कर्मचारियों से सुदृढ़ करना तथा देशी व आयातित दोनों प्रकार की प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना शामिल हैं। इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों जैसे उच्च तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्तियों सहित जनता के सभी वर्गों के लिए अधिक रोजगार के अवसर सुलभ करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को 26·5 करोड़ रुपये तथा संघ शासित क्षेत्रों को 50 लाख रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में योजना आयोग पहले ही राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों को लिख चुका है कि वे योजना आयोग के विचारार्थ उपयुक्त कार्यक्रम 1 मई 1972 तक भेज दें।

Utilisation of Amount Allocated to Madhya Pradesh for Development Purposes

2594. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the amount allocated to Madhya Pradesh for development purposes during the last three years has not been utilised properly or fully in the State : and

(b) if so, a brief account thereof and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b). While the total Plan expenditure of Madhya Pradesh during the last three years (1969-72) would exceed the approved outlays, there would be some shortfall in the utilization of Central assistance on account of shortfall in expenditure in 1971-72 on two earmarked programmes *viz.*, Cooperation and Elementary Education, the resources for which are being ascertained from the State Government.

Adequate Representation of People from Northern India in I. A. S.

2595. **Shri Jagannath Mishra** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Northern India does not have adequate representation in the Indian Administrative Service;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the scheme formulated by Government to remove this disparity ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir. However, article 16 (1) of the Constitution prohibits discrimination in the matter of public employment on ground of place of birth or of residence.

(b) and (c). Do not arise.

हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल में नौकरी देना

2596. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल में मध्य प्रदेश से भिन्न राज्यों के लोगों को इस आधार पर नौकरियाँ दी जा रही हैं कि उनके संबंधी मध्य प्रदेश राज्य में रह रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती करने के लिए निर्धारित की गई नीति के अनुसार हैवी इलैक्ट्रिकल (इंडिया) लि०, भोपाल में कार्मिकों को नौकरी दी जाती है । इस नीति के मुताबिक, 210 रु० से कम के मूल वेतनों वाले तकनीकी तथा वैज्ञानिक स्थानों के साथ, 500 रु० प्रति मास के मूल वेतनों वाले गैर-तकनीकी तथा गैर-वैज्ञानिक स्थानों पर, जो स्थानीय सेवा नियोजन में अधिसूचित होते हैं, नियुक्ति के लिए स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जाती है। जबकि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के लोगों को, इस आधार पर कि उनके संबंधी मध्य प्रदेश में हैं, हैवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लि०, भोपाल में रोजगार देने में वरीयता नहीं दी जाती है, यह असंभाव्य नहीं है कि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के लोग अपने संबंधियों आदि का स्थानीय पता देकर अपना पंजीकरण स्थानीय सेवा नियोजन में करा सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों को, यद्यपि कि वे मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के होते हैं, जब रोजगार दफ्तरों द्वारा भेजा जाता है तो उन्हें हैवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लि०, भोपाल में रोजगार पाने से रोका नहीं जा सकता है । इसके अतिरिक्त, जहाँ स्थानीय रोजगार दफ्तर उपयुक्त उम्मीदवार देने में असमर्थ हैं और वह अनुपलब्धता का प्रमाणपत्र जारी कर देता है तो उन स्थानों को मध्यप्रदेश राज्य के ही प्रमुख समाचार पत्रों में अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में विज्ञापित किया जाता है । हाँ, मैं यह कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से रहने वालों के लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अब निवास प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में जिला प्राधिकारियों को कुछ अनुदेश जारी किए हैं । 500 रु० और 210 रु० प्रतिमास से कम वाले स्थानों के लिये, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हैवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लि०, भोपाल में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अब उन्हें हैवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लि०, भोपाल में रोजगार पाने से पहले मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने का प्रमाणपत्र देना पड़ता है ।

Naxalites arrested in Delhi

2597. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) the number of Naxalites arrested in the Union territory of Delhi during the last two years; and

(b) the nature of objectionable literature and other articles seized from them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) According to the information furnished by the Delhi Administration, fifteen persons were arrested for Naxalite activities in the Union Territory during the period of two years from 1st April, 1970 to 31st March, 1972.

(b) Extremist literature including Chinese publications as well as incriminating hand-written documents were seized.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी का दूर किया जाना

2598. **श्री राम सहायक पांडे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बेरोज़गारी दूर करने हेतु रोज़गार के संबंध में कोई नये तरीके निकाले जायेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). पांचवी पंचवर्षीय योजना तैयार करने से संबंधित प्रारंभिक कार्य अभी हाल में ही आरम्भ किया गया है। अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि पांचवीं योजना में शामिल की जाने वाली स्कीमों की विशेषताएं क्या होंगी।

टेलीविजन पर व्यापारिक विज्ञापन

2599. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पर व्यापारिक विज्ञापन को आरंभ करने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Encouraging use of Hindi in Government Offices

2600. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the further steps proposed to be taken by Government to encourage the use of Hindi in Government offices;

(b) whether Central Government have opened a Translation Cell in each Government office for translating the material used in official work; and

(c) if so, the manner in which the translated material is being used with a view to encourage the use of Hindi in official work ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) An annual programme is drawn up with a view to encourage the use of Hindi for transaction of official business of the Government of India. A copy of the annual programme for the year 1971-72 is annexed. [*Placed in Library. See* No. LT—1730/72].

(b) Instructions have been issued to the Ministries/Departments to make adequate translation arrangements according to their requirements.

(c) The translated material is utilised for (i) implementation of the official languages Act, 1963 as amended; (ii) facilitating transaction of official business by those who are not proficient in Hindi; and (iii) making available departmental forms, manuals etc. to those who may like to use them.

Printing of Government Forms/Letter Heads in both Hindi and English

2601. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the forms/letter heads/D. O. letters used in Government Offices are also printed in Hindi along with English;

(b) if so, whether noting on these forms is done in both the languages; and

(c) if not, the idea behind the printing of these forms in Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) In accordance with the existing instructions all forms should contain headings both in Hindi and English.

(b) Noting is mostly done on files. Forms etc. are not generally used for the purpose of noting. Under the provisions of the Official Languages Act, 1963, as amended, the Central Government employees are free to do their noting in Hindi or English.

(c) The forms are being printed in Hindi and English as a first step towards the introduction of Hindi in the regular administrative work of Government offices and with a view to familiarise the staff with Hindi terms.

Setting up of Small Scale Industries in Hill areas by Small-scale Industries Development Organisation

2602. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether lhe Small Scale Industries Development Organisation has taken any steps for setting up and developing small scale industries in hill areas in the country and if so, an outline thereof; and

(b) the nature of obstacles coming in its way ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The S. S. I. D. O., as a part of its regular programme has been sending their teams of experts to conduct techn-oecnomic survey of certain areas in the country including some of the hill districts to identify industries both existing as well as new ones, based on local raw materials, skills and other economic infrastructure. The following hill areas have been convered by such surveys :

(i) Bilaspur

(ii) Kangra

(iii) Kinnaur

(iv) Lahaul & Spiti

(v) Mandi

(vi) Chamba

(vii) Entire State of J. & K. including Ladakh area, Baramulla, Doda, Rajouri and Poonch

(viii) Nilgiris

(ix) Coorg

(x) Almora

(xi) Border areas of Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi in U. P.

(xii) Border areas of U. P. adjoining Tibet

(xiii) Darjeeling

(xiv) Arunachal Pradesh (NEFA)

(xv) Nagaland

The follow-up action on the recommendations made in these reports is generally initiated by the concerned State Governments, as normally the surveys are carried out at their instance. In the light of the recommendations made in these reports, the concerned State Governments have initiated action for setting up industrial units. The pace of work, however, need to be accelerated.

The Government have also announced certain measures in regard to capital subsidy, transport subsidy and concessional finance which are applicable to Small Scale Industries also including those in hill areas.

(b) By and large absence of infrastructural facilities, lack of entrepreneurship have been responsible for the slow development.

Report of Technical Experts sent to Hill Areas for Setting up Small-Scale Industries

2603. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government have sent any team of technical experts to hill areas in the country to find out as to how the raw material available there can be utilised for the setting up of small scale or cottage industries there; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad : (a) and (b). The S. S. I. D. O. as part of its regular programme has been sending their teams of experts to conduct techno-economic survey of certain areas in the country including some of the hill districts, to identify industries both existing as well as new ones, based on local raw materials, skills and other economic infrastructure.

The follow-up action on the recommendations made in these reports is generally initiated by the concerned State Governments, as normally the surveys are carried out at their instance. In the light of the recommendations made in these reports, the concerned State Governments have initiated action for setting up industrial units. The pace of work however need to be accelerated.

प्रेस सूचना ब्यूरो में अप्रयुक्त अनुदान

2604. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1970-71 में गैर-योजना कार्यों के लिये 74·94 लाख रुपये, योजना कार्यों के लिए 2·68 लाख रुपए और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए 1·90 लाख रुपये के अनुदानों में से प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) यदि अनुदानों का पूरा उपयोग नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन महीनों में इन शीर्षों की शेष राशि किस प्रकार खर्च की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है जिसमें स्वीकृत बजट अनुदान, वास्तविक व्यय, उपयोग नहीं की गई राशि और उसके मुख्य कारण दिए गए हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1731/72.**]

(ग) पहले नौ महीनों (अप्रैल 70 से दिसम्बर 70 तक) तथा अंतिम 3 महीनों (जनवरी 71 से मार्च 71 तक) के दौरान हुए व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण भी सदन की मेज़ पर रख दिया गया है ।

'केन्डु' किस्म का रिएक्टर

2605. **श्री वी० एन० पी० सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'केन्डु' किस्म के रिएक्टरों की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) ये रिएक्टर औसतन कितनी भार-क्षमता पर चल रहे हैं; और

(ग) वे प्रतिवर्ष कितने किलोग्राम प्लूटोनियम का उत्पादन कर रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) निर्माणाधीन राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में केन्डु किस्म के दो रिएक्टर होंगे, जिनमें से प्रत्येक की शुद्ध उत्पादन-क्षमता 200 मेगावाट होगी। निर्माणाधीन मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में केन्डु किस्म के दो रिएक्टर होंगे, जिनमें से प्रत्येक की शुद्ध उत्पादन-क्षमता 215 मेगावाट होगी। इन दोनों परियोजनाओं में से किसी ने भी अभी तक क्रान्तिकता प्राप्त नहीं की है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र की किरणीयन सुविधाओं संबंधी रिपोर्ट

2606. **श्री वी० एन० पी० सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र द्वारा किरणीयन सुविधाओं संबंधी नई योजना के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह रिपोर्ट अब प्रस्तुत हो चुकी है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने रेडियो आइसोटोपों तथा किरणीयन की विधि का इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें भोजन के परिरक्षण, डाक्टरी कामकाज में आने वाले सामान का निर्जर्मीकरण, रेडियो-भेषजों के उत्पादन इत्यादि के लिए किरणीयन करने की सुविधाओं की व्यवस्था भी शामिल है, एक दस-वर्षीय महत्वपूर्ण योजना तैयार की। डाक्टरी कामकाज में आने वाले सामान के निर्जर्मीकरण के लिए ट्राम्बे में एक निदर्शक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। गेहूँ, प्याज, आलू तथा समुद्र से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों जैसी चीजों के किरणीयन के लिए संयंत्र लगाने की योजना का कार्यान्वयन करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसे इस संबंध में एक आवेदनपत्र भेजा गया है, की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र द्वारा धन का उपयोग न करना

2607. **श्री वी० एन० पी० सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र के अन्तर्गत सेंट्रल वर्कशाप का विस्तार करने के लिए बजट में निर्धारित 61 लाख रुपये का निर्धारित समय में उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इसके क्या परिणाम होंगे ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में

निर्धारित राशि में से 61 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था सेंट्रल वर्कशाप के विस्तार के लिए की गई है। सुविधाओं के विस्तार एवं अतिरिक्त मशीनों की खरीद के लिए एक योजना बनाई जा चुकी है और आशा है कि इस आबंटित राशि का प्रयोग चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति (31 मार्च, 1974) से पूर्व कर लिया जाएगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

1974 में रोहिणी वैज्ञानिक उपग्रह का छोड़ा जाना

2608. **श्री बी० एन० पी० सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1974 के मध्य तक प्रथम रोहिणी वैज्ञानिक उपग्रह छोड़ने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई और राकेट का आकार क्या होगा तथा उपग्रह में लगे उपकरण तथा भू-परीक्षण सुविधायें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : प्रस्तावित रोहिणी वैज्ञानिक उपग्रह के डिजाइन के विवरण को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इस उपग्रह को ले जाने वाला राकेट चार चरणों का होगा। 125 मि० मी० व्यास वाले राकेट थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से छोड़कर परखे जा चुके हैं तथा 560 मि० मी० व्यास वाले राकेटों की जाँच आँध्र प्रदेश के श्रीहरिकोट राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से छोड़कर की जाएगी। 560 मि० मी० से अधिक व्यास के राकेटों का विकास किया जा रहा है। श्री हरिकोट राकेट प्रक्षेपण केन्द्र, जहाँ से पहला भारतीय उपग्रह छोड़ा जाएगा, से पहला राकेट अक्तूबर, 1971 में छोड़ा गया था।

उपग्रह को छोड़ने के काम में आने वाले राकेट का नियन्त्रण एवम् पथप्रदर्शन करने वाली प्रणाली में लगने वाले बहुत से अत्यन्त परिशुद्ध तथा परिष्कृत संघटकों तथा असैम्बलियों का विकास सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसमें से कुछ संघटकों की जाँच, राकेटों को छोड़कर की जा चुकी है। विकास के भविष्य के कार्यक्रम में सहायता देने के लिए इंजीनियरिंग तथा प्रयोग-शालाओं संबंधी सुविधाओं को विस्तार करने का काम चल रहा है।

टेलीविजन संगीत और नाटक विभाग तथा आकाशवाणी के अधिकारियों की सेवा अवधि में वृद्धि

2609. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में टेलीविजन संगीत और नाटक विभाग तथा आकाशवाणी के श्रेणी-1 के अधिकारियों के पदनाम क्या हैं जो वर्ष 1971 में और वर्ष 1972 में अब तक सेवानिवृत्त हो गये हैं; और

(ख) उपरोक्त विभागों के श्रेणी-1 के उन अधिकारियों के पदनाम क्या हैं जिनकी सेवा अवधि में वृद्धि की गई है और प्रत्येक मामले में ऐसा करने के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) वर्ष 1971 के दौरान

तथा 1972 में अब तक टेलीविजन सहित आकाशवाणी तथा संगीत और नाटक प्रभाग के श्रेणी-1 के निम्नलिखित अधिकारी सेवा निवृत्त हुए हैं :—

पदनाम	1971	1972 (अब तक)
टेलीविजन सहित आकाशवाणी		
महानिदेशक	—	1
उप महानिदेशक	2	—
मुख्य इंजीनियर	1	—
उप मुख्य इंजीनियर	1	1
कार्यक्रम निदेशक	1	—
बिक्री निदेशक (वाणिज्यिक प्रसारण सेवा)	1	—
अतिरिक्त केन्द्र निदेशक	2	—
सहायक कार्यक्रम निदेशक	—	1
सीनियर इंजीनियर	2	—
केन्द्र इंजीनियर	2	1
सहायक केन्द्र निदेशक	1	—
सहायक केन्द्र इंजीनियर	2	1
गीत और नाटक प्रभाग		
उप निदेशक	1	—

(ख) केवल आकाशवाणी के महानिदेशक का सेवाकाल 5 महीने के लिए बढ़ाया गया था, क्योंकि इस पद के लिए निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार उनके उत्तराधिकारी के चयन की विभिन्न वैकल्पिक विधियाँ समय पर पूरी नहीं हो सकीं।

साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने संबंधी निर्णय

2610. **श्री शशि भूषण :**
श्री बी० वी० नायक :

क्या गृह मंत्री साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने के लिए संसद सदस्यों के ज्ञापन के बारे में 1 दिसम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2497 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस विषय में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). मामले की अभी तक जाँच की जा रही है। सरकार ऐसी रूपरेखा के बारे में विचार कर रही है जिससे इस विषय पर विधान तैयार किया जा सके ।

चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की सहायता के लिए पी० एल०-480 कोष का उपयोग

2611. **श्री शशि भूषण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के आरोपों की जाँच की है कि पी० एल०-480 कोष का उपयोग भारत में मार्च, 1971 और मार्च, 1972 में राज्य विधान सभाओं और संघ राज्य क्षेत्र के लिए आयोजित आम चुनावों में साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों की सहायता के लिए किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है कि उसका दुरुपयोग न किया जा सके ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) मार्च, 1972 के आम चुनावों में साम्प्रदायिक राजनैतिक दलों की सहायता के लिए भारत में पी० एल०-480 कोष के दुरुपयोग के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार

2612. **डा० रानेन सेन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की विस्फोटक और बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग एक अध्ययन दल की स्थापना करेगा जो उक्त समस्या को हल करने के लिए योजनाओं का सुझाव देगा; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी स्थापना कब की जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). शिक्षित बेरोजगारी की समस्या एक अखिल भारतीय समस्या है जिससे न केवल पश्चिम बंगाल अपितु सभी अन्य राज्य भी प्रभावित हैं। भारत सरकार (श्रम तथा रोजगार मंत्रालय) द्वारा गठित की गई बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति पहले से ही उन उपायों पर विचार कर रही है जो कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों तथा विभिन्न राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बरते जाने हैं। समिति पहले ही एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है जिसमें सभी राज्यों में, रोजगार बढ़ाने के अल्पावधिक उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट पर इस समय योजना आयोग द्वारा

गठित एक अन्त:मंत्रालय दल विचार कर रहा है। इस बात को देखते हुए अब पश्चिम बंगाल अथवा किसी अन्य राज्य के लिए अलग से अध्ययन दल गठित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

विभिन्न राज्यों में शिक्षित बेरोजगारों को अधिक रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए भारत सरकार द्वारा हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों के लिए 1971-72 में विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए थे जिनके लिए 25 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। इनमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

1. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तथा उसका गुणात्मक विकास
2. ग्राम अभियांत्रिकी सर्वेक्षण
3. कृषि सेवा केन्द्र
4. उपभोक्ता सहकारी समितियों का तेजी से विकास
5. छोटे उद्यमियों को सहायता
6. सड़क परियोजनाएँ तैयार करना, तथा
7. ग्राम जल आपूर्ति स्कीम

1972-73 के बजट में प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा विस्तार के लिए 38 करोड़ रुपये का तथा विशेष रोजगार स्कीमों के लिए 60 करोड़ का आबंटन रखा गया है। 1972-73 में प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों को जारी रखने के अतिरिक्त 1972-73 में सभी राज्यों में इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी विज्ञानियों तथा वैज्ञानिकों जैसे उच्च योग्यता प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों के लिए रोजगार तथा प्रशिक्षण के अवसर पैदा करने के लिए 20 करोड़ रुपये की धनराशि उपयोग में लाने का विचार है। इस स्कीम में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे : अनुसंधान तथा विकास प्रयत्नों को बढ़ाना, राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, प्रौद्योगिकी आधार को सुदृढ़ करना तथा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के प्रौद्योगिकी आधार को सुदृढ़ करना तथा देशी और आयातित प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना। इंजीनियरों और वैज्ञानिकों जैसे उच्च तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों सहित जनता के सभी वर्गों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के कार्यक्रम बना कर विभिन्न राज्य सरकारों के लिए 26·5 करोड़ रुपये की धनराशि का तथा संघ शासित क्षेत्रों को 50 लाख रुपये की राशि आबंटित करने का विचार है।

National Income and Per Capita Income

2613. **Shri Jagannathrao Joshi : Will the Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the rate of increase in the national income and the per capita income has gone down in 1970-71 as compared to 1969-70; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) 'Quick estimates' of national income for the year 1970-71 at constant (1960-61) prices

showed an increase of 4·7 per cent over the previous year, as against 5·3 per cent in 1969-70 over 1968-69. The corresponding figures for increase in per capita income in 1970-71 was 2·4 per cent as compared to 2·9 per cent in 1969-70.

(b) The decline in the rate of increase in 1970-71 compared with 1969-70 was mainly due to a lower level of production in mining and quarrying, and slower growth in the organised manufacturing sector and trading activity.

थुम्बा भूमध्यवर्ती राकेट लांचिंग केन्द्र से राकेटों को छोड़ने में विलम्ब

2614. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थुम्बा भूमभ्यवर्ती राकेट लांचिंग केन्द्र के त्रिवेन्द्रम में दो 'डूअल' राकेटों को छोड़ने के निर्धारित कार्यक्रम में राकेट की असफलता के कारण विलम्ब हो गया है;

(ख) इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ग) क्या यह परीक्षण जर्मन संघीय गणराज्य के शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से किया गया था ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी): (क) से (ग). त्रिवेन्द्रम के समीप स्थित थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से दो ड्यूलहाक राकेट छोड़ने के कार्यक्रम के बारे में भारत सरकार तथा जर्मन संघीय गणराज्य सरकार सहमत हुई थीं। राकेटों तथा कार्यभारों की व्यवस्था करने का दायित्व जर्मनी का था और राकेट छोड़ने में सहायक कार्य करने तथा भूमि पर स्थित कैमरा स्टेशनों की सहायता से आँकड़े इक्ट्ठे करने का दायित्व भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन का। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य विषुवदीय आयनमण्डल में प्रसार-एफ (Spread-F) के कारणों का पता लगाना था। 5 मार्च, 1972 तथा 11 मार्च, 1972 को छोड़ गए राकेटों के असफल रहने के कारण परीक्षण के उद्देश्य पूरे नहीं हुए।

दक्षिण दिल्ली में चोरी आदि के मामले

2615. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में हाल ही में चोरी आदि की घटनाएँ हुई थीं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दक्षिण दिल्ली की पुलिस ने कोई गिरफ्तारियां की हैं और इस बारे में कोई माल बरामद किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और क्या माल बरामद किया गया ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हाँ । गत 3 महीनों में दक्षिण दिल्ली में चोरी के 154 मामले तथा मामूली चोरी के 932 मामले सूचित किये गये थे ।

(ख) जी हाँ । चोरी के मामलों में 34 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और मामूली चोरी के मामलों में 101 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । बहुत से मामलों में चोरी की गई सम्पत्ति बरामद कर ली गई है ।

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों तथा पकड़ी गई सम्पत्ति की सूचियाँ संलग्न हैं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—732/72]**

सरकारी क्षेत्र में छोटी कार का निर्माण

2616. **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में बनाए जाने वाली छोटी कार के निर्माण के लिए माडल और विदेशी सहयोग के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है;

(ग) यह कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया जायेगा तथा इसमें निर्माण कार्य कब शुरू हो जायेगा; और

(घ) वहाँ प्रति वर्ष कितनी कारें निर्मित की जायेंगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

ग्रेड-2 स्टेनोग्राफर परीक्षा

2617. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 मार्च, 1970 के बाद बनाये गये पदों समेत 19 फरवरी, 1972 को ग्रेड-2 स्टेनोग्राफरों के कितने पद थे;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1971 में ली गई स्टेनोग्राफरों की परीक्षा में 4,000 उम्मीदवार बैठे थे, जिनमें से केवल 100 को चुना गया और अन्य स्थान भरे नहीं गये और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या 1971 के शेष उत्तीर्ण उम्मीदवारों का, फरवरी, 1972 के परीक्षार्थियों के दावों पर विचार करने से पहले चयन कर लिया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) 2366 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 987 उम्मीदवारों ने स्टेनोग्राफी की परीक्षा में अर्हता प्राप्त की । इनमें से 839 उम्मीदवार स्टेनोग्राफी की परीक्षा में बैठे । सम्बन्धित प्राधिकारियों ने संघ लोक सेवा आयोग को परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिए कुल 112 रिक्तियाँ सूचित की थीं और तदनुसार आयोग ने 112 उम्मीदवारों को अर्हक घोषित किया और उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की । शेष रिक्तियाँ, यदि कोई हों, संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा विद्यमान ग्रेड-3 स्टेनोग्राफरों को उन पर पदोन्नति देने के लिए रख दिया गया है, जिनके संबंध में संगत सेवा नियमों में पदोन्नति कोटे की व्यवस्था की गई है ।

(ग) वर्ष 1971 परीक्षा के सभी उम्मीदवारों जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अर्हक घोषित किया जा चुका है, उन्हें सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति के लिए विचारा जाएगा ।

अशोक पेपर मिल्ज लिमिटेड, दरभंगा (बिहार)

2618. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार एवं आसाम सरकारों तथा कुछ निजी व्यक्तियों के संयुक्त प्रयास के रूप में प्रारम्भ की गई अशोक पेपर मिल्ज लिमिटेड, रमेश नगर, दरभंगा (बिहार) को चालू करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कारखाने में उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा; और

(ग) इस कारखाने पर कुल कितनी पूंजी लगेगी और इसकी उत्पादन क्षमता क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विदेशी सहयोग करार किया जा चुका है और देशी तथा आयातित दोनों प्रकार की मशीनों के प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध किये गये हैं । वित्तीय संस्थाओं से ऋण के लिए बातचीत की जा रही हैं ।

(ख) आसाम एकक में दिसम्बर, 1973 तक और बिहार एकक में 1974 के प्रारम्भ में उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है ।

(ग) परियोजना में लगने वाली कुल अनुमानित राशि 26·96 करोड़ रुपये है । कारखाने की क्षमता निम्न प्रकार है:—

आसाम एकक :	लुगदी	36,000 टन
	लिखाई व छपाई के कागज	27,000 टन
बिहार एकक :	रैपर पल्प	4,500 टन
	स्पेशलिटी पेपर	13,500 टन

केरल में तकनीशनों की सहकारी समितियों को अनुदान

2619. **श्री एम० एम० जोज़फ :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने तकनीशनों की सहकारी समितियों के लिए अंश पूंजी के रूप में केरल सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने धन की माँग की गई थी तथा कितना धन मंजूर किया गया; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को शेष धन देने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) शिक्षित बेरोजगारों की सहायता करने के लिए राज्य सरकारों से यह कहा गया था कि वे नियत आबंटन में से कुछ निर्दिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन करें जिसमें अन्य बातों के साथ तकनीशियनों की सहकारी समितियाँ सम्मिलित हैं। इस योजना में राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्दर आबंटन राशि में से किये गये वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें करने का विचार है।

(ख) केरल सरकार ने सूचित किया है कि उसने इस योजना के अधीन शिक्षित बेरोजगारों की सहायता पर 15·70 लाख रुपये की राशि व्यय की है जिसकी स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल राज्य लघु उद्योग निगम को ऋण देना

2620. **श्री एम० एम० जोज़फ :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगपतियों को किराया-खरीद आधार पर मशीनरी सप्लाई करने के लिए भारत सरकार ने केरल सरकार को, केरल राज्य लघु उद्योग निगम को ऋण के रूप में कोई वित्तीय सहायता मन्जूर की है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने धन की मांग की गई थी और कितना धन मन्जूर किया गया; और

(ग) राज्य सरकार को शेष धन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) शिक्षित बेरोजगारों की सहायता करने के लिए राज्य सरकारों से निर्धारित आबंटन के अन्दर कुछ विशिष्ट योजनायें क्रियान्वित करने के लिए कहा गया था जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य लघु उद्योग निगमों, जहाँ कहीं भी वे हैं, में राज्य सरकारों की निधियों समेत उद्योगपतियों को किराया खरीद के आधार पर मशीनों की सप्लाई करना सम्मिलित है। इस योजना में उन्हें आबंटित की गई राशि के

अन्दर राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय वर्ष में किए गये वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करने का विचार है।

(ख) केरल सरकार ने इस योजना के आधीन शिक्षित बेरोजगारों पर 15·7 लाख रुपये व्यय करने की सूचना दी है जिसकी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए उड़ीसा से प्राप्त प्रार्थनापत्र

2621. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए उड़ीसा से कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए और कितने लाइसेंस दिये गये; और

(ख) इस अवधि में वहाँ कितने उद्योग स्थापित किये गये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उड़ीसा से औद्योगिक लाइसेंस के लिए 80 आवेदन पत्र मिले थे और विगत तीन वर्षों अर्थात् 1969 से 1971 में 15 आशय पत्र जारी किये गये।

(ख) ऐसा देखा गया है कि व्यावहारिक तौर पर औद्योगिक लाइसेंस जारी किये जाने के बाद नया उपक्रम स्थापित करने में लगभग दो से तीन वर्ष का समय लगता है। 1969 या उसके बाद जिन पार्टियों को लाइसेंस दिये गये हैं अधिकांश मामलों में ऐसा विश्वास है कि वे अपना उपक्रम स्थापित करने में लगी हुई हैं।

आकाशवाणी के लिए शक्तिशाली ट्रांसमीटर

2622. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोगों के प्रसारणों के कारण यहाँ के प्रसारणों को सुनने में होने वाली गड़बड़ी को दूर करने के लिए आकाशवाणी को और अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर मंगाये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस नयी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नन्दिनी सत्पथी) : (क) समस्या दूसरे देशों द्वारा पैदा की गई गड़बड़ी की इतनी नहीं है, जितनी कि सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश के अधिकांश भाग को प्रभावशाली रूप से कवर करने में हमारे समर्थ होने, और विदेश सेवाओं के माध्यम से देश के स्वरूप को विदेशों में प्रतिबिम्बित करने की।

(ख) इस क्षेत्र में चौथी योजना के लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(1) देश में मीडियम वेव प्रसारण का प्रत्येक राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या के लिए विस्तार।

(2) सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए प्रसारण का विस्तार।

(3) विदेश सेवाओं का विकास करना तथा उनको सुदृढ़ बनाना।

वर्ष 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केरल के अस्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन न देना

2623. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केरल राज्य के अस्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनका पूरा वेतन दे दिया गया है;

(ख) क्या देश के अन्य भागों में अस्थायी कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं दिया गया है और यदि हाँ, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). ऐसा अनुमान किया जाता है कि सदस्य उच्चतम न्यायालय की 1971 की सिविल अपील संख्या 1706 (एन) दिनांक 18 फरवरी, 1972 के निर्णय का उल्लेख कर रहा है। यदि ऐसा है तो, उस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित किया जा चुका है। इसी प्रकार, अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के संबंध में केरल उच्च न्यायालय के निर्णयों को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। जहाँ तक अन्य अस्थायी कर्मचारियों का संबंध है, दिनांक 24 मार्च, 1972 को आयोजित की गई संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के अधीन स्थापित राष्ट्रीय परिषद् की पिछली बैठक में इस मामले में विचार किया गया। परिषद् में किये गये विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में आगे विचार किया जा रहा है।

भारतीय जन प्रचार संस्था की परियोजनाएँ

2624. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन प्रचार, परिवार नियोजन की प्रेरणा संबंधी परियोजनाओं और 1970-71 में भारतीय जन-प्रचार संस्था द्वारा बनाये गये बाल चित्रों का प्रेरणा अध्ययन करने संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) 1971-72 में संस्था द्वारा कौन-कौन सी परियोजनायें हाथ में ली गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) वर्ष 1970-71 के दौरान, भारतीय जनसम्पर्क संस्थान ने दो अनुसंधान परियोजनाओं (1) परिवार नियोजन सम्पर्क तथा परिवार नियोजन के लिए प्रेरणा तथा (2) बाल फिल्मों का प्रेरणा अध्ययन के बारे में प्रस्ताव तैयार किये थे, जिनकी मुख्य बातें ये थीं :

1. परिवार नियोजन सम्पर्क तथा प्रेरणा अध्ययन का उद्देश्य यह पता करना था कि :

(1) वह बिन्दु जिसके परे जनसम्पर्क के बहुमुखी माध्यमों के द्वारा परिवार नियोजन के सन्देशों के साथ साथ प्रसार के परिणाम नहीं निकलते;

(2) परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने की दृष्टि से—

(क) बहुत अधिक सफल क्षेत्रों, तथा

(ख) कम सफल क्षेत्रों में विद्यमान जनसम्पर्क के स्तर एवं मात्रा में अन्तर;

(3) विभिन्न दृष्टिकोण के उन नेताओं, जिनसे वास्तविक मूल स्तर पर परिवार नियोजन के सन्देश को लोकप्रिय बनाने की आशा की जाती थी, में परिवार नियोजन के सन्देश की समस्या और सहमति का स्तर;

(4) सर्वोत्तम प्रभावशाली सन्देश जिससे विभिन्न वर्गों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा; और

(5) विभिन्न दृष्टिकोणों के नेताओं को प्रेरणा देने के लिए प्रशिक्षण का उपयुक्त कार्यक्रम ।

2. बाल फिल्मों का प्रेरणा अध्ययन :

बाल फिल्मों के अध्ययन का उद्देश्य यह पता करना था कि बाल चित्र समिति द्वारा निर्मित फिल्मों का कितना प्रभाव पड़ता है ।

(ख) 1971-72 के दौरान संस्थान के द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएँ हाथ में ली गईं :

(1) चुनाव में जनसम्पर्क की भूमिका—मार्च, 1971 में हुए संसदीय चुनाव में हरियाणा के एक ग्रामीण क्षेत्र में जनसम्पर्क की भूमिका का अध्ययन ।

(2) भारतीय उप-महाद्वीप में हाल ही की प्रगति की अनुभूति-ग्रामीण स्तर पर इन प्रगतियों की अनुभूति तथा सहमति को जानने के दृष्टिकोण से एक अध्ययन कार्य हाथ में लिया गया ।

इटली से स्कूटर कारखाने का खरीदा जाना

2625. **श्री पी० के० देव** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1972 को साप्ताहिक 'करेंट' में प्रकाशित इटली से एक स्कूटर का कारखाना खरीदने संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या प्रस्तावित कारखाना 20 वर्ष पुराना है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). संयंत्र सहित विभिन्न मशीनों और उपकरणों को समय समय पर इटली की फर्म से प्राप्त किया गया है। अधिकतर उत्पादन उपकरण 10 वर्ष से कम पुराने हैं और ऐसे उपकरणों की आर्थिक जीव्यता विशिष्ट उद्देश्यीय उपकरण की 7 से 10 वर्ष तक और सामान्य उद्देश्यीय उपकरण की 4 से 6 वर्ष की अवधि की है। प्राय: 67 प्रतिशत उपकरण विशिष्ट उद्देश्यीय हैं। सामान्य उद्देश्यीय उपकरण की कुछ वस्तुएँ जो 10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम पुरानी हैं गत 10 वर्ष की अवधि में इटली की फर्म ने उनकी मरम्मत आदि करके पूर्ण उत्पादन तकनीक के अनुकूल बना दिया है।

"Demand Week" observed under the auspices of Akhil Bhartiya Sampradayikta Virodhi Samiti

2626. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a 'Demand Week' was observed in Delhi and other States from the 18th to 24th March last under the auspices of the Akhil Bhartiya Sampradayikta Virodhi Samiti;

(b) if so, whether workers of the said Samiti went in a procession to her residence on the 24th March, 1972 and handed over a memorandum to her, if so, the contents thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). The representatives of the Akhil Bhartiya Sampradayikta Virodhi Samiti met the Prime Minister on 24th March, 1972 and presented a memorandum, demanding ban the communal paramilitary organisations like the R. S. S. S. and the Jamaat-e-Islami.

(c) There does not exist any law empowering the Government to ban communal organisations. The Criminal Law (Second Amendment) Bill, 1970, containing provisions *inter alia* to deal with the activities of communal organisations, had to be withdrawn at the introduction stage in September, 1970 in view of the objections raised by opposition parties in the fourth Lok Sabha. Keeping in view the objections then raised, Government are considering the lines on which legislation on the subject should be undertaken.

Backwardness in Bihar in the field of Science and Technology

2627. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Bihar is the most backward State in the field of Science and Technology;

(b) if so, whether Government have form ulated any scheme in this regard; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Planning and Minister of Department of Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c). The infrastructure for science and technology and the facilities for technical education organised and developed in Bihar compare favourably with similar facilities in other States. As far as this Department is concerned, two of the CSIR's largest laboratories, namely the Central Fuel Research Institute and the Central Mining Research Station are located in Dhanbad, Bihar. A great deal of the country's heavy industry and its coal mining industry are situated in Bihar. The Indian Institute of Mines, the country's premier institution for the production of mining and prospecting engineers is situated in Dhanbad.

The statement, therefore, that Bihar is the most backward State in the field of Science and Technology would be difficult to sustain.

Meeting with Chief Ministers to discuss Fifth Plan

2628. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Planning Commission intends to have a meeting with the State Chief Ministers to discuss the Fifth Plan; and

(b) if so, when this meeting is likely to take place and the subjects to be discussed ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) The date, time and agenda of the meeting is under consideration.

खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित नई मशीनों पर गोष्ठी

2629. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित तथा प्रयुक्त नयी मशीनों तथा उपकरणों के बारे में विचार-विमर्श तथा जाँच करने के लिए नई दिल्ली में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस गोष्ठी में क्या निर्णय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात के गाँवों में टेलीफोन

2630. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वकारिया :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जूनागढ़ जिले के कुछ गाँवों ने दो वर्ष पूर्व डाक तथा तार विभाग के पास टेलीफोन कनेक्शन के लिये राशि जमा कराई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बीच टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हाँ । जूनागढ़ में नए टेलीफोन कनेक्शनों के आवेदकों में से जिन 22 आवेदकों के लिए लम्बी दूरी की लाइनों की आवश्यकता थी और जिन्होंने शुल्क अदा कर दिया है, उन्हें अभी कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कुछ जरूरी सामान की भारी कमी के कारण अभी तक लम्बी दूरी की लाइनें बिछाना संभव नहीं हो सका है । इन टेलीफोनों को जल्द से जल्द लगाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर इस सामान को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

नेपाल में टेलीफोन केन्द्रों के निर्माण पर भारत नेपाल समझौता

2632. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नेपाल और भारत की सरकारों के बीच नेपाल में टेलीफोन केन्द्रों के निर्माण करने का एक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र पर भारत द्वारा टेलीफोन की कितनी लाइनें दी जायेंगी; और

(ग) भारत द्वारा इस परियोजना पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

(ख) निम्नलिखित तीन एक्सचेंज लगाने की योजना है—

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हाँ ।

(i) बीरतनगर-1300 लाइनें (क्रासबार आटोमेटिक एक्सचेंज)

(ii) जनकपुर-200 लाइनें (मैनुअल एक्सचेंज) ।

(iii) झापा-100 लाइनें (मैनुअल एक्सचेंज)

(ग) समूची परियोजना की अनुमानित लागत 66·66 लाख रुपये है। भारत सरकार इसमें से 51·8 लाख रुपये का खर्च भारत-नेपाल सहायता परियोजना के अंतर्गत उठाएगी और बाकी का खर्च नेपाल सरकार उठाएगी ।

एस्कोलेटरों, ट्रैवेलेटरों, टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों और मैग्नेटिक टेपों के निर्माण के लिए आशय-पत्र जारी करना

2633. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एस्कोलेटरों, और ट्रैवेलेटरों, टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों और मैगनेटिक टेपों के निर्माण के लिये आशय-पत्र जारी किये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	लाइसेंसदार/आशयपत्रधारक/ पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक का नाम	क्षमता आशयपत्र/ औद्योगिक लाइसेंस/ पंजीकरण प्रमाणपत्र किसके अंतर्गत है	वार्षिक क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	**एस्कालेटर्स और ट्रैवलेटर्स**		
	1. मै० ओटिस एलिवेटर कं० (इण्डिया) लि०, बम्बई ।	आशयपत्र	24 संख्या
	2. मै० जेस्सप एण्ड कं० लि०, कलकत्ता ।	आशयपत्र	10 एकक
(ख)	**टैलीविजन पिक्चर ट्यूब**		
	1. मै० भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०, बंगलौर ।	औद्योगिक लाइसेंस	एक लाख
(ग)	**मैग्नेटिक टेप्स**		
	1. मै० टार्जियन इण्डिया लि०, बम्बई ।	लाइसेंस/प्रमाणपत्र	

(1)	(2)	(3)	(4)
	2. मै० जय इलेक्ट्रानिक्स इण्ड० प्रा० लि०, नासिक ।	लाइसेंस/प्रमाण-पत्र	
	3. मै० मैग्नो टेप कं० प्रा० लि०,	वही—	
	4. मै० इण्डियन केबल कं० लि०, कलकत्ता ।	आशयपत्र	
	5. मै० केरल स्टेट इण्ड० डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	वही—	
	6. मै० डी० डी० लखनपाल बम्बई ।	वही—	
	7. श्री बी० के० गुप्ता	वही—	
	8. श्री आर० प्रसाद, कलकत्ता	वही—	
	9. श्री के० एन० पटेल, बम्बई	वही—	
	10. श्री सुरेश नन्दा, नई दिल्ली	वही—	
	11. श्री आर० जी० पोद्दार, राँची	वही—	
	12. श्री कृष्णकुमार मेहता, नई दिल्ली	वही—	
	13. श्री हर्यश पी० गुगनानी, दिल्ली	वही—	
	14. श्री परमेश्वर लाल, कलकत्ता	वही—	
	15. मै० इण्डियन मशीन एन्टर-प्राइजेज दिल्ली	वही—	
	16. श्री जी० अग्रवाल, कलकत्ता	वही—	
	17. श्री रिशी प्रकाश, दिल्ली	वही—	
	18. मै० एन० के० इलेक्ट्रोनिक्स, कलाल ।	वही—	

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये छूट प्राप्त पद

2634. **श्री अम्बेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि सीधी भर्ती के लिये यू० पी० एस० सी० (परामर्श से छूट) विनियमन, 1958 के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, भारत सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के अधीन किन किन तथा कितने पदों के लिये छूट दी गई है ।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : अपेक्षित सूचना के विषय में विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**—1733/72.]

संघ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति के सदस्य

2635. **श्री अम्बेश** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग में, अध्यक्ष सहित, सदस्यों की संख्या क्या है; और

(ख) इन में से अनुसूचित जाति के सदस्य कितने हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृत सदस्य संख्या अध्यक्ष समेत 9 है । इस समय एक पद खाली है ।

(ख) आयोग के वर्तमान सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति का है ।

Telecommunication Switching Equipment Factory in Madhya Pradesh

2636. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Madhya Pradesh had made a request for setting up a telecommunication switching equipment factory in the State;

(b) whether a technical team under the Chairmanship of the Head of the I. T. I. has visited some places in the State; and

(c) if so, the findings of the said team and the decision taken by Government thereon ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b). Yes.

(c) The Report submitted by the Technical Team is under Government's consideration.

Setting up of Cement Factory at Hoshangabad

2637. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 180 on 25th May, 1971 regarding cement plant in Hoshangabad (M. P.) and state :

(a) whether a licence for setting up a cement plant in Hoshangabad has since been issued; and

(b) if not, the reasons therefore ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Three applications for the grant of licence for this location were received. The area can sustain only one cement factory. Two applications have been rejected and the

recommendations of the State Government in respect of third application have recently been received.

Issue of licence for setting up of Cement Plant at Maihar (M. P.)

2638. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state the position regarding issue of a licenee for the setting up of a cement plant at Maihar (M. P.) ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : Two applications received for this location have been rejected. Cement Corporation of India Ltd. is exploring the possibility of setting up a cement factory in this area.

सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा दल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को अतिरिक्त अधिकार

2639. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हमारी सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा दल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को और अधिकार देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). सीमाओं पर अपराध होने से रोकने और ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कुछ अधिकार सीमा सुरक्षा दल के सदस्यों की सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 के अधीन पहले से ही प्राप्त हैं। केन्द्रीय सरकार अपनी ऐजेन्सियों को, विशिष्ट कानूनों के अधीन सीमाओं से लगे निर्दिष्ट क्षेत्रों में हुए दण्डनीय अपराधों की जाँच पड़ताल करने का प्राधिकार दे सके, इस बारे में उपयुक्त कानून बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

बड़े उद्योग गृहों से मशीनरी के पूरे उपयोग के बारे में प्राप्त प्रार्थना-पत्र

2640. **श्री निहार लास्कर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि कृतिक बल (टास्कफोर्स) स्वीकृति दे दे तो क्या 54 चुने हुए उद्योगों के संबंध में स्थापित किए गये कारखानों और मशीनरी के पूर्ण उपयोग के लिए हाल में आरम्भ की गई योजना के अन्तर्गत बड़े उद्योग गृहों द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्रों को एकाधिकार आयोग को नहीं भेजा जाता;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कृतिक बल को इस संबंध में कोई निर्देश दिये गये हैं; और

(घ) बड़े उद्योग गृहों की इस योजना के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 21(4) के अनुसार आधिपत्य वाले उपक्रमों के सिवाय अन्य उपक्रमों के विषय में अनुमति लेना जरूरी नहीं है। आधिपत्य वाले उपक्रमों के विस्तार के मामले में, जहाँ तक उसी अथवा उसी प्रकार के माल का संबंध है, औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 13 लागू होती है। अतएव अधिष्ठापित क्षमता के पूरे उपयोग के संबंध में, चाहे वे बड़े औद्योगिक गृहों के अन्तर्गत हों या नहीं, केवल आधिपत्य वाले उपक्रमों को ही एकाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति लेनी पड़ती है।

(ग) भाग (क) और (ख) में दिये गये उत्तर को देखते हुए, बड़े औद्योगिक गृहों के आवेदन पत्रों को, इस विशेष प्रयोजन से एकाधिकार कमीशन को भेजने तथा सक्रियदल (टास्क फोर्स) को मार्गदर्शी सिद्धान्त बताने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अधिष्ठापित क्षमता के पूरे उपयोग के लिए बड़े औद्योगिक गृहों के फर्मों तथा बहु-संख्यक शेयर वाली विदेशी कम्पनियों से सरकार के पास 17 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

भारतीय मानक संस्था के चिन्ह का प्रयोग करने वाले लाइसेंसों की जाँच के लिए, गाजियाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना

2641. **श्री निहार लास्कर :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था भारतीय मानक संस्था के चिन्ह का प्रयोग करने वाले लाइसेंसों की जाँच के लिए गाजियाबाद में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित कर रही है; और

(ख) यदि हाँ तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). भारतीय मानक संस्था ने एक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, गाजियाबाद से 2 लाख रु० में लगभग 2 हेक्टर भूमि गाजियाबाद में खरीद ली है। प्रयोगशाला का निर्माण चालू वर्ष में शुरू किये जाने का विचार है और 1974 तक पूरा हो जाने की आशा है। परियोजना की अनुमानित पूँजीगत लागत 14 लाख रु० है, जिसे केन्द्रीय सरकार 1972-73 तथा 1973-74 के वित्तीय वर्षों में देगी। प्रयोगशाला में विभिन्न उत्पादों, जो भारतीय मानक संस्था प्रमाणीकरण योजना के अधीन हैं, पहले से ही हैं अथवा जिनके निकट भविष्य में आने की संभावना है, के लिए परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने का भी विचार है।

गाजियाबाद की प्रयोगशाला इस प्रकार की होगी कि उसमें भारतीय मानक संस्था के मुख्यालय में विद्यमान प्रयोगशाला सुविधाओं का विस्तार किया जा सके, जिसमें एक वर्ष में लगभग 6,000 नमूनों पर अब वैद्युत, यांत्रिक तथा रसायनिक परीक्षण किया जा रहा है।

पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना

2642. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अर्धविकसित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योग स्थापित करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). भारत सरकार देश के कम विकसित क्षेत्रों का विकास करने की आवश्यकता के प्रति पहले से ही सजग है। ग्रामीण तथा लघु उद्योगों का विकास कार्यक्रम राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है जिसमें संबंधित राज्यों में उनके काम विकसित क्षेत्रों सहित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रकार की सहायता तथा सुविधायें देने की बहुत सी योजनाएँ शामिल हैं। औद्योगिक नीति संकल्प का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास स्तरों की असमानताओं को उत्तरोत्तर कम किया जाना चाहिये। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में इस दिशा में विभिन्न कदम उठाए गये हैं जैसे अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुविधाओं की व्यवस्था करना, औद्योगिक बस्तियों तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, जहाँ तक संभव हो सके पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं स्थापित करना। यह केवल चौथी योजना में ही था कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने की समस्या को और सीधे ढंग से हल करने के लिये एक समुचित कार्यक्रम तैयार किया गया है। ऐसे अनेक विशेष प्रोत्साहन / रियायतें देने की घोषणा की गई हैं जिससे पिछड़े जिलों में उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकेगी। इन रियायतों में 37 पिछड़े जिलों / क्षेत्रों में नए एककों की अचल पूँजी निवेश के दसवें भाग तक सीधे अनुदान अथवा सहायता देने की व्यवस्था विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण पर ब्याज की दर में रियायत की व्यवस्था, कुछ चुने दूर के क्षेत्रों के लिये परिवहन आर्थिक सहायता, उन क्षेत्रों को जो 10 प्रतिशत की सहायता आदि पाने के हकदार हैं, कच्चे माल तथा मशीनों के मामले में आयात नीति को उदार बनाना शामिल है।

2. पिछड़े क्षेत्रों का इस दृष्टि से सर्वेक्षण कराने का विचार है कि ठोस विकासात्मक योजना तैयार की जा सके जिसके आधार पर उन क्षेत्रों में संभावित उद्योग स्थापित किये जा सकें। अब तक 138 जिलों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण हो चुका है। सरकार द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों / रियायतों तथा ये रियायतें किस प्रकार उपलब्ध हो सकेंगी, इसकी प्रक्रिया के बारे में इन क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचार किया जा रहा है। इनमें से 31 जिलों में 1962-63 से ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं स्थापित कर दी गई हैं। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये इन क्षेत्रों में 1962-63 से वहन विकास संबंधी कार्य कलाप चल रहे हैं। 1971 से ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं में जो कार्य हो रहा है उसे जिला क्षेत्रों में मिला दिया गया है। पिछड़े जिलों में स्थित 31 परियोजना क्षेत्रों में 163 सामुदायिक विकास खंड कार्यक्रम के अंतर्गत आ गये थे और मार्च, 1971 के अंत तक 18,557 औद्योगिक एकक 82, 457 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर देने की स्थिति में आ गये हैं।

(3) यह भी निश्चय किया गया है कि आने वाली प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जाने वाली सभी नई परियोजनाएं पिछड़े जिलों में स्थापित की जायेंगी। पाँचवी पंचवर्षीय योजना में जिला सहित (15,000 की जनसंख्या से अधिक के नगरों को छोड़कर) 50 नई ग्रामीण उद्योग परियोजनाएँ चुनी गई हैं और ये सभी परियोजनाएँ पिछड़े जिलों में स्थापित होने जा रही हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग

2643. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 अत्यन्त पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). देश में घोषित किये गये 219 पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना करने के लिये रियायती दरों पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देने की सुविधा उपलब्ध है। इस रियायत के लिये उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित 36 जिले लिये गये हैं :

बहराइच, बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, बदायूँ, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, मैनपुरी, अल्मोड़ा, बाँदा, चमोली, गढ़वाल, हरदोई, पीलीभीत, झाँसी, पिथौरागढ़, रायबरेली, टिहरी गढ़वाल, उन्नाव, उत्तर काशी, बाराबंकी, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, मथुरा, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, और देवरिया।

इनमें से प्रथम 15 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश से लिये गये हैं।

50 लाख रुपयों तक के अचल पूँजी विनियोजन तक नये एककों या विद्यमान एककों में पर्याप्त विस्तार करने के लिये अचलपूंजी विनियोजन के 1/10 वें भाग के बराबर केन्द्रीय सहायता देने के लिये कुछ जिलों / क्षेत्रों को चुना गया है।

योजना का विस्तृत ब्यौरा 26 अगस्त, 1971 को प्रकाशित असाधारण राजपत्र में दिया गया है। उत्तर प्रदेश से दो जिले बलिया (पूर्वी उत्तर प्रदेश से) और झाँसी इस उपदान के लिये लिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार अनेक पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों के लिये एक ग्रामीण उद्योग प्रयोजन कार्यक्रम का संचालन कर रही है जिसमें उत्तर प्रदेश से 5 क्षेत्र इलाहाबाद, अल्मोड़ा, गाजीपुर, झाँसी और सहारनपुर जिलों से लिये गये हैं।

भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने प्रदेश का औद्योगिक सर्वेक्षण किया है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। आशा की जाती है कि राज्य एजेंसियाँ और उद्यम दी गई सुविधाओं / रियायतों से लाभ उठायेंगे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में उद्यमों की स्थापना होगी।

लघु उद्योगों में उत्पादन

2644 **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत आने वाले संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल कितने मूल्य का उत्पादन हुआ है;

(ख) लघु उद्योग की तुलना में बड़े उद्योगों में निवेश तथा उत्पादन का अनुपात क्या है; और

(ग) दोनों क्षेत्रों में, लगी हुई पूँजी की तुलना में रोजगार क्षमता का अनुपात क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा किये गये सीमित अध्ययन के आधार पर, वर्ष 1970 में लघु उद्योगों की अनुमानित कुल निपज 4056·00 करोड़ रुपये थी उसमें से 1818·00 करोड़ रुपये असंगठित क्षेत्र की थी।

(ख) 1965 के लिए पंजीकृत फैक्टरी क्षेत्र के प्राप्त तुलनात्मक आँकड़ों के अनुसार, निवेश के मुकाबले निपज का अनुपात, (कुल निपज/नियत उत्पादन) लघु उद्योगों में 6·53 और बड़े उद्योगों में 1·22 था।

(ग) लाख रुपयों की पूँजी लगाने पर करीब लघु उद्योग क्षेत्र में 50 मनुष्यों को और बड़े उद्योग क्षेत्र में 7 मनुष्यों को रोजगार मिलता है।

चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा विमानों, हेलीकाप्टरों और मोटर गाड़ियों का उपयोग

2646. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत विधान सभा चुनावों के दौरान अभियान के लिए प्रधान मंत्री ने सरकारी विमानों, हेलीकाप्टरों और मोटर-गाड़ियों का उपयोग किया था; और

(ख) क्या इस तरह की सुविधायें विरोधी दलों को भी दी गई थीं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) मौजूदा नियमों के अनुसार, हाल के राज्य विधान सभाओं के चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा, अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए भारतीय वायु सेना के विमानों तथा सरकारी गाड़ियों का उपयोग किया गया था तथा निर्धारित दरों पर भाड़ा वसूल किया गया है अथवा किया जायगा ताकि सरकारी खाते में उसे जमा कराया जा सके।

(ख) नियमों के अन्तर्गत, ऐसी सुविधायें विरोधी दलों को उपलब्ध नहीं हैं।

कागज की कमी और अधिक मूल्य

2647. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज की कमी है और उसके मूल्यों में वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). लगभग 7·5 लाख मीट्रिक टन कागज का वर्तमान उत्पादन फिलहाल कागज की माँग प्रायः पूरी कर रहा है, तो भी प्रमुख रूप से सट्टेबाजी व अधिकतर फुटकर बिक्री में हो रही गलत व्यवसाय प्रवृत्तियों के फलस्वरूप लोग्रेमेज कागज की कई जगहों पर कमी पायी जाती है ।

यद्यपि लिखने तथा मुद्रण के कागज की 1950 रुपये प्रति मीट्रिक टन कीमत स्वेच्छा से उद्योगों द्वारा नियत की गई है, इसमें तथा बिक्री के मूल्य में अंतर 2250 रुपये से 2400 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक है ।

स्वयं को राजधानी के एक अंग्रेजी दैनिक का संवाददाता बताने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी

2648. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने 17 मार्च, 1972 को स्वयं को राजधानी के एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक का संवाददाता बता कर अपने निवास स्थान पर टेलीफोन लगाने का प्रयत्न करने के अपराध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हाँ । तथापि, टेलीफोन पहली मंजिल, शिव मार्किट, सदर बाजार पर श्री राधे कृष्ण के मकान में लगवाने का प्रयत्न किया गया था ।

(ख) इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 420/468/471 के अन्तर्गत धोखाधड़ी, जालसाजी तथा जाली दस्तावेजों के प्रयोग के लिए पुलिस थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट में दर्ज मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट नं० 436 दिनांक 17 मार्च, 1972 के सिलसिले में अभियुक्त श्री सुशील आत्मज श्री लक्ष्मण स्वरूप सिन्हा, निवासी 3 लैंसर रोड, दिल्ली को 17-3-72 को गिरफ्तार किया गया । न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत स्वीकार कर ली है तथा उसे छोड़ दिया गया है । इस मामले में जाँच हो रही है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में कार के निर्माण के लिए 'आशय पत्र' जारी करना

2649. **श्री मुहम्मद शरीफ** :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र में पैसेंजर कारों का निर्माण करने के लिए अब तक जिन पार्टियों को 'आशय पत्र' जारी किये गये हैं उनका नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : गैर-सरकारी क्षेत्र में यात्री कारों का निर्माण करने वाली पार्टियों, जिनको निर्माण हेतु आशय पत्र जारी किये गये हैं, के नाम और अन्य विवरण संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—1734/72.]

ट्रैक्टरों के अधिक मूल्य तथा उनकी कमी

2651. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों के ऊँचे मूल्यों तथा उनकी कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में किसानों को हो रही कठिनाई को कम करने का कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). यद्यपि देश में निर्मित ट्रैक्टरों के कुछ मेकों की कमी है और उनकी माँग काफी है तथापि दूसरे मेक सरलता से उपलब्ध हैं। ट्रैक्टरों के मूल्य को सरकार नियंत्रित करती है और उपयुक्त लागत के परीक्षण के उपरांत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाता है इसलिए किसी भी किसान को अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य देने की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रैक्टरों के वितरण को विनियमित करने और किसानों को होने वाली परेशानी और अनाचार को रोकने के लिए सरकार ने ट्रैक्टर (वितरण तथा विक्रीय) नियंत्रण नियम 1971 की भी घोषणा की है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मे व्यापक आयोजना

2652. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में व्यापक आयोजन लागू करने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह योजना कहाँ तक लागू की जा चुकी है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). जी हाँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक योजना तैयार करना आरम्भ कर दिया है। यह देश की सामाजिक-आर्थिक योजना का अभिन्न अंग होगी। योजना का प्रारूप अप्रैल, 1973 के अन्त तक तैयार होने की आशा है।

आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र पर दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए निर्धारित समय

2654. **श्री वयालार रवि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र की कार्यक्रम सूची में तमिल के अतिरिक्त विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए एक सप्ताह में कितना समय निर्धारित है;

(ख) क्या मलयालम के कार्यक्रमों के लिए अन्य भाषाओं की अपेक्षा बहुत कम समय रखा गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) और (ख). मलयालय 30 मिनट

कन्नड़ 30 मिनट

तेलुगु 285 मिनट

(ग) समय का आबंटन केन्द्र के सेवा क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

Appointments in Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar

2655. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the total number of employees and officers working in the Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar;

(b) the number of fresh appointments made in 1969-70, 1970-71 and 1971-72 in class I, II III and IV separately; and

(c) the number of the employees whose land had been acquired for setting up the said factory ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c).

(a) *Total number of employees in BHEL, Hardwar as on* 1.4.1972	Officers	555
	Workers	6682
	Total :	7237

		1969–70	1970–71	1971–72
(b) *Number of fresh appointments made in BHEL, Hardwar*	Cl. I	5	41	38
	Cl. II	1	5	2
	Cl. III	569	794	692
	Cl. IV	78	273	148
	Total :	653	1113	880

(c) *Number of the employees in the BHEL, Hardwar whose land had been acquired for setting up the said factory*	Cl. I	Nil
	Cl. II	Nil
	Cl. III	61
	Cl. IV	382
	Total :	443

Complaints of Irregularities in Appointments and Promotions in Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar

2656. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints in regard to favouritism shown and irregularities committed in the matter of appointments and promotions in Bharat Heavy Electricals, Hardwar; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Some complaints were received by the Government in regard to favouritism shown and irregularities committed in the matter of appointments and promotions in Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar. Enquiries made to look into these complaints revealed that there was no substance in the allegations made.

Some more complaints since received are under investigation.

पूना फिल्म इन्स्टीट्यूट के सफल छात्रों को सहायता प्रदान करने के बारे में फिल्म वित्त निगम की नीति

2658. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फिल्म वित्त निगम पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के सफल छात्रों को सहकारिता के आधार पर अपना स्वतन्त्र उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता देता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पूना के डिप्लोमाधारियों को फिल्म वित्त निगम के धन से बनी अनेक फिल्मों में किसी न किसी रूप में सम्मिलित किया गया है । संस्थान के सफल छात्रों के ऋणों के लिए आवेदन-पत्रों पर फिल्म वित्त निगम द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किथा जाता है । संस्थान के भूतपूर्व छात्रों का कोई सहकारी प्रयास निगम अथवा सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

बड़ौदा अनुसंधान केन्द्र चालू करने में विलम्ब

2659. **श्री वेकारिया :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा अनुसंधान केन्द्र के चालू होने में अब और विलम्ब होगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). बड़ौदा में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का कोई अनुसंधान केन्द्र नहीं है। फिर भी, अहमदाबाद (गुजरात) के पास नरौदा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से केन्द्रीय काँच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान (सी० जी० सी० आर० आई०), कलकत्ता का एक विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए रियायतें

2660. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए दी गई विशेष रियायतों तथा प्रोत्साहनों से पूर्वानुमानित परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या ऐसा प्रस्ताव है कि कुछ पिछड़े जिलों को ही राज सहायता दिये जाने के बजाए सभी जिलों को ये लाभ दिये जाएं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). 10 प्र० श० की सीधी केन्द्रीय अनुदान अथवा सहायता योजना, 1971 की घोषणा 26–8–1971 को की गई थी जबकि परिवहन अनुदान योजना की घोषणा 15–7–71 को की गई थी। इन योजनाओं का विस्तृत प्रचार किया गया है तथा उद्योगियों ने रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। पिछड़े जिलों में स्थित 6 एककों को उद्योग वित्त निगम ने जुलाई, 1970 से 29–2–72 की अवधि में रियायती आधार पर 645·50 लाख रुपये की सहायता दी है। भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने विभिन्न पिछड़े जिलों के 143 एककों के लिए पुनर्वित्तीय सहायता के रूप में 31–12–1971 को 206·6 लाख रुपये स्वीकार किया है।

10 प्र० श० केन्द्रीय सीधी अनुदान अथवा सहायता योजना के अन्तर्गत करीब 360 औद्योगिक एककों ने सम्बन्धित राज्य सरकार के विभागों में अपने नाम दर्ज कराये हैं और 1972-73 में अनुदान के लिये और बहुत सारे एककों के पंजीयित होने की आशा है।

आन्ध्र प्रदेश में आई० टी० आई०, बंगलौर का अतिरिक्त एकक स्थापित करना

2661. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टेलीफोन उपकरणों का उत्पादन करने के लिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर द्वारा एक अतिरिक्त एकक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : जी हाँ ।

Use of Hindi in High Courts

2662. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of State High Courts, which have switched over to Hindi in their official work; and

(b) the names of State High Courts where official work is done in Hindi as well as in English or in English and other regional languages ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). The initiative for the use of Hindi or regional languages in the High Courts for proceedings or judgment, decree or order has to come from the State Governments themselves under Article 348(2) of the Constitution of India and Section 7 of the Official Languages Act, 1963. The Central Government comes in the picture only when the question of obtaining the previous consent of the President under the said provisions of the Constitution and the Official Languages Act arises in respect of the High Courts.

The President has already accorded consent to the optional use of Hindi in the proceedings of the High Courts of U. P., M. P., Rajasthan and Bihar and for judgment, decree or order passed or made by the High Courts of Allahabad, Rajasthan and Patna. However, where any judgment, decree or order is passed or made in Hindi it shall be accompanied by a translation of the same in the English language issued under the authority of the concerned High Court.

None of the other concerned State Governments have requested for the President's consent for use of Hindi or Regional languages in that High Courts.

Demand for P. C. Os. and Telephone Exchanges in Ratlam and Mandsaur Districts of Madhya Pradesh

2663. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of the places in Ratlam and Mandsaur Districts of Madhya Pradesh in respect of which demand for setting up P. C. Os. and telephone exchanges has been made;

(b) if so, since when this demand has been outstanding; and

(c) the reasons for delay and the steps contemplated ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) to (c). The details are given in the statement attached. [*Placed in Library. See* No. LT—1735/72.]

Industrially Backward Districts in M. P.

2664. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the criteria adopted by the Planning Commission to declare districts of various States as backward Districts from the industrial point of view;

(b) the names of districts in Madhya Pradesh declared backward from the industrial point of view; and

(c) the facilities provided to the said Districts for industrial development ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Planning Commission after consultation with the financial institutions proposed the following guidelines for the selection of industrially backward districts :

(i) Per capita foodgrains/commercial crops production depending on whether the district is predominantly a producer of foodgrains/cash crops. (For inter-district comparisons conversion rates between foodgrains and commercial crops may be determined by the State Government on a pre-determined basis where necessary).

(ii) Ratio of population to agricultural workers.

(iii) Per capita industrial output (gross).

(iv) Number of factory employees per lakh of population or alternatively number of persons engaged in secondary and tertiary activities per lakh of population.

(v) Per capita consumption of electricity.

(vi) Length of surfaced roads in relation to population or railway mileage in relation to population.

The States were advised that only those districts with indices well below the State average may be selected for suitable incentives from financial institutions.

(b) and (c). The following 34 districts from Madhya Pradesh are eligible for concessional finance from the Central financial institutions :

Bastar, Mandla, Surguja, Seoni, Jhabua, Balaghat, Bilaspur, Sidhi, Betul, Raigarh, Raipur, Dhar, Tikamgarh, Rajgarh, Khargone, Shajapur, Shivpuri, Chhatarpur, Rewa, Panna, Dewas, Mandsaur, Chhindwara, Guna, Datia, Morena, Vidisha, Narsimhapur, Raisen, Hoshangabad, Damoh, Bhind, Sagar and Ratlam.

Two areas have been selected for the grant of 10% investment grant in Madhya Pradesh. They are :

One area comprising 12 blocks from the districts of Bilaspur and Raipur (6 blocks each) and the other area of 10 blocks from the districts of Dewas (2 blocks), Shajapur (3 blocks), Rajgarh (2 blocks) and Guna (3 blocks).

It is expected that the State Government would take advantage of these schemes and provide the necessary infra-structures to attract industries to these areas.

छात्रों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रति रुचि का अभाव

2665. **श्री पी० एम० मेहता :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के अध्ययन के अनुसार, अधिकांश विश्वविद्यालयों से डिग्री लेने वाले छात्रों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में कोई आकर्षण नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो लोगों को इस बारे में जानकारी देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Cement Factory in Bundi (Rajasthan)

2666. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to set up a cement factory or any other factory at Bundi;

(b) if so, the name of the industry proposed to be set up and when; and

(c) whether it will be in public or private sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). An application has been received from the private sector for the grant of an industrial licence for the setting up of a cement factory at Bundi in Rajasthan. It is receiving consideration. No other proposal for the setting up of a factory at Bundi has been received so far.

पत्रकारों सम्बन्धी दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

2667. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि उसे उन समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का कोटा और सरकारी विज्ञापन नहीं देने चाहिये जिन्होंने दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग). अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, जो आवश्यक सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया जाता है, के लिए इस प्रकार के दोषी समाचार-पत्रों के मामलों पर विचार करना संभव नहीं है। तथापि, विज्ञापनों के बारे में स्थिति भिन्न है। यदि अन्य उपाय किसी समाचार-पत्र से मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित करवाने में असफल रहे और यह बात सरकार के ध्यान में लाई जाए तो सरकार मामले पर विचार करेगी।

Applications from U. P. for Industrial Licences

2668. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state the number of applications for industrial licences received from Uttar Pradesh during the years 1970-71 and 1971-72 and the number of licences granted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : Statistics in respect of Industrial licence applications received and licences issued are not maintained financial year-wise. However, during the calendar years 1970, 1971 and 1972 (upto February, 1972) 242, 334 and 43 industrial licence applications, respectively, were received from the State of Uttar Pradesh. During the same years 26, 48 and 44 licences, respectively, were granted.

Newsreel on Floods in Uttar Pradesh

2669. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any newsreel regarding the last devastating floods in Uttar Pradesh, particularly in the Eastern Districts of the State, has been prepared;

(b) whether Ballia has been excluded from it; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Yes, Sir. The material was included in two Indian News Reviews.

(b) and (c). The film coverage was done from the air. Sultanpur, Basti, Jaunpur and Ballia Districts were covered. In the absence of clear land-marks, all visuals tend to look alike; and so it was not possible to distinguish particular cities and towns.

टेलीफोन की कालों के अधिक राशि के बिल बनाना

2670. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तथा विशेष रूप से दिल्ली में गत तीन वर्षों में अब तक सरकार को ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है जिनमें टेलीफोन कालों के अधिक राशि के बिल बनाये गये हैं; और

(ख) क्या इस बारे में कदाचारों की जाँच के लिये समिति स्थापित की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) गत तीन वर्षों में अब तक सरकार को देश भर में कुल 2,14,220 और दिल्ली में ऐसे मामलों की रिपोर्ट मिली है जिनमें टेलीफोन कालों के अधिक राशि के बिल बनाए गए हैं ।

(ख) लोक सभा की याचिकाओं विषयक समिति इस समय इस समस्या पर विचार कर रही है ।

टेलीफोन के मीटर लगाना

2671. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं के निवास स्थानों पर मीटर लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अब तक क्या निर्णय किया गया है तथा टेलीफोन प्रयोक्ताओं को उक्त मीटर कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) डाक-तार विभाग के दूर संचार अनुसंधान केन्द्र ने टेलीफोन चार्ज का संकेत देने वाले एक ऐसे सूक्ष्म मीटर का डिजाइन तैयार किया है जिसमें सीधी ट्रंक डायलिंग के काल रिकार्ड किए जा सकेंगे । अभी इस मीटर का फील्ड परीक्षण किया जा रहा है । इसके परिणाम सामने आने के बाद ही इस बात की जाँच की जाएगी कि ये मीटर टेलीफोन उपभोक्ताओं के निवास-स्थानों पर लगाए जाएं या अन्यत्र कहीं लगाए जाएं ।

कलामस्सेरी स्थित एच० एम० टी० यूनिट में हड़ताल

2672. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कलामस्सेरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स यूनिट के मजदूरों ने 16 मार्च, 1972 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कलमस्सेरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स यूनिट के मजदूरों की 16 मार्च, 1972 से प्रारम्भ हड़ताल 5 अप्रैल, 1972 से समाप्त हो गई ।

(ख) मजदूरों का हड़ताल पर जाने का मुख्य कारण लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला द्वारा, प्रकाशित आलुवाय के जीवनस्तर सूचकांक से संबंधित महंगाई भत्ते देने के स्थान पर केरल राज्य के सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आलुवाय के जीवन स्तर के सूचकांक से संबंधित महंगाई भत्ता देना था। सहमति के अनुसार, केरल सरकार के तत्वावधान में वार्तालाप द्वारा दो सूचकांकों के समाधान करने के लिए कदम उठाये जायेंगे। इसी बीच में महंगाई भत्ते की मद में 10 रुपये तदर्थ रूप में भुगतान किया जायेगा।

'स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इन्स्टीट्यूट्स' में स्टैनोग्राफर

2673. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'स्माल इण्डस्ट्रीज़ सर्विस इंस्टीट्यूट्स' में ग्रेड III के स्टैनोग्राफरों की पदोन्नति किन-किन पदों पर हो सकती है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : लघु उद्योग सेवा संस्थानों में ग्रेड III आशुलिपिकों के लिये पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं।

लघु उद्योग विकास संगठन में कर्मचारी

2674. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु उद्योग विकास संगठन में 1 अप्रैल, 1969 से 20 मार्च, 1972 तक, वर्गवार और वर्ष वार राजपत्रित अधिकारियों, अराजपत्रित क्षेत्रीय कर्मचारियों और अनुसचिवीय कर्मचारियों के कितने नये पद बनाए गए और सरकार द्वारा उनके वेतन पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—1736/72.]**

Planning Commission's Request to Government of Madhya Pradesh to Review the Progress Made in Implementation of Various Programmes

2675. **Shri G. C Dixit :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) Whether the Planning Commission has requested the Government of Madhya Pradesh to review the progress made so far in regard to the problems arising out of the shortage of resources, regional imbalances and implementation of plan programmes;

(b) if so, whether the Government of Madhya Pradesh have made a review of all these problems and sent their report to the Central Government; and

(c) if so, the contents thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) The state Government was requested in August, 1971 to review the State's Fourth Plan in all its aspects with a view to orienting the Plan so as to accelerate the pace and effective use of investment in the State's economy and to rearrange the inter-sectoral priorities so as to lay a greater emphasis on labour-intensive and employment-oriented programmes and programmes

designed to improve the economic condition of weaker sections of the population. The State Government was also requested to accord high priority to the accelerated development of backward areas e. g,, tribal areas.

(b) & (c). Yes, Sir. The Government of Madhya Pradesh has forwarded to the Commission a document on "Mid-term Appraisal of the State's Fourth Five Year Plan", the salient features of which are indicated in a statement laid on the Table of the House.

Statement

The Madhya Pradesh Government has published a document on the Mid-term Appraisal of the State Fourth Plan, the salient features of which are indicated below :

(i) The State's Fourth Plan has been reappraised keeping in view broadly the pattern of policies and priorities as laid down in the National Plan and the special problems of the State.

(ii) The Plan envisages 5% rate of growth in the agricultural sector and about 8—10% in the industrial sector.

(iii) The major objectives set are self-reliance, creation of employment opportunities in rural and urban areas, emphasis on the economic interests of less priviledged classes of society, particularly those of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(iv) The strategy to be adopted to achieve these objectives is to create a strong agricultural base by modernisation of agriculture to the maximum extent possible and raising the production both of foodgrains and commercial crops by stepping up intensive agricultural activities and those in allied sectors like Minor Irrigation, Cooperation, etc.

(v) Emphasis will be laid on completion of continuing irrigation and power schemes with special stress on rural electrification programmes.

(vi) In the Industrial Sector, emphasis is to be laid on the development of basic infrastructural facilities in industrial areas and industrial estates.

(vii) The first priority in communication is assigned to the expeditious completion of continuing road works.

(viii) Under Social Services, the emphasis in the re-appraised Fourth Plan will be on extending facilities for primary education and overall qualitative improvement of education, strengthening of health services and family-planning programme, stepping up of implementation of water supply programmes, especially in the problem villages.

2. In order to achieve the above objectives, the Mid-term appraisal document contemplates to enhance the size of the State's approved Fourh Plan from Rs. 393 crores to Rs. 435 crores; the increased outlay is proposed to be financed from the State's own resources.

Besides, the State Government expects an allocation of Rs. 20 crores for their

Rural Electrification Programme outside the State Fourth Plan, from the Rural Electrification Corporation.

High-Power Transmitter at A. I. R., Indore

2676. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Indore Station of A. I. R. is of medium range at present; and

(b) if so, whether Government propose to instal a high-power transmitter there ?

The Miniser of State in the Ministry of information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) Yes, Sir.

(b) A. I. R. station at Indore has a medium power transmitter at present. It will be replaced by a high power transmitter during the Fourth Plan.

पूर्वोतर परिषद् क्षेत्र का समेकित विकास

2677. **श्री वीरेन दत्त :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद् क्षेत्र के समेकित विकास के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). हाल में पारित उत्तर-पूर्वी परिषद् अधिनियम 1971 के अनुसार उत्तर पूर्वी परिषद् गठित करने के संबंध में कार्यवाई की जा रही है। इस परिषद् को जो काम करने होंगे उनमें से एक काम यह होगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजनाएँ तैयार करे। अत: उत्तर पूर्वी क्षेत्र के समेकित विकास के लिए स्कीम या स्कीमें तैयार करने के काम को तब तक रोक रखना होगा जब तक उत्तर पूर्वी परिषद् का गठन नहीं हो जाता।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा तकनीकी परामर्श सेवा

2678. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का प्रमुख उद्देश्य तकनीकी परामर्श सेवा की व्यवस्था करना है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों (तकनीकी कर्मचारियों के अतिरिक्त) की संख्या कितनी है और वर्ष 1970-71 के दौरान उनके वेतन, भत्तों, यात्रा भत्तों, सवारी-भत्तों और समयोपरि भत्तों पर कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के डिजाइन तथा ड्राइंग स्वयं बनाने की अपेक्षा उन्हें प्राइवेट परामर्शदाता इंजीनियरों से बनवाता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1972 को सेवारत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा तथा वर्ष 1970-71 में उनके वेतन, भत्तों, यात्रा-भत्तों, सवारी-भत्तों और समयोपरि भत्तों पर व्यय नीचे दिया जाता है :—

तकनीकी

	अधिकारी	कर्मचारी
1 कर्मचारियों की संख्या	97	117
2. वेतन	रु० 10,14,209·90	रु० 4,98,219·65
3. भत्ते	रु० 4,06,973·90	रु० 4,95,956·3
4. यात्रा भत्ते	रु० 3,84,554·68	रु० 44,524·9
5. सवारी भत्ते	—	—
		रु० 13,741·99 (अधिकारी तथा कर्मचारियों दोनों के लिए) ।
6. समयोपरि भत्ते	—	रु० 41,473·05
योग	रु० 18,05,738	रु० 10,93,916

गैर-तकनीकी

	अधिकारी	कर्मचारी
1. कर्मचारियों की संख्या	6	130
2. वेतन	रु० 72,213·55	रु० 2,69,945·55
3. भत्ते	रु० 28,010·20	रु० 3,25,650·82
4. यात्रा भत्ते	रु० 1,854·25	रु० 2,473·40
5. सवारी भत्ते	—	रु० 2,744·85 (अधिकारी तथा कर्मचारी दोनों को मिलाकर) ।
6. समयोपरि भत्ते	—	रु० 25,310·45
कुल	रु० 1,02,078	रु० 6,36,125

(ग) परियोजना से सम्बन्धित सारा डिजाइन का कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, के अपने कार्यालय में किया जाता है । कभी-कभी जब कार्याधिक्य होता है तो निम्न-स्तरीय प्रारूप, डिटेलिंग व मुद्रण कार्य बाहर से करा लिया जाता है किन्तु जारी होने के पूर्व निगम के कार्यालय में ही उसकी जाँच व परिशुद्धि कर ली जाती है ।

केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयक

2680. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए कितने विधेयक भेजे; और

(ख) केन्द्र सरकार ने कितने विधेयकों के संबंध में अनुमति प्रदान की ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) नौ।

(ख) छः विधेयकों पर मंजूरी दे दी गई है तथा दो की जाँच की जा रही है। एक विधेयक में राज्य सरकार से केन्द्रीय विधान की प्रतीक्षा करने को कहा गया है।

केलोंग को हेलीकोप्टर द्वारा डाक सेवा

2681. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदी के महीनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के लाहुल तथा स्पिती जिले के 'केलोंग' स्थान तक पाक्षिक-हेलीकोप्टर डाक सेवा लागू की गई है;

(ख) क्या 19 फरवरी, 1972 तक डाक सेवा सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही थी और कम से कम एक बार हेलीकोप्टर बिना डाक केलोंग पर उतरा था; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या कार्यवाही की जानी हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। सिवाय इसके सेवा संतोषजनक रही है कि 19 फरवरी, 1972 को डाक नहीं लादी जा सकी।

(ग) सीमा सड़क संगठन के स्थानीय स्टाफ की गलतफहमी के कारण डाक नहीं लादी जा सकी थी। इसके बाद उन्हें समुचित सलाह दे दी गई है और तब से केलोंग डाक लाने ले-जाने का काम सामान्य ढंग से हो रहा है।

सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली में दैनिक मजदूरी पर मेहतरों की नियुक्ति

2682. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली ने रोजगार कार्यालय के माध्यम से कुछ मेहतर दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किये थे;

(ख) क्या तीन से चार वर्ष तक कार्य करते रहने के बाद यह मेहतर अब भी दैनिक

मजदूरी के आधार पर कार्य कर रहे हैं, हालांकि इस बीच सांख्यिकी विभाग का पर्याप्त विस्तार हो चुका है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हाँ। वे एक विशेष रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त किये गये थे जो दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु उम्मीदवार प्रायोजित करने के लिए उत्तरदायी है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) 1969 से मेहतरों समेत चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती करने पर निषेध लागू है। उक्त निषेध को शिथिल करके इन मेहतरों को स्थायी पदों पर नियुक्त करने के प्रश्न पर कार्यवाही की जा रही है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए 4—सूत्री योजना को क्रियान्वित करना

2683. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार की 4—सूत्री योजना को सरकारी कार्यालयों में लागू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों को भारत और विदेशों के प्रशिक्षण-कार्यक्रमों में भेजने के लिए 25 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था से संबंधित निर्णयों को कार्मिक विभाग के दिनांक 15 नवम्बर, 1971 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 1-9-69—स्थापना (अनु० जा०) में समाविष्ट किया गया है, जिसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1737/72.**] इन आदेशों में अन्य बातों के साथ साथ यह निर्धारित किया गया है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने में इस बात की पूरी गुंजाइश रखनी चाहिए कि मंत्रालयों द्वारा भेजे गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के सभी अधिकारी प्रशिक्षण में लिए जा सकें, और इसके साथ ही साथ जहाँ कहीं सम्भव हो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों के लिए 25 प्रतिशत स्थान निर्धारित कर देना उपयोगी रहेगा और यदि किसी विशेष कार्यक्रम में इन अधिकारियों को लेना सम्भव न हो सके तो ऐसे अधिकारियों को दूसरे पाठ्यक्रम में लिया जा सकेगा या उनके लिए

एक विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था की जा सकेगी। जहाँ तक विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संबंध है, स्थानों की प्रतिशतता के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया है, किन्तु ऐसा उल्लेख किया गया है कि यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारी विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किए जायें तो यह लाभप्रद होगा। इस संबंध में दिनांक 15 नवम्बर, 1971 को जारी किये गये आदेशों को सभी मंत्रालयों/विभागों को कार्यान्वित करने के लिए भेज दिया गया है। इन आदेशों के लागू होने में कुछ समय लगेगा।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विदेशों में भेजे नये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारी

2684. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या **विज्ञान और औद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारतीय ऋतु-विज्ञान विभाग और सुरक्षा विज्ञान आदि जैसे वैज्ञानिक विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विदेश भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी कर्मचारियों का चयन उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों को ध्यान में रख कर किया जाता है। अनुसंधान का आयोजन अथवा संगठन करने, अनुसंधान का निदेशन और मार्ग-दर्शन करने संबंधी पदों पर नियुक्तियों के मामलों में गृह-मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या—9/2/63 एस० सी० टी०, दिनांक 2 नवम्बर, 1963 के अनुसार, जिसकी एक प्रति संलग्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के हित में आरक्षण संबंधी आदेश लागू नहीं किये जाते। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1738/72.**]

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसूचित जाति के सीनियर इनवेस्टीगेटरों को स्थायी बनाना

2685. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में सीनियर इन्वेस्टीगेटरों की सामूहिक वरीयता सूची को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण, अनुसूचित जाति के सीनियर इन्वेस्टीगेटरों के हितों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ख) क्या उनको 1964 में स्थायी बनाने के आदेश सांख्यिकी विभाग द्वारा सितम्बर, 1971 में जारी किये गये थे;

(ग) क्या स्थायीकरण के पश्चात् 1967 से सहायक निदेशक के रूप में स्थानापन्न रूप

में काम करने वाले कुछ सीनियर इन्वेस्टीगेटर अनुसूचित जाति के उन इन्वेस्टीगेटरों से कनिष्ठ हो गये जो 1971 में सहायक निदेशक के रूप में पदोन्नत किये गये थे;

(घ) यदि हाँ, तो क्या उनको स्थायी बनाने में इस विलम्ब के कारण उनकी पदोन्नति में कम से कम 4 वर्ष का विलम्ब हो जाने से उनके हितों पर प्रभाव नहीं पड़ा; और

(ङ) यदि हाँ, तो उन्हें कम से कम 1967 से, जबकि उनके कनिष्ठ अधिकारी पदोन्नत किये गये थे, पदोन्नति का लाभ देने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रोनिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के वरिष्ठ अन्वेषकों (सीनियर इनवेस्टीगेटरों) के कतिपय स्थायी पदों पर सितम्बर, 1971 में स्थायी रूप में नियुक्तियाँ की गई थीं। इन स्थायीकरणों के परिणामस्वरूप, कुछ वरिष्ठ अन्वेषकों की परस्पर वरिष्ठता स्थिति का संशोधन करना आवश्यक हो गया था। ये संशोधन किए गये और 9 नवम्बर, 1971 को संशोधित वरिष्ठता-सूची परिचालित की गई। इस प्रकार केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के वरिष्ठ अन्वेषकों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने में विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, हाँ। सितम्बर 1971 में किए गये स्थायीकरणों के परिणामस्वरूप एक वरिष्ठ अन्वेषक जो कि 1967 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निदेशक पदोन्नत किया गया था और कुछ अन्य व्यक्ति जो कि 1969 में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए गये थे, वरिष्ठ अन्वेषकों के ग्रेड में अनुसूचित जाति के उन दो वरिष्ठ अन्वेषकों से कनिष्ठ हो गये, जो केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक 1971 में पदोन्नत किए गये थे।

(घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में सहायक निदेशकों के खाली पदों पर इन वरिष्ठ अन्वेषकों की सभी पदोन्नतियाँ तदर्थ आधार पर की गई थीं, और उक्त पदों पर वे सिर्फ उस समय तक बने रहेंगे जब तक कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा के नियमित ग्रेड अधिकारी इन पदों पर नियुक्त किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं होते। ऐसी तदर्थ पदोन्नतियाँ भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV पदों पर नियमित पदोन्नतियों का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करतीं। इस प्रकार तदर्थ पदोन्नतियों में होने वाले विलम्ब के कारण किसी व्यक्ति के सेवा-हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि कुछ आर्थिक हानि हुई होगी।

(ङ) जिन फीडर पद धारकों में से भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV पदों पर पदोन्नतियाँ की जानी हैं, उनकी समाकलित सूची में अनुसूचित जाति के उक्त दो वरिष्ठ अन्वेषकों के नाम समाविष्ट करने का प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में अनुसूचित जाति के सीनियर इनवेस्टीगेटरों की नियुक्ति

2686. **श्री चन्द्र शैलानी :** क्या **प्रधान** मंत्री केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में अनुसूचित जाति के सीनियर इनवेस्टीगेटरों की नियुक्ति के बारे में 11 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7588 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1962 में नियुक्त किये गये केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसूचित जाति के सीनियर इनवेस्टीगेटरों की नियुक्तियों को, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड 4 में पदोन्नति हेतु, प्रथम चयन सूची में उनके नाम शामिल करने के प्रयोजनार्थ, नियमित मानने का निश्चय करने में कर्मचारी विभाग ने तीन वर्ष का समय लिया;

(ख) क्या उक्त निर्णय कर लेने के पश्चात् भी, उनके नाम उक्त चयन सूची में अभी तक शामिल नहीं किये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग). वर्ष 1962 में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किए गये केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसूचित जाति के कुछ सीनियर इनवेस्टीगेटरों की नियुक्ति को उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति से नियमित मानने का प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी विभाग के परामर्श में सांख्यिकीय विभाग के विचाराधीन था। केवल जुलाई, 1971 में ही यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 1962 से उनकी सेवा को नियमित माना जा सकता है। अन्य उसी प्रकार के मामलों के साथ साथ, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड 4 में पदोन्नति के लिए प्रथम चयन सूची में उनके नाम शामिल करने के लिए इन अधिकारियों की पात्रता तथा उपयुक्तता के प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग से बातचीत आरम्भ की गई है।

विजयवाड़ा-मद्रास ट्रंक टेलीफोन सेवा

2688. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा-मद्रास ट्रंक टेलीफोन सेवा पिछले तीन महीनों से बहुत खराब हो गई थी; और

(ख) इस स्थिति के क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या उपचारी कार्यवाही की जानी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हाँ।

(ख) ताँबे के तार की भारी चोरी के कारण मद्रास और विजयवाड़ा के बीच ट्रंक टेलीफोन सेवा के काम में गिरावट आई है। ताँबे के तार की जगह ताँबे से झला तार लगाया

जा रहा है, क्योंकि इसकी चोरी की संभावना कम है। दो युग्मों को बदलने का काम पूरा किया जा चुका है। आशा है कि इससे अब काम में सुधार होगा।

फिल्मों का सेंसर कार्य राज्य सरकारों को सौंपने के बारे में तमिलनाडु सरकार का अनुरोध

2689. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से कहा था कि फिल्मों का सेंसर कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिया जाये और यदि हाँ, तो इस परिवर्तन की माँग के कारण क्या बताये गये थे; और

(ख) केन्द्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को आई० ए० एस० परीक्षाओं में बैठने की अनुमति

2690. **श्री शशि भूषण** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षा लेने के लिए कोई विज्ञप्ति जारी की है;

(ख) क्या सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिए पहले दो अवसर दिये गये थे;

(ग) क्या उन सेवा मुक्त किए गए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी, जो सशस्त्र सेनाओं में अपने चयन के समय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, आयु में रियायत संबंधी नियमों के अधीन, उपवाद स्वरूप, अन्य सामान्य उम्मीदवारों के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है और इस प्रकार उन्हें तीसरा अवसर प्राप्त होगा;

(घ) क्या वे सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेना में अपने चुनाव के समय पहिले ही स्नातक थे, इस सुविधा से वंचित रखे जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी अपवादस्वरूप भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त/अल्पसेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि (सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों) की परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम दो अवसर दिये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त/अल्पसेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त/अल्पसेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी) की परीक्षा में बैठने के लिए तभी पात्र है, अगर उसने परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व विहित शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है, या यदि उसने किसी विहित योग्यता प्राप्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन किया हो, तथा उसे अपना अध्ययन सशस्त्र सेवाओं में प्रवेश के कारण स्थगित करना पड़ा हो तथा इस कारण से ऐसी अर्हता प्राप्त न कर सका हो । इस प्रकार इस परीक्षा में उन सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को बैठने की अनुमति नहीं है, जिन्होंने सशस्त्र सेनाओं के लिए अपने चयन से पहले ही अपना अध्ययन स्थगित कर देने के कारण सशस्त्र सेनाओं में प्रवेश के समय विहित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त न की हों तथा साथ ही सशस्त्र सेनाओं से मुक्ति से पहले भी उनके पास ये अर्हताएं नहीं थीं । इनमें से उन अधिकारियों के लिए जो सशस्त्र सेनाओं में अपने चयन से पहले विहित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त करने तथा सामान्य प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए ऊपरी आयुसीमा के भीतर आते थे, उन्हें सामान्य भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में, एक बार के लिए बैठने की उच्च आयु सीमा में छूट उस अवसर की प्रतिपूर्ति करने के लिए दी गई है, जो यदि वे सशस्त्र सेनाओं में प्रवेश न करते तो उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर मिल जाता ।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग ढाँचे का पुनर्विलोकन

2691. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या प्रधान मंत्री भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV में चयन से पूर्व विभागीय उम्मीदवारों के लिए पृथक संवर्ग के बारे में 16 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न 4784 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा संवर्ग ढाँचे का पुनर्विलोकन इस बीच पूरा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके किस प्रकार क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जिस योजना को अन्तिम रूप दिया गया है उससे भारतीय सांख्यिकीय सेवा के उन व्यक्तियों पर जो कि ग्रेड-IV में तदर्थ आधार पर पहले ही कार्य कर रहे हैं, कोई प्रभाव न पड़े ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से

(ग). भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग के ढाँचे का पुनर्विलोकन अभी सरकार के विचाराधीन है। दिनांक 16 दिसम्बर, 1970 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4784 के उत्तर में सरकार को कोई अन्य सूचना शामिल नहीं करनी है।

श्री नागरवाला के विरुद्ध बैंक डकैती का आपराधिक मामला

2692. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंक डकैती के आपराधिक मामले को वापस लेने का निर्णय किया है जिसमें कि श्री आर० एस० नागरवाला जिनकी 3 मार्च, 1972 को मृत्यु हो गई थी अन्तर-ग्रस्त थे;

(ख) क्या श्री नागरवाला और पुलिस अधिकारी श्री कश्यप जो कि जाँच कार्य के इंचार्ज थे की मृत्यु का उन प्रयासों से कोई संबंध है जो अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के इस अपराध के संबंधों को छुपाने के लिए किए जा रहे थे; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस मामलों की उच्चस्तरीय जाँच की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं। पुलिस थाना, पार्लियामेंट स्ट्रीट में भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 419/430/409 के अधीन मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 815 दिनांक 24-5-1971 में अभियुक्त श्री आर० एस० नागरवाला के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के न्यायालय में विचाराधीन दांडिक कार्यवाही अभियुक्त की मृत्यु के बाद उक्त न्यायालय के 9-3-1972 के एक आदेश द्वारा बन्द कर दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। एक सब-डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन श्री आर० एस० नागरवाला, अभियुक्त की मृत्यु की परिस्थितियों की जाँच कर रहा है। श्री डी० के० कश्यप, पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक, जो इस मुकदमे के अन्वेषण अधिकारी थे, मथुरा के समीप सड़क दुर्घटना में मर गये थे। पुलिस थाना वृन्दावन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/304-क के अधीन दिनांक 30-11-1971 को प्रथम सूचना रिपोर्ट 306 दर्ज की गई थी। इस मुकदमे में छानबीन से पता लगा कि श्री डी० के० कश्यप की कार 30-11-1971 को सायं 4-30 बजे एक तांगे के साथ टकरा गई, जो 4/5 तांगों के एक दल के साथ चल रहा था। तांगेवाला तथा उसका घोड़ा घटनास्थल पर मर गये। कार पूर्णतः नष्ट हो गई, और तांगे का एक बम श्री डी० के० कश्यप की दांई कनपटी में घुस गया और वह मर गये। इन परि-स्थितियों में आगे जाँच-पड़ताल नहीं की जा सकी तथा जाँच-पड़ताल बन्द कर दी गई है और इस मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट भेज दी गई है।

राज्यों में राज्यपालों के सरकारी निवासों से संलग्न अतिरिक्त भूमि का निपटारा

2693. **श्री पम्पन गौडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में विभिन्न सरकारी सदनों, जिनमें कि राज्यों के राज्यपाल रहते हैं, से संलग्न अतिरिक्त भूमि के निपटान का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). विभिन्न राज्य भवनों में व्यय के प्रतिरूप के बारे में एक समिति अध्ययन कर रही है, जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय प्रत्येक का एक-एक अधिकारी तथा नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक का एक नामजद व्यक्ति शामिल है। समिति इस बात की भी जाँच करेगी कि क्या राज्य भवनों में कोई आवश्यकता से अधिक भूमि है। यदि कोई फालतू भूमि हुई तो उसके निपटान के प्रश्न पर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गेहूँ की वसूली कीमत घटाई जाने और उसके परिणामस्वरूप किसानों में व्याप्त रोष का समाचार

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Sir, I call the attention of the Minister of Agriculture to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :

"Reported reduction in the Procurement price of wheat and consequent resentment among the peasants in Punjab and other parts of the country."

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सरकार ने 1972-73 के विपणन मौसम के लिए गेहूँ के अधिप्राप्ति मूल्य के स्तर के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। पिछले वर्ष लाल (देशी) गेहूँ का मूल्य 71 रुपये और 74 रुपये प्रति क्विंटल के बीच तथा अन्य किस्मों का मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल का निर्धारित किया गया था। कृषि मूल्य आयोग ने 1972-73 मौसम के लिए रबी खाद्यान्नों की मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि सभी राज्यों के लिए देशी लाल गेहूँ का अधिप्राप्ति मूल्य 66 रुपये प्रति क्विंटल और देशी साधारण सफेद और विभिन्न मैक्सिकन किस्मों के गेहूँ का 72 रुपये प्रति क्विंटल का एक सा मूल्य निर्धारित किया जाए।

2. सरकार ने पंजाब तथा देश के अन्य भागों के किसानों द्वारा आयोग की सिफारिशों के

विरुद्ध रोष प्रकट किए जाने के बारे में प्रेस रिपोर्ट देखी है। समाचार-पत्रों, तथा अन्य साधनों के माध्यम से आयोग के विचारों के समर्थन तथा विरोध में विभिन्न मत व्यक्त किए गए हैं। आगामी रबी मौसम के लिए गेहूँ के मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और उस पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा माननीय सदस्यों के विचारों पर ध्यान देने के बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन 13 और 14 अप्रैल को होने जा रहा है।

3. सरकार ने किसानों को मूल्य साहाय्य देने की नीति इसलिए अपनाई है ताकि उत्पादक को लाभकारी मूल्य मिल सके, उपभोक्ता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न सुलभ हो सकें और खाद्यान्नों के उत्पादन की मौजूदा प्रवृत्ति बनी रहे। मूल्य नीति के इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने भारी विपणन कार्यों को करने हेतु विशेषतया भारतीय खाद्य निगम का सृजन किया है। आगामी विपणन मौसम के लिए गेहूँ के अधिप्राप्ति मूल्य के बारे में निर्णय लेते समय सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि उत्पादक तथा उपभोक्ता के हितों की पूरी-पूरी रक्षा की जाए।

Shri K. M. Madhukar : The statement made by the Agriculture Minister does not indicate as to how these problems have cropped up and how he proposes to solve them. The problem of reduction in procurement price of wheat arose with the report of Agricultural Price Commission in which doubts were expressed that a large number of farmers have devoted themselves to wheat production and are not growing cash crops. Therefore, a reduction in procurement price of wheat was suggested to divert the farmers to cash crops. This has caused resentment among the peasants of Punjab and other parts of the country.

The Government should not lose sight of the fact that with the increase in prices of the machines utilized in the field of agriculture, fertilizers and high rates of irrigation, the cost of production has gone up. Besides this consumers side also should not be ignored. While deciding the procurement price of wheat, poor farmers, agriculture labourers, the middle class people and the Government servants should also be taken into consideration.

The peasants are doubly cheated in the capitalist marketing system. They are paid less when their produce is purchased and they have to pay more when they are to buy it from the market. May I know whether the Government is going to take over the entire wholesale foodgrain traade through State Trading Corporation through Food Corporation of India ? Are they prepared to retain the present procurement price of wheat and to declare the procurement prices in advance by one year to enable the farmers to adjust themselves accordingly ? The Government should try to keep a balance in the price level of Consumer goods and the products of the farmers. May I know whether the Government considers to fix a limit by which procurement of wheat is made on a fixed price and beyond that it is procured as levy on big farmers ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैंने, आपने वक्तव्य में बताया है, इस समय सरकार संसद सदस्यों, परामर्शदात्री समिति, किसान फोरम द्वारा इस संबंध में व्यक्त किये गये विचारों तथा मूल्य वृद्धि के पक्ष अथवा विपक्ष में समाचार-पत्रों में व्यक्त किये गये विचारों का अध्ययन कर रही है और मुख्य मंत्रियों से परामर्श करने के पश्चात् इस बारे में निर्णय किया जायेगा। निर्णय करते समय उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखा जायेगा। जहाँ तक खाद्य निगम का संबंध है खाद्य निगम भारी मात्रा में गेहूँ की वसूली करेगा।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : The Agriculture Ministry should have formed a policy

regarding agricultural production and procurement prices. There has been an increase in the cost of agricultural production since last year till the present day. Costs of thrashing, fertilisers and tractors have gone up. The Government should take into consideration these increasing costs while deciding the procurement prices.

As regards subsidy, there is a budget provision of Rs. 100 crores as against the estimated expenditure of Rs. 120 crores. In case Rs. 40 crores, being provided as cost of wheat bags, is savedthen the deficit can be met and this amount may be given as subsidy to the farmers.

According to the figures available with me, farmers in Punjab and Haryana are to pay bank loans to the tune of Rs. 230 crores. In case there is a reduction in procurement price, farmers would not be able to pay their debts. If these loans are not cleared banks will not advance further loans for the coming crop, which can culminate in a new crisis. Therefore, the recommendation of the Agriculture Price Commission are not realistic. They are against the present circumstances.

It is said that the landed aristocracy is being formed. They, who say so, should look to the miserable conditions of wheat growers of Punjab, Haryana and Western U. P. ... (*Interruptions*) ...

We are ready to support the policy of ceiling on land holdings. We are ready to support the policy of imposing agricultural Income Tax. But we would oppose it if attemp is made to destroy the agricultural economy.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है। उस पर विचार किया जायेगा ।

Dr. Laxmi Narain Pandey : I do not find any thing regarding the interests of the farmers in the statement made by the Hon. Agriculture Minister. The various Agriculture universities have stated the cost of wheat production as Rs. 95 per quintal. May I know what action Government propose to take in this regard ? Hon. Minister has said that the Government have adopted the policy of price support to the farmers to ensure that the producer gets an incentive price, the consumer gets foodgrains at a reasonable price and the present trend of foodgrains output is sustained. May I know whether the Agricultural Price Commission have taken into consideration the cost of seeds, irrigation charges, transporation charges to thrashing machines and thrashing charges etc. while assessing the cost of production ? If there is a reduction in procurement price of wheat then its production may meet the same fate as the production of cash crops today. The declaration of procurement price in advance may provide an incentive to the farmers. They should be paid incentive prices to maintain the present level of production of foodgrains. As regards cost of production, a sample surevy in Farmers Training Institute, Rewa in Madhya Pradesh was conducted and it was found that the cost of production comes to Rs. 105 per quintal for small farmers. May I know what action Government propose to take to ensure the procurement prices not less than the cost of production ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहाँ तक लागत मूल्य का प्रश्न है, कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना तथा पंजाब सरकार के सांख्यकी विभाग ने इसका अनुमान लगाने का प्रयास किया है। उनके आँकड़ों पर कृषि मूल्य आयोग ने विचार किया था। आयोग ने इन आँकड़ों को सही नहीं माना है। (व्यवधान)

उत्पादन लागत का मूल्यांकन करने के लिये हमने कृषि मंत्रालय में एक विभाग बनाया है जो आंकड़े एकत्र करेगा। मुझे आशा है अगले वर्ष चावल तथा गेहूँ की फसल तक हमें उत्पादन लागत के सही आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे।

वसूली मूल्य को घटाने तथा बढ़ाने दोनों विषयों पर ही तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ हमें निश्चय करने से पूर्व उत्पादक, उपभोक्ता दोनों के हितों को ही दृष्टि में रखना है।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : भारत की समृद्धता किसान की समृद्धि पर निर्भर है। छोटे किसानों को समृद्ध बनाया जाना चाहिये। जो भी मूल्य सरकार निश्चित किसानों के लिये करे वह पर्याप्त होना चाहिये। सरकार ने इसी उद्देश्य से मूल्य आयोग का गठन किया था। परन्तु खेद की बात यह है कि कृषि मूल्य आयोग में कोई भी किसान सदस्य नहीं था। किसानों को राहत देने का हमारा यह तरीका है। किसानों की कठिनाइयों का इस आयोग को किस प्रकार पता चलेगा? कोई भी किसान सदस्य न होने का ही यह परिणाम है कि ऐसे मूल्य निश्चित किये गये।

भारत में सिंचाई वाली भूमि की तुलना में ऐसी भूमि की प्रतिशतता क्या है जिसमें सिंचाई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं? गेहूँ तथा अन्य कृषि उत्पादों के मूल्य निश्चित करने से पूर्व कृषि मूल्य आयोग ने सिंचाई सुविधाओं से रहित कितने फार्मों का अध्ययन किया? इन फार्मों में प्रति क्विंटल गेहूँ की लागत कितनी आती है? फसल आने से कम से कम 6 माह पूर्व सरकार अपनी मूल्य नीति की घोषणा क्यों नहीं करती है? बताया गया है खाद्य निगम घाटे में चल रहा है क्योंकि वसूली पर आने वाले व्यय में वृद्धि हो गयी है। क्या सरकार खाद्य निगम के वसूली व्यय तथा वितरण व्यय को कम करने तथा खाद्य निगम के कार्यकरण की जाँच करने लिए एक आयोग नियुक्त करेगी?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहाँ तक गेहूँ के उत्पादन का प्रश्न है सिंचाई सुविधाओं वाली भूमि की तुलना में सिंचाई सुविधा रहित भूमि की प्रतिशतता 50 है और उत्पादन 20 प्रतिशत है। कृषि मूल्य आयोग ने किन किन बातों पर विचार किया है वे मुझे ज्ञात नहीं हैं। जहाँ तक उत्पादन लागत का प्रश्न है इस संबंध में भी आँकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। इसी उद्देश्य से हमने अपने मंत्रालय में एक विभाग की स्थापना की है।

वर्तमान वसूली मूल्य तीन वर्ष से चला आ रहा है। जिस समय मूल्य निश्चित किया गया था देश में सूखा की स्थिति थी और मूल्य बहुत ऊँचे थे। वर्तमान मूल्य किसानों के लिये लाभप्रद हैं। जहाँ तक मूल्यों को कम करने का प्रश्न है हम मुख्य-मंत्रियों से परामर्श करने के पश्चात् ही कोई निर्णय करेंगे।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): May I know whether the hon. Minister has given his attention towards the recommendations made by the Seed Corporation of India, if so, whether he would take them into consideration while fixing the wheat price?

According to the recommendations of the Seed Corporation, production cost is estimated Rs. 1760 and the yield from 40 to 45 maunds per acre. May I know whether the Hon. Minister or the Agriculture Price Commission have gone into these figures?

As regards the report of the Agricultural Price Commission one thing is understood and that is that the procurement will be expensive enough. The Government want to compensate these expenses from the cost of wheat. Is it a realistic view point ?

We are required to sustain the present trend of foodgrain output. Therefore, it s necessary that farmers are given incentive prices for their produce. But it is unfortunate thaitthe Government are not paying their attention to this aspect.

May I know whether the Government have set up any Corporation for the annual review of their price policy ? Why they have not yet formulated the policy regarding agricultural products ? If the peasants are not paid remunerative price they will lose their intrests in wheat cultivation. Wheat should be given to the consumers at subsidized prices. This way the consumer as well as the producer will be satisfied. All these things should be taken into consideration while deciding the procurement prices.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य ने जो नीति संबंधी उद्देश्य प्रतिपादित किये हैं उनसे सभी सहमत हैं। हम भी उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों के हितों की रक्षा के समर्थक हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुये ही कोई निर्णय किया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : श्रीमन्, मैं श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (वाणिज्यक रेडियो संचालन प्रवीणता प्रमाण पत्र और वायरलेस टेलीग्राफी संचालन के लिये लाइसेंस) संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1470 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1713/72.**]

संघलोक सेवा आयोग (परामर्श छूट) संशोधन विनियम 1971, अखिल भारतीय सेवायें (मंहगाई भत्ता) नियम, 1972 और भाषायी अल्प संख्याओं के आयुक्त का प्रतिवेदन

गृह कार्य मंत्रालय और कार्मिक बिभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र पुनः सभा पटल पर रखता हूँ :

1. संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श छूट) संशोधन विनियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखेंगे, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1654 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

2. (एक) मैं उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित अधिसूचना को पुनः सभा पटल पर रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1714/72.]**

(दो) अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 362 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1715/72.]**

(तीन) (क) संविधान के अनुच्छेद 350 ख के खंड (2) के अन्तर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 तक की अवधि के 12वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1716/72.]**

नागरिकता अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं, श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) नागरिकता (संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 296 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) नागरिक (भारतीय कौंसल में रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 297 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०–1717/72.]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"कि राज्य सभा 10 अप्रैल, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 4 अप्रैल, 1972 को पास किए गए भारतीय ताम्बा निगम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1972 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

34वां और 35वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :

(1) स्वास्थ्य विभाग के संबंध में समिति के 125वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 34वां प्रतिवेदन।

(2) औद्योगिक विकास विभाग तथा श्रम और रोजगार विभाग के संबंध में समिति के 104वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

चौथा प्रतिवेदन

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

समितियों के लिए निर्वाचन

ELECTIONS TO COMMITTEES

प्राक्कलन समिति

श्री कमल नाथ तिवारी (बलिया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1972 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले कार्य काल के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 311 के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1972 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले कार्य काल के लिए प्राक्कलन समिति के सस्दयों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचन करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

लोक लेखा समिति

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 309 के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1972 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले कार्य-काल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 309 के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1972 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री सेझियान : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

. "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1972 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1972 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री एम० बी० राणा (भड़ौच) : मैं प्रस्ताव हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 312 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1972 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले कार्य-काल के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दस सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 312 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1972 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले कार्य-काल के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दस सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री एम० बी० राणा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1972 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से पाँच सदस्य नाम निर्दिष्ट करें और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1972 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा

की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से पाँच सदस्य नामनिर्दिष्ट करें और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अनुदानों की मागें —1972-73

DENANDS FOR GRANTS—1972-73

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग

अध्यक्ष महोदय : अब सदन द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की मांग संख्याओं 6 से 8 तथा 106 और संस्कृति विभाग की माँग संख्याओं 93-94 पर विचार किया जायेगा। इनके लिए 6 घंटे का समय निश्चित है और इन पर 3 इकट्ठी चर्चा की जायेगी। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वह 15 मिनट के भीतर उनकी सूचना पटल पर दे दें उन्हें प्रस्तुत समझा जायेगा ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गईं :

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
6	शिक्षा विभाग	2,03.37,000
7	शिक्षा	66,04,62,000
8	समाज कल्याण विभाग	7,28,15,000
106	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय 1972-73 वर्ष का पूँजी परिव्यय	87,29,000

संस्कृति विभाग की वर्ष 1972-73 की निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत की गईं :

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
93	संस्कृति विभाग	3,75,25,000
94	पुरातत्व	2,03,52,000

उड़ीसा में भुखमरी से हुई मृत्यु के बारे में

RE : STARVATION DEATH IN ORISSA

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : क्या मैं उड़ीसा में भुखमरी से हुई मौतों और लगभग दुर्भिक्ष की स्थिति का विषय उठा सकता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अनुमति दी जाये। अब तक 62 मौतें हो चुकी हैं। सरकार को तत्काल कुछ करना चाहिए। उड़ीसा के नौ मिलों में भयंकर दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : There is similar situation in Bihar also. There is scarcity of foodgrains in Rajasthan too. Calling Attention should be admitted so that Government could explain the whole facts.

अध्यक्ष महोदय : हम पहिले ही अगला विषय ले चुके हैं।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—CONTD.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग—जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश भट्टाचार्य।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। शिक्षा और समाज कल्याण के संबंध में अलग-अलग प्रतिवेदन हमें मिलते थे पर अब ऐसा नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में अध्यक्ष की व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। इस बारे में सरकार का ध्यान दिलाना होगा।

श्री आर० डी० भंडारे : यदि समाज कल्याण के लिए अलग समय नहीं दिया जाता तो यह उस विषय के साथ अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय : इन पर इस समय इकट्ठा विचार हो रहा है भविष्य में अलग समय दिया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इस सुझाव को स्वीकार कर लेंगे।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० नूरुल हसन) : इस सुझाव को स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : *देश में व्याप्त निरक्षरता, शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता और वर्तमान शिक्षा पद्धति की असफलता के लिए हमें शिक्षा मंत्री को श्रेय देना चाहिये।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English Translation of speech delivered in Bengali.

शिक्षा के क्षेत्र में जो अव्यवस्था है उसे सुधारना दिल्ली के नौकरशाही शासन के लिए संभव नहीं रहा। इस मंत्रालय की इतनी आलोचना हुई है पर फिर भी मंत्रालय के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

पिछले कुछ समय से हम सुन रहे थे कि हम शक्तिशाली राष्ट्र बन गये हैं। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या कुछ इमारतें बना लेना ही शक्ति है? किसी राष्ट्र की शक्ति वास्तव में शिक्षा में है। शिक्षा राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। यदि रीढ़ की हड्डी कमजोर हो तो शरीर शक्तिशाली नहीं हो सकता। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो उन्होंने हमारे ऊपर एक ऐसी शिक्षा पद्धति थोप दी जिसे हम आज तक नहीं छोड़ सके। आज निरक्षरता के क्षेत्र में हमारा विश्व रिकार्ड है। विश्व के 50% निरक्षर लोग हमारे देश में हैं।

काँग्रेस ने आश्वासन दिया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जायेगी। परंतु बीस वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और हमारी प्रगति नगण्य ही है। चुनावों के दिनों में काँग्रेस ने आश्वासन दिया कि 1975 तक देश में प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी जायेगी। परंतु इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार अपने आश्वासन पूरे करने के प्रति दृढ़ नहीं है। वास्तव में आश्वासन तो क्या पूरे होंगे देश में शिक्षा की प्रगति रुकी ही है। यदि हम देश से निरक्षरता को ही नहीं हटा सकते तो हम जनता के स्तर में कैसे सुधार करेंगे। शिक्षा देश की प्रगति का आधार है।

हमने आज तक कोई शिक्षा नीति निर्धारित नहीं की। वही पुरानी ब्रिटिश नीति का ही अनुसरण किया जा रहा है। हमने अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारित नहीं की। सरकार ने अनेक आयोग नियुक्त किये। परंतु उनकी सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की गईं।

अध्यापक पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की माँग करते रहे हैं। यह भी माँग की जाती रही है कि माध्यमिक स्तर तक की पुस्तकें विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जायें। पुस्तक व्यवसाय बहुत लाभदायक है। यदि उपरोक्त सुझाव स्वीकार नहीं तो विद्यार्थियों को सस्ती पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी चाहियें।

शिक्षा पद्धति को हमें व्यवसाय-प्रधान बनाना चाहिये। इस दिशा में कई बातें कही गई हैं परन्तु ठोस परिणाम अभी तक दृष्टिगत नहीं हुए। वही लोग शिक्षा क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाए हैं जो अंग्रेजी शासन काल में पीठासीन हुए थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भी उनका दृष्टिकोण बदला नहीं।

शिक्षा के लिए अधिक धनराशि का नियतन किया जाना चाहिये। द्वितीय विश्वयुद्ध में इंगलैंड में जहाँ अन्य सभी कार्यों के लिए धन राशि में कटौती की गई थी परंतु शिक्षा पर व्यय में कुछ भी कटौती नहीं की गई। क्योंकि वह जानते थे कि युद्ध जीतने और देश को शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है।

दिल्ली प्रशासन के अधीन अध्यापकों/प्रोफेसरों की भर्ती, उन्हें स्थायी करने, पदोन्नति, आदि के संबंध में स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। दिल्ली के अध्यापकों को आश्वासन दिया गया था

कि बंगला देश की समस्या के हल होने के पश्चात् उनके वेतनमानों को पुनरीक्षित किया जायेगा परंतु समस्या के हल हो जाने के उपरांत भी कुछ नहीं किया गया है।

माननीय मंत्री को यह तथ्य मालूम होगा कि सप्रू हाऊस लायब्रेरी गवेषणा का बहुत उत्तम केन्द्र है। न केवल भारत के विभिन्न भागों से अपितु विदेशों से भी विद्यार्थी और अध्यापक यहाँ पर गवेषणा के लिए आते हैं। परन्तु इसके बाँटने का षड़यंत्र किया जा रहा है। सरकार इस लायब्रेरी के बँटवारे को रोके।

पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कालेज, धनबाद के विद्यार्थी अपनी शिकायतों के लिए बहुत समय से आन्दोलन कर रहे हैं। पास होने वाले विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिलता। परंतु विडंबना की बात है कि बड़ौदा में इसी प्रकार का एक अन्य कालेज खोल दिया गया है।

शिक्षा पद्धति में आज बहुत अराजकता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब समाचार-पत्रों में इस बारे में कोई समाचार प्रकाशित नहीं होता। निखिल बंग शिक्षक समिति के अध्यक्ष, श्री सत्य प्रिय राय ने अपने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि 1000 से अधिक प्राथमिक अध्यापकों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। कचरापाडा में उच्चतर माध्यमिक स्कूल की लड़कियों को लाल साड़ी पहन कर स्कूल में नहीं आने दिया जाता। बहुत से कालेजों के अध्यापकों को, यहाँ तक कि एक प्रिंसिपल को त्यागपत्र देने को बाध्य किया गया। माननीय मंत्री को शिक्षक होने के नाते इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुधाकर पांडे।

श्री सुधाकर पांडे (चंदौली) : उठे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण भोजन काल के उपरांत प्रारंभ करें।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*.]

Shri Sudhakar Pandey (Chandauli) : The Government have set up study groups, Reveiwing Committes to accelerate the progress in the field of education. It is a well known fact that our Education Policy has become stagnant. It is not possible for any country to rise without the spread of education in the country. It is, therefore, necessary that we should take the country towards progress in the field of education so that a great country like India could become greater still.

Election manifesto of the Congress Party had promised to the people that by 1975 they would be able to introduce compulsory Primary education upto the age of 11 years and by 1980 it would be introduced for the children upto the age of 14 years in the country. I would request the Education Minister to accelerate the efforts in this direction. There has been a talk that a model Middle school would be set in a each Block and district. This should be immediately impleme nted. If there is any policy difference between the Central and State Governments it should not be allowed to stay. Such differences create hurdle s in the development in this field. If amendment in the constitution is considered neccssary for this object that step should also be taken, so that bottlenecks are not allowed to stay in the path of spread of education.

University Grants Commission has been donig a very good work. It has made arrangements for providing funds to all Universities. Its functions have increased to such an extent that it is spending all its time towards making financial allocation. It has not been left with much time to attend to the standardisation of education, the work which was originally allocated to it. This body should either be expanded or a new body be set up to attend to the spread of education.

Politicians have been trying to gain political leverage in Educational Institutions. we should try to free these Institutes from the control of politicians. Crores of rupees belonging to poor people are spent on Universities. Researches being conducted in Universities, is confined to Libraries. People are not able to make use of those. There were researches in the field of agriculture and people were benefited with that. But people are not able to make use of knowledge about other subjects. The reason for this state of affairs is that the research is being conducted in the language which people do not know. It is, therefore, essential that these should be done in our own languages.

It is very good that the Central Government allocated an amount of 1 crores of rupees to each state for the development of literature in Indian languages. But that amount is not utilized properly. The Ministry of Education shelves its responsibility in this regard. But the matter should not be allowed to rest there. Misuse of money should be checked. This is not contributing towards spread of knowledge. Whatever was taught 30-35 years ago, is being taught today also. Modern knowledge is not being imparted.

A number of Academies have been set up for the spread of different Arts and literature. An Enquiry Committee had been set up 2-3 years ago to look into their working. But its report has not so far been submitted. After its submission that would be considered for 2-3 years by the Ministry. And that way a period of 7-8 years would have gone and recommendations become out-dated.

A controversy has been raging over Sapru House and the Library. The Education Ministry instead of involving itself in litigation, should contribute towards the development of education.

I hope the Government will pay necessary attention towards this question.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी वही है जो अंग्रेजों के समय में थी। लार्ड मकोले हमारी शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता थे। शिक्षा में सुधार लाने के लिये सरकार ने समय समय पर अनेक आयोग तथा समितियाँ स्थापित कीं, लेकिन प्रश्न यह है कि इन आयोगों तथा समितियों की सिफारिशों को सरकार ने किस सीमा तक कार्यान्वित किया है ? दो

दशक पहले डा० राधाकृष्णन् ने कहा था कि परीक्षा प्रणाली में सुधार लाया जाना चाहिये । इस सिफारिश के क्या परिणाम निकले ?

विश्वविद्यालयों की स्थिति आज क्या है ? परीक्षा हाल में नकल करना एक आम बात हो गयी है । आज जिसे परीक्षा कहते हैं वह वास्तव में स्मरण शक्ति की परीक्षा है । शिक्षा के अन्य पहलुओं की क्या स्थिति है ? क्या हमारी शिक्षा द्वारा कोई उद्देश्य पूरा हो रहा है ? करोड़ों निरक्षर लोगों के लिये आप न जाने देश में किस प्रकार का समाजवाद लाना चाहते हैं ।

कितना अंतर है ? पब्लिक स्कूल ब्रिटिश परम्परा के अनुसार अच्छे चल रहे हैं । सरकार उन्हें हर प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है । यह एक शर्मनाक संस्था है और इसे समाप्त करना चाहिये लेकिन सरकार ऐसा न करेगी ।

25 साल का नवयुवक जो आजादी के दिन पैदा हुआ था, बेरोज़गार है । शिक्षित है तो शिक्षित बेरोज़गार और अशिक्षित है तो अशिक्षित बेरोज़गार । उसकी बेरोज़गारी बहुरंगी है । यह हमारी शिक्षा प्रणाली के कारण है ।

अभी अभी समाचार मिला है कि टी० डी० मैडिकल कालिज के विद्यार्थियों की 23 दिन की हड़ताल केरल के अलेप्पी शहर में फैल रही है और सारा शहर हड़ताल मना रहा है । इस हड़ताल का कारण प्रति व्यक्ति शुल्क ही है । चिकित्सा परिषद् ने न जाने यह निर्णय कैसे लिया ? फिर यह भी निर्णय लिया गया कि टी० डी० मैडिकल कालिज अलेप्पी की डिग्री को मान्यता न दी जाये, इन सब बातों के लिये कौन जिम्मेवार है ? क्या विद्यार्थी हैं जिन्हें इसका फल भोगना चाहिये ? सरकार को इस मामले पर वक्तव्य देना चाहिये ।

हमारी शिक्षा प्रणाली का समाजवाद तथा धर्मनिर्पेक्षता में क्या अंशदान है ? समाजवाद विरोधी तथा साम्प्रदायिकता सिखाने वाली शिक्षा संस्थाओं में लगी पाठ्यपुस्तकों को जितनी जल्दी हो सके पाठ्यक्रम से निकाल देना चाहिये । इस के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये ।

विद्यार्थी अनुशासनहीनता के लिये दोषी नहीं ठहराये जा सकते हैं । विद्यार्थी अनुशासनहीनता हमारे समाज में व्याप्त अनुशासनहीनता का ही एक भाग है । हमें समूची प्रणाली में परिवर्तन करना है यदि हमें देश में अनुशासन लाना है ।

सप्रू हाउस लाईब्रेरी के बारे में सरकार को जल्दबाज़ी में कोई निर्णय नहीं करना चाहिये । इसकी हर समस्या पर विचार किया जाना चाहिये । नेशनल फिटनेस कार्प्स के कर्मचारियों के संबंध में निर्णय लेते हुए सरकार को उनके एसोसिएशन से भी विचार विमर्श करना चाहिये ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अध्यापकों के मामले पर भी सरकार को ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये ।

जनजाति क्षेत्रों की पाठशालाओं की स्थिति में सुधार करने की दिशा में भी सरकार को

उचित कार्यवाही करनी चाहिये । लोक कला और संस्कृति के संरक्षण के लिये भी सरकार को समर्थन प्रदान करना चाहिये ।

श्री पी० एंथनी रेड्डी (अनन्तपुर) : आश्चर्य है कि 1971 में 29 प्रतिशत साक्षरता थी जब कि यही प्रतिशत 1961 में 30 था । हम पीछे ही हटते जा रहे हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि 50 प्रतिशत भी नहीं रही । इस प्रणाली में कोई न कोई खराबी अवश्य है । अनेक असंख्य शिक्षित बेरोज़गार हैं और असंख्य प्रशिक्षित अध्यापक भी बेरोज़गार हैं । इन सब बातों पर पुनर्विचार अनिवार्य है । यदि कांग्रेस दल अपने घोषणापत्र का सही अर्थ में पालन करे तो हम अवश्य ही निरक्षरता को दूर कर सकेंगे ।

मंत्रालय को अपनी योजना में परिवर्तन करना चाहिये और सम्भव हो तो प्रौढ़ निरक्षरता दूर करने के लिये अधिक राशि की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि इस लक्ष्य को हम 10 से 20 वर्ष तक के समय में पूरा कर सकें । मंत्रालय को विभिन्न राज्यों द्वारा अपनायी गयी विभिन्न माध्यमिक प्रणाली में समानता लाने के लिये भी उचित कदम उठाने चाहिये । इसी प्रकार विभिन्न राज्यों की पाठ्य पुस्तकों विशेषत: विज्ञान, गणित संबंधी पुस्तकों में भी समानता लायी जानी चाहिये ।

पंचायती राज संस्थाएं भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की राह में बाधाएं हैं । इन संस्थाओं के कार्यकर्त्ता अकार्यकुशल होने के साथ साथ सत्ता के भूखे होते हैं ।

फिर विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें प्रयोग में लाई जाती हैं । मैं भाषा के मामले इसके बीच में नहीं लाता । पर कम से कम विज्ञान के विषयों की पुस्तकें जो संसार भर में एक सी ही हैं पुस्तकें एकसी ही होनी चाहिए । देश भर में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनु-संधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा बनाई गई पुस्तकें पढ़ाई जानी चाहिए । इसके लिए सरकार समुचित कार्यवाही करे ।

यदि सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहती है तो उसे गम्भीरता से शिक्षा आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए । वे वास्तव में बहुत ही अच्छे और बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव हैं ।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का नागचौधरी समिति के सुझावों तथा बटुसिंह समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए । यह परिषद बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है । इसमें इस प्रकार और सुधार किया जाना चाहिए ।

हमारी तकनीकी शिक्षा में भी कहीं कोई त्रुटि है और यही कारण है कि हमारे इंजीनियर डिप्लोमाधारी तथा अन्य तकनीशियन बेरोजगार हैं । इसमें सुधार किया जाना चाहिए । हमें अपनी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं को डोनबोस्को औद्योगिक स्कूलों के अनुरूप चलाना चाहिए जहाँ के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण समाप्त करते ही काम मिल जाता है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये :—

माँग सं०	कटौती संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
8	5	श्री फूलचन्द वर्मा	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन विद्यार्थियों से, जो एक ही बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहते हैं, विद्यालय तथा महाविद्यालय की फीस लेने संबंधी नीति।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
8	6	श्री फूलचन्द वर्मा	आरम्भ की गई नई सेवाओं में प्रारम्भिक भर्ती के समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी अनुदेशों का पालन न किया जाना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
8	7	श्री फूलचन्द वर्मा	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति स्वीकार करने के मामले में वचनबद्ध व्यय की पद्धति आरंभ करने की नीति।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
8	8	श्री फूलचन्द वर्मा	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भिन्न जातियों के उम्मीदवारों का आरक्षित पदों के लिये चयन करने की नीति।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
8	9	श्री मूलचन्द डागा	समाज कल्याण विभाग में धन का दुरुपयोग।	100 रुपये
8	10	श्री मूलचन्द डागा	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग छात्रावास खोलने की दोषपूर्ण पद्धति।	100 रुपये
8	11	श्री फूलचन्द वर्मा	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक दशा में सुधार लाने में असफलता।	100 रुपये
8	12	श्री फूलचन्द वर्मा	अनुसूति जातियों तथा अनुसूचित जनजानियों के लोगों में प्रौढ़ शिक्षा आरम्भ करने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
8	13	श्री फूलचन्द वर्मा	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में सभी आरक्षित पदों में रोजगार प्राप्ति सुनिश्चित कराने में असफलता ।	100 रुपये
8	14	श्री फूलचन्द वर्मा	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को विभिन्न राज्यों में छात्रवृत्ति का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने में असफलता ।	100 रुपये
8	15	श्री फूलचन्द वर्मा	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विधान मण्डलीय समितियों की स्थापना करने में असफलता ।	100 रुपये
8	16	श्री फूलचन्द वर्मा	खाली पड़ी कृषि योग्य भूमि का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों में वितरण करने के लिये राज्य सरकारों को निदेश जारी करने में असफलता ।	100 रुपये
8	17	श्री फूलचन्द वर्मा	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी सरकारी उपक्रमों में पदों के आरक्षण के सिद्धान्त को लागू करने में असफलता ।	100 रुपये
8	18	श्री फूलचन्द वर्मा	हरिजनों को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए एक वित्तीय निगम बनाने में असफलता ।	100 रुपये
8	19	श्री फूलचन्द वर्मा	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी संसदीय समिति की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
8	20	श्री फूलचन्द वर्मा	इलया पेरूमल समिति की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता।	100 रुपये
8	21	श्री फूलचन्द वर्मा	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का विभिन्न सिफारिशों को, जो प्रति वर्ष सरकार को पेश की जाती हैं, क्रियान्वित करने में असफलता।	100 रुपये
8	22	श्री फूलचन्द वर्मा	देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर बढ़ते हुए अत्याचार और उत्पीड़न को रोकने में असफलता।	100 रुपये
7	23	श्री भोगेन्द्र झा	दरभंगा में आधुनिक मिथिला विश्वविद्यालय तुरन्त स्थापित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	24	श्री भोगेन्द्र झा	समस्त देश में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	25	श्री भोगेन्द्र झा	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समस्त देश में निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	26	श्री भोगेन्द्र झा	समस्त गैर-सरकारी पब्लिक स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	27	श्री भोगेन्द्र झा	समस्त देश में गैर-सरकारी उच्च विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अपने अधीन लेने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	28	श्री भोगेन्द्र झा	पाठ्य पुस्तकों से सभी साम्प्रदायिक लेख तथा सम्प्रदायिक विचारधारा को हटाने के अभियान की आवश्यकता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
7	29	श्री भोगेन्द्र झा	परिवार की वित्तीय कमजोरी को विद्यार्थियों के संबंध में पिछड़ेपन की कसौटी निर्धारित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	30	श्री भोगेन्द्र झा	उन सभी विद्यार्थियों की, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2000 रुपये से कम है, पूरी फीस माफ करने तथा छात्रवृत्तियाँ देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	31	श्री भोगेन्द्र झा	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी विद्यार्थियों की पूरी फीस माफ करने तथा छात्रवृत्तियाँ देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	32	श्री भोगेन्द्र झा	छात्रों, अभिभावकों तथा परीक्षकों द्वारा किये जाने वाले पक्षपात तथा कदाचार को समाप्त करने के लिए परीक्षा के वैकल्पिक तरीके की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	33	श्री भोगेन्द्र झा	शिक्षा की वर्तमान पद्धति के स्थान पर एक ऐसी पद्धति बनाने की आवश्यकता जो छात्रों में आत्म-विश्वास जगाये और अपना रोजगार खोलने की योग्यता पैदा करे और तकनीकी प्रगति बढ़ाये ।	100 रुपये
7	34	श्री भोगेन्द्र झा	सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए न्यूनतम निर्वाह-वेतन तथा अन्य सुविधायें सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	37	श्री रामावतार शास्त्री	सभी राज्यों में शिक्षा का समान स्तर लागू करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
7	38	श्री रामावतार शास्त्री	सभी राज्यों के लिए समान पाठ्य-क्रम निर्धारित करने में अस-फलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये

1	2	3	4	5
7	39	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा को सस्ता तथा सर्व सुलभ बनाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
7	40	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा संस्थानों में साम्प्रदायिक प्रचार को रोकने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
7	41	श्री रामावतार शास्त्री	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन करने में अनावश्यक विलम्ब।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
7	42	श्री रामावतार शास्त्री	छात्रवृत्तियों की राशियाँ बढ़ाने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
7	43	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
7	44	श्री रामावतार शास्त्री	उर्दू भाषा के प्रचार और विकास पर अधिक जोर देने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
7	45	श्री रामावतार शास्त्री	वर्तमान शिक्षा पद्धति को लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में असफलता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
7	46	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा को रोजगार-प्रधान बनाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
7	47	श्री रामावतार शास्त्री	देश में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
7	48	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा के स्तर पर क्रमिक गिरावट को रोकने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
6	90	श्री रामावतार शास्त्री	पाठ्य पुस्तकों की चोरबाजारी रोकने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
6	91	श्री रामावतार शास्त्री	जन संघ शासन के अधीन दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों को बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	92	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में बाढ़ से ध्वस्त विद्यालयों की इमारतों के पुर्ननिर्माण के लिए विशेष अनुदान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	93	श्री रामावतार शास्त्री	विश्वविद्यालय के अध्यापकों को केन्द्रीय सरकार की दर पर मंहगाई भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	94	श्री रामावतार शास्त्री	पटना विश्वविद्यालय को अपने ग्रन्थालय को समृद्ध बनाने के लिए विशेष अनुदान देने की आवश्यकता ।	100 रुपया
6	95	श्री रामावतार शास्त्री	पटना कामर्स कालेज को डेफिसिट अनुदान वर्ग के कालेज की श्रेणी में रखना ।	100 रुपया
6	96	श्री रामावतार शास्त्री	पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने में असफलता ।	100 रुपये
6	117	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये
6	118	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय विद्यालय, अनीसाबाद (पटना) को कंकड़बाग कालोनी में अपना भवन बनाने के लिए भूमि प्रदान करने में असफलता जिससे कि यह विद्यालय कंकड़बाग कालोनी में चला जाये ।	100 रुपये
6	119	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये
6	120	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के मामलों में अनियमितताओं को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
6	121	श्री रामावतार शास्त्री	दरभंगा जिले के समस्तीपुर में रेल कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के बच्चों के लिये एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता।	100 रुपये
6	122	श्री रामावतार शास्त्री	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय को हटाने में असफलता।	100 रुपये
6	123	श्री रामावतार शास्त्री	रिजनल कालेज आफ एजूकेशन, अजमेर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचार एवं संगठन पर प्रतिबंध लगाने में असफलता।	100 रुपये
7	124	श्री रामावतार शास्त्री	विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदानों का दुरुपयोग।	100 रुपये
7	125	श्री रामावतार शास्त्री	पटना विश्वविद्यालय की दुरवस्था को सुधारने के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	126	श्री रामावतार शास्त्री	छात्रावास निर्माण के लिए पटना विश्वविद्यालय को अधिक धन राशि देने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	127	श्री रामावतार शास्त्री	दरभंगा में एक केन्द्रीय विश्व-विद्यालय की स्थापना में अनाव-श्यक विलम्ब।	100 रुपये
7	128	श्री रामावतार शास्त्री	गैर-सरकारी विद्यालयों को सर-कारी अधिकार में लेने की आव-श्यकता।	100 रुपये
7	129	श्री रामावतार शास्त्री	तकनीकी शिक्षा के विस्तार पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।	100 रुपये
8	130	श्री रामावतार शास्त्री	पिछड़ी, सनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने की आव-श्यकता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
8	131	श्री रामावतार शास्त्री	विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संतोषजनक व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
8	132	श्री रामावतार शास्त्री	अंधे छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए और धन राशि देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
8	133	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उनके निर्धारित कोटे के अनुसार सरकारी नौकरियाँ दिलवाने में असफलता ।	100 रुपये
8	134	श्री रामावतार शास्त्री	पौष्टिक आहार देने की योजना सभी बच्चों के लिए लागू करने में असफलता ।	100 रुपये
8	57	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	विश्वविद्यालयों के कार्य में सरकार के अनुचित दबाव को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
8	58	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	विश्वविद्यालयों को अधिक प्रभावी और सक्षम बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
8	59	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	हिन्दी के देशव्यापी प्रयोग के लिए समुचित उपाय करने में उपेक्षा का भाव ।	100 रुपये
8	60	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	संस्कृत साहित्य में अनुसंधान कार्य आरम्भ करने में असफलता ।	100 रुपये
8	61	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करने की दृष्टि से शिक्षा संबंधी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
8	62	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं को तकनीकी शिक्षा का माध्यम बनाने में विलम्ब ।	100 रुपये
8	63	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	शिक्षा संबंधी नीति में पूर्णतया परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
8	64	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	प्रौढ़ ग्रामीणों और महिलाओं को शिक्षा की दृष्टि से एक विशेष शिक्षा संबंधी नीति तथा पद्धति बनाने में असफलता।	100 रुपये
8	65	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	मध्य प्रदेश में सरकारी तथा मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शिक्षा संस्थानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में असफलता।	100 रुपये
8	66	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के जिए शिक्षा पद्धति के स्वरूप को बदलने में असफलता।	100 रुपये
6	69	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	सप्रू हाउस लाइब्रेरी को दो भागों में विभाजित करने का निर्णय।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
6	70	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	अध्यापकों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में सम्मिलित होने और उसके लिए कार्य करने के लिए दी गयी अनुमति।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
6	71	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	दिल्ली में सरकारी स्कूलों के स्नातकोत्तर अध्यापकों को स्थातकोत्तर अध्यापकों के पद पर पदोन्नति के आधार पर उनकी सेवाओं को नियमित न करना तथा उन्हें वरिष्ठता प्रदान न करना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
6	72	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	निरक्षरता की समस्या हल करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
6	73	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	उच्च शिक्षा प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार देने की नीति जिसके परिणामस्वरूप मेधावी व्यक्तियों के विदेश चले जाने के मामलों की वृद्धि हुई है।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये

1	2	3	4	5
6	74	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	पाठ्य-पुस्तकों में अवैज्ञानिक तथा अप्रचलित बातों का रखा जाना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
6	75	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	संविधान में वर्णित रूप में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को क्रियान्वित न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
6	76	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	पब्लिक स्कूलों के चलाने पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
6	77	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	परम्परागत भारतीय कला तथा खेल-कूद के प्रति दृष्टिकोण ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
6	78	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	सभी शिक्षा संस्थाओं में छात्र संघों को पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार देने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
6	79	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	उप-कुलपतियों की नियुक्ति के बारे में नीति ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
6	80	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	केरल में एक संस्कृत विश्वविद्यालय तुरन्त स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	81	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	खेल-कूद के क्षेत्र में तुरन्त वास्तविक नीति अपनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	82	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक तथा प्रशासनिक निकायों में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देने की नीति को क्रियान्वित करने में असफलता ।	100 रुपये
6	83	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित इमारत को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से खाली कराने में असफलता ।	100 रुपये
6	84	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	बेरोजगारी को दूर करने की दृष्टि से शिक्षा में व्यापक जन-शक्ति आयोजन की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	5	5
6	85	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अधिक छात्रवृत्तियाँ देने, बेहतर होस्टल सुविधायें देने तथा अन्य सुविधायें देने की आवश्यकता।	100 रुपये
6	86	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	शिक्षा में आधारभूत परिवर्तन और सुधार करने की आवश्यकता, ताकि यह देश की आज की आवकता के अनुरूप हो सके।	100 रुपये
6	87	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	सभी जगह सभी परीक्षणों के लिए मातृ भाषा को माध्यम बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
6	88	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	उर्दू को प्रोत्साहन देने में असफलता।	100 रुपये
6	89	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में स्वयं सेवी संगठनों की सहायता करने में असफलता।	100 रुपये
8	97	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	रहने के लिए अनुपयुक्त क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए भूमि और रिहायशी बस्तियों का आबंटन।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जायें
8	98	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	भारत में आदिवासियों की संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य के सम्वर्द्धन की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये

***श्री आर० पी० उलगनम्बी** (वेल्लूर) : शिक्षा मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग के अनुदानों की माँगें पर बोलने से पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि इन विभागों का वर्ष 1971-72 का प्रतिवेतन कल सायं 5 बजे तक हमें नहीं मिला था। इन विभागों की गतिविधियों के बारे में पढ़े बिना इस संबंध में कुछ कहना कितना कठिन होता है। शिक्षा मंत्री स्पष्टीकरण दें कि उक्त प्रतिवेदन सदस्यों को पहले क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया जिससे हम लोग इन विभागों द्वारा प्राप्त किए गये लक्ष्यों के आधार पर अपने विचार रख सकते।

चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से पता लगता है कि देश में शिक्षित लोगों की संख्या

*तमिल भाषा में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the specch delivered in Tamil,

केवल 20 प्रतिशत है और ग्रामीण क्षेत्रों तथा महिलाओं में निरक्षरता अधिक है । अध्यापन-शिक्षा तथा पुस्तकों के प्रकाशन के संदर्भ में भी बहुत ध्यान देने तथा सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही यह तथ्य भी सामने आते हैं कि शिक्षा संबंधी योजनाओं के लिए नियत धनराशि भी पूरी तरह खर्च नहीं की गई है । यह तथ्य माँग संख्या 106 तथा माँग संख्या 7 को देखने से स्पष्ट हो जाते हैं जिनमें बजट अनुमान पुनरीक्षित अनुमानों से कहीं कम हैं। मंत्री महोदय इस संबंध में स्पष्टीकरण दें कि जहाँ इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा संबंधी बजट अनुमान बढ़ाये जायें वहाँ पूर्व निश्चित अनुमानों के अनुसार भी खर्च क्यों नहीं किया जाता।

चौथी योजना के अन्त तक प्रतिवर्ष 1200 छात्रों को 154 पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश देने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्राय: 40 संस्थानों को सहायता दी जा रही है । इसके लिए 1971-72 में 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु इसमें से भी केवल 25 लाख रुपये ही खर्च किये गये हैं । इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, अमरीका तथा रूस के साथ संयुक्त कार्यक्रमों के अधीन निकलने वाली उपदान प्राप्त कम मूल्य की पुस्तकों की प्रतिद्वन्द्वता का सामना करने के लिए कुछ चुनी हुई अंग्रेजी पुस्तकों को सहायता देने हेतु वर्ष 1971-72 में निर्धारित 10 लाख रुपये की राशि में से भी केवल 5 लाख रुपये खर्च किये गये और संबंधित विदेशों के साथ तत्संबंधी करार समाप्त होने तक भी उसके अधीन मिली सम्पूर्ण राशि को खर्च नहीं किया गया। मंत्री महोदय इस बारे में भी स्पष्टीकरण दें । केन्द्र सरकार का विचार आयातित पुस्तकों को प्रमाणित करने तथा पाठ्य-पुस्तक ग्रंथागार के रख-रखाव के लिए दो राष्ट्रीय शिक्षा स्रोत केन्द्र स्थापित करने का है । मेरा अनुरोध है कि एक केन्द्र मद्रास में खोला जाये जो कि शताब्दियों से शिक्षा का केन्द्र रहा है।

चौथी योजना में गैर-छात्र युवकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 500 लाख रुपये निर्धारित किया गया है । यह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है, परन्तु इसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों में से फिलहाल केवल खेल के मैदानों के विकास तथा रचनात्मक कार्य केन्द्रों को लिया गया है जिसके लिए 115 लाख रुपया रखा गया है । मैं जानना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के अधीन कितने तथा कहाँ-कहाँ रचनात्मक कार्य केन्द्र खोले गए हैं । साथ ही मुझे आश्चर्य है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम हेतु वर्ष 1972-73 के लिए केवल 25 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार अन्य अनेक कार्यक्रमों के लिए नियत धनराशियों का पूरा उपयोग नहीं किया गया है जिससे छात्रवृतियों के पात्र ग्रामीण छात्रों को भी बहुत हानि हुई है।

सब जानते हैं कि अनेक राज्यों में बाल-कल्याण के लिए कोई अधिनियम नहीं हैं और जहाँ हैं वहाँ उन्हें पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जाता। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर रे ने यहाँ सभा में घोषणा की थी कि बच्चों के कल्याण के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार की जायेगी परन्तु इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई प्रतीत नहीं होती। बम्बई में लगभग 135 रात्रि स्कूल हैं जहाँ श्रमिक वर्ग के करीब 30,000 बच्चे शिक्षा पाते हैं। ये स्कूल बड़े लोकप्रिय हुए हैं। ऐसे स्कूल देश भर में खोले जाने चाहिए ताकि हमारे समाज के कमजोर वर्ग को लाभ पहुँचे।

केन्द्रीय स्कूलों में क्षेत्रीय भाषायें नहीं पढ़ाई जाती हैं जिसके कारण विभिन्न राज्यों के छात्र अपनी मातृभाषा सीखने से वंचित रह जाते हैं। तमिलनाडु सरकार ने जब इस संबंध में केन्द्र को लिखा तो केन्द्र ने कहा कि यदि क्षेत्रीय भाषायें सीखने वाले छात्रों की संख्या पर्याप्त हो

तथा संबंधित राज्य तत्संबंधी कुल खर्च का आधा भाग वहन करें तो केन्द्र यह सुविधा केन्द्रीय स्कूलों में उपलब्ध करा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने यह शर्त मान ली परन्तु फिर भी उक्त आश्वासन केन्द्र ने पूरा नहीं किया है।

हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 15 राष्ट्रभाषायें हैं। परन्तु केन्द्र सरकार केवल हिन्दी और संस्कृत के विकास पर ही भारी राशि खर्च कर रही है। हिन्दी पर वर्ष 1971-72 में 9 करोड़ रुपया खर्च किया गया तथा संस्कृत के बारे में गत सप्ताह यूनेस्को सम्मेलन आयोजित किया गया। पता नहीं सरकार क्यों एक मृतभाषा का विकास करना चाहती है जबकि अन्य जन-भाषाओं की उपेक्षा की जा रही है। मेरा अनुरोध है संविधान में दी गई 15 राष्ट्रीय भाषाओं का समान रूप से विकास किया जाना चाहिये तथा हिन्दी को दिये गये विशेष दर्जे को हटाया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़े।

प्राथमिक तथा प्रौढ़ स्कूलों और होस्टलों, विकलांग स्कूलों को चलाने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं को केन्द्र सरकार की ओर से सीधे सहायता मिल रही है यद्यपि वे विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही हैं जबकि प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन के 85 वें अनुच्छेद के अनुसार उक्त सहायता राज्य सरकारों के माध्यम से दी जानी चाहिए। इसके लिये राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किये जाने चाहिएं।

जब राज्य सरकारें नये तकनीकी संस्थान या तकनीकी शिक्षा हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करना चाहती हैं तो उन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। इसके लिये स्वयं राज्य सरकारों को ही अधिकार दिये जाने चाहिये।

द्रविड़ भाषाओं के विकास के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय तमिल अध्ययन संस्थान पंजीकृत किया गया है जिसके अध्यक्ष राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और तमिलनाडु सरकार ने इसके लिये 25 एकड़ भूमि दी है तथा इस संस्थान ने वर्ष 1970-71 और 1971-72 में 74,000 रुपये खर्च किए हैं। इस संस्थान के लिये अनुमान 86 लाख रुपये का है परन्तु प्रधान मंत्री ने इस खर्च को कम करने को कहा है और अब इसे घटाकर 30 लाख कर दिया गया है। परन्तु केन्द्र सरकार ने फिर भी इस संबंध में कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की है जिससे कि यह योजना पूरी हो सके। मंत्री महोदय इस योजना की स्वीकृति के लिए शीघ्र कदम उठायें।

मुझे दुःख है कि हमारी समूची शिक्षा-पद्धति अस्पष्ट है और आज के नए वैज्ञानिक युग के छात्रों को रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन और असंबंधित कथाओं से प्रेरणा दी जा रही है। छात्रों को स्वर्ग व नर्क की बातें बताई जाती हैं जबकि आज मनुष्य चाँद पर भी पहुँच गया है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम बच्चों के विकास में बाधक हैं तथा उन्हें इस वैज्ञानिक युग में पिछड़ेपन की ओर ले जाते हैं। अतः हमारी शिक्षा पद्धति का पुर्ननिरूपण करके इसे नये वैज्ञानिक युग के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार ऐतिहासिक खंडहरों आदि के रख-रखाव संबंधी अनेक मामलों में अपनी अनुमानित राशि को खर्च नहीं कर पाती है और संबंधित कार्यक्रमों का लाभ नहीं होता। यदि सरकार

स्वयं को इस कार्य में असमर्थ पाती है तो वह यह कार्य राज्य सरकारों को सौंप दे। राज्य सरकारें इस कार्य को अधिक दक्षता से तथा ध्यानपूर्वक कर सकेंगी क्योंकि उनका सामान्य जनता से अधिक सीधा सम्पर्क होता है।

तमिलनाडु में थंजवुर में विश्व प्रसिद्ध ब्रादीश्वर मंदिर है। वहाँ थंजवुर के लोग इस मंदिर के निर्माता राजा चोला की प्रतिमा निर्मित करना चाहते है। तमिलनाडु विधान सभा ने भी सर्व सम्मति से इस माँग के समर्थन में एक संकल्प पारित किया है। परन्तु जहाँ इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमति मांगा जाना एक बुरी बात है वहाँ इससे भी निकृष्ट बात यह है कि केन्द्र ने यह अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। केन्द्र को तो ऐसी बातें राज्य सरकारों पर ही छोड़ देनी चाहियें। इससे भी केन्द्र और राज्यों के मध्य अनावश्यक तनाव कम हो सकता है।

यद्यपि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिये अनेक उच्चस्तरीय तथा महत्वपूर्ण समितियाँ, आयोग आदि बने हुए हैं, फिर भी इन वर्गों के लोगों की दशा बड़ी ही शोचनीय है। तमिलनाडु सरकार ने एक अधिनियम पारित करके गन्दी बस्तियों को हटाने और भिक्षुओं के पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करने की दिशा में कुछ कार्य किया है। परन्तु यदि ऐसे कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर किये जाएँ तो संतप्त लोगों को काफी राहत मिल सकती है।

राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने समाज-कल्याण कार्य-क्रमों को तेज करने पर जोर दिया है परन्तु इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। मंत्री महोदय अपने आश्वासनों और सुझावों को क्रियान्वित करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : यद्यपि इस वर्ष 1972-73 के अनुमान गत वर्ष के खर्च की तुलना में 9 करोड़ रुपये अधिक हैं तो भी माँगों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि तकनीकी शिक्षा के प्रचार पर गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम राशि निर्धारित की गई है। अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिये विदेशों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु कोई राशि नियत नहीं की गई है। इस से इन वर्गों के लोगों को हानि होगी क्योंकि वे सवर्ण हिन्दुओं के समकक्ष नहीं आ सकेंगे। दूसरी ओर पब्लिक स्कूलों पर 34,96,000 रुपये और अधिक खर्च करने की व्यवस्था की गई है। यह तथ्य सरकार के समाजवादी नारे के सर्वथा विपरीत है। मेरा मंत्री महोदय को सुझाव है कि पब्लिक स्कूलों के लिये नियत की गई इस राशि को अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के छात्रों के विदेशों के अध्ययन हेतु लगाया जाये।

शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, युवक कल्याण तथा सामाजिक शिक्षा के लिये अतिरिक्त राशि के प्रस्तावों का स्वागत है, परन्तु दूसरी ओर हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार में तथा ग्रामीण संस्थान आदि खोलने में सरकार ने उत्साह नहीं दिखाया है और उनके लिये बहुत कम राशि नियत की है।

हम सब जानते हैं कि भारत में शिक्षित लोगों के मध्य बेरोज़गारी एक महामारी के समान फैलती जा रही है। इसे तुरन्त रोका जाना चाहिये। इसके लिये हमें किताबी-कीड़े पैदा करने

वाली अपनी शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने चाहिये। इस संदर्भ में हमें जापान, स्विटजरलैंड, पश्चिम जर्मनी आदि देशों से प्रेरणा लेनी चाहिये जिन्होंने मिश्रित शिक्षा प्रणाली तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति अपना कर इस समस्या को बहुत सीमा तक हल कर लिया है। बेरोजगारी के कारण अपराध-वृत्ति बढ़ती है और साथ ही छात्र-असन्तोष भी।

छात्रों में अनुशासनहीनता को रोकने के लिये उन्हें कालेजों या विश्वविद्यालयों के प्रबंध में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। हमें उनकी न्यायसंगत मांगों को पूरा करने में संकोच नहीं करना चाहिये।

आज विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तरों में तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में भी शिक्षा स्तरों में बड़ा अन्तर है। इस अन्तर को दूर करने के लिये सभी विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम रखे जायें तथा परीक्षा की उत्तर-कापियों को संबंधित राज्यों से बाहर भेजा जाये। परन्तु यह केवल तभी हो सकता है जबकि केन्द्र सरकार शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दे। यह इस लिये भी आवश्यक है कि राज्य सरकारें अपने आर्थिक स्रोतों के अभाव में इस खर्च को सहन नहीं कर सकतीं। हमने आज तक शिक्षा को उचित स्थान व महत्व नहीं दिया। इस कारण हमारी कठिनाइयाँ बढ़ी हैं और आगे भी बढ़ेंगी। मेरा सुझाव है कि संविधान में संशोधन करके शिक्षा को केन्द्रीय विषय बनाया जाये।

बिहार के स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा की स्थिति बड़ी ही खराब है। वहाँ परीक्षायें भी उचित समय पर नहीं होतीं और उनका आयोजन भी समुचित ढंग से नहीं होता। परीक्षाओं के नाम पर वहाँ लूट-सी मची है और बिहार सरकार इस स्थिति को सुधारने में सर्वथा असमर्थ है। मेरा सुझाव है कि बिहार में तुरन्त ही शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। साथ ही बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय के बारे में निर्णय तुरन्त किया जाना चाहिये ताकि वहाँ के लाखों लोगों की यह न्यायोचित माँग पूरी हो।

आज दिल्ली के सप्रू हाउस पुस्तकालय का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पुस्तकालय में बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनसे बड़ा लाभ हो रहा है। परन्तु इस पुस्तकालय का विभाजन किया जा रहा है। मंत्री महोदय इस पुस्तकालय के हित में और इसके लाखों पाठकों के हित में इसकी अनुमति न दें।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : It would have been more useful if the Ministry of Education, the Social Welfare Department and the Department of Culture were not combined together, since we would have discussed their activities separately in a more useful way.

The Government have never given due importance to Education. The meeting of the Advisory Committee is also held only once a year. No attention was given to the recommendations of a Committee set up in 1967 and also to those of Kothari Commission thus, the entire Education System suffered very hardly. In Iran and Malaysia, 70 or 80 percent of the students come out successful in their course—although these countries are economically backward. In Japan, the result remains cent per cent. But unfortunately no care is taken of the students in India.

The increment made in the salaries of the teachers in Delhi in December 1971 was earlier refused on account of Bangla Desh Refugees problem, and now the hon. Minister has assured the payment in the next two months whereas no delay is made in the huge allowances drawn by Minister etc. for their tours. The condition of the teachers as also that of schools in various states is very deplorable. 75 percent of schools in Bihar do not have even roofs. The State Government also do not pay any attention for improving the situation. There is no discipline both among the teachers and the students. Teachers smoke cigarettes in the class-rooms, what will the students learn ? Students are not given representation in the management of the colleges and universities, and therefore they agitate with the result that there are strikes, closure of institutions and also police firings etc. We are responsible for all that because we have no National Policy on the Education. Had we got a definite National Policy, there would have neither been language disputes nor any type of separatist tendencies in the country. There would have been only one language and the entire country linked with one medium. But the Government does not want to have a National Policy. What has happened to that 3-language formula ? You look to the States but do not do it yourself.

As regards education, it is a pity that students read under tents. They are very heavily loaded with sylabii which they cannot go through during the year, not to speak of reading and grasping the books. Much corruption is going on in regard to prescription of text-books. Then, it is very costly to get education. In our country, it is not within the means of poor people.

In Central Schools also, the percentage should be 30 for the outsiders and 70 for the Central Govt. employees; but the situation is quite reverse.

Then there are lots of malpractices and corruption in regard to examination results, furniture for the schools and receipt and exemption of school fees and maintenance of school-buildings etc.

Nothing is being done for bringing up the living standards of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. Even now they carry filth on their heads, live in slums and also face grave insult and victimization. For example, recently a Harijan young girl in Jullundur was taken out naked in a procession through the streets. This happens almost every day at one or the other place in the country.

In Rajasthan, the Government could not provide even drinking water for the poor and backward people they bring water from a distance of 3 or 4 miles. And still this Government says that they are improving the villages. The Government should realise that they cannot bring socialism until they uplift and advance the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people of the country. Similarly, education in the country should be within the easy approach of even the poorest section of the society.

Under the Social Welfare Department, the condition of the schools, hostels and also the food served there is most wretched. The scholarships given to the Scheduled Caste and Tribe students are also very meagre and totally non-commensurate with the present day high price level.

It is said that suitable persons from Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available. But we find that in the Ministries and Departments of the Governments there are hardly any people belonging to Scheduled Castes and Tribes in class I or II services. You cannot even find a Scheduled Caste chowkidar for the Army Headquarters.

The Government propose to give Rs. 1200 to a Harijan for building a House.

A Committee was also proposed to be set up for the purpose but it has not been constituted so far. Nobody knows how many houses have been built so far under this scheme and how much good has been done to the Harijans. Is it not a joke to day that a house will be built in Rs. 1200 ?

The Government should be ashamed for providing merely Rs. 3 crores for the uplift of the Harijans ! Even to day the Harijan carries filth on the head and you cannot provide him with a hand-cart. May I know why the provision of Rs. 193 crores was not fully utilised ? Perhaps because it was meant for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Even the States have not utilised the provisions made.

Rajasthan spent Rs. 75 crores on draught relief works and declared that they have constructed 2600 mile long road. But all this is fictitious.

There should be free education up to Matric and good food should be provided to the children of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The money allocated for Harijan welfare works is not being spent for their welfare.

The condition of the Harijans should be improved houses should be constructed for them and their children should be sent abroad for engineering and other subjects of higher study.

Agriculture, Medical and Engineering Colleges should be opened at Kota.

Shri G. C. Dixit (Khandwa) : Education is the symbol of the spirit and the social values of a nation and it plays a vital role in economic development. Our present-day education does not fulfil this condition. It has failed to widen the human outlook and prepare the people as efficient human capital. It has failed to eliminate the social evils and raise the society to a higher-level.

Our examination system is not satisfactory. The emphasis is on passing the examination and not preparing the child for life. Only bookish knowledge is given. Founders of basic education have repeatedly stressed that general knowledge, knowledge of our surrondings, geographical and otherwise, should be imparted to the students. It is a paradox that on the one hand we speak of expanding education and, on the other, the educated go about in search of jobs. This is due to the system of education which previals here. When land reform law was evolved in Japan, ninety per cent of the farmers were able to understand what it meant to them. But hardly one out of ten farmers in India can understand the benefit of such law. The number of students admitted in primary classes goes on decreasing progressively as they reach higher classes. We shall have to create attraction among the children for schools, provide proper locations for schools and give them sympathetic teachers.

The character of students is built in the Universities. Nalanda and Tukshashila universities contributed a great deal to building up of character. Then educationists of that time established a beautiful image of India. But what is the plight of universities today ? Our syllabii and courses of study should be so prepared which not only enhance thinking among students but instil an instinct to strengthen the society.

श्री भालजीभाई परमार (दोहद) : संविधान में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की शोषण से रक्षा की जायेगी तथा उनके शैक्षणिक और आर्थिक

हितों का ध्यान रखा जायेगा। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इन जातियों के कल्याण के लिए जो राशि रखी गई थी वह 375 करोड़ रुपये थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये योजना व्यय में 142 करोड़ रुपये तथा गैर-योजना व्यय में 35 करोड़ रुपये रखे गये हैं। क्या सरकार यह बतायेगी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के लिये वह प्रति व्यक्ति कितना रुपया खर्च कर रही है जिससे यह पता चले कि वह कितनी गंभीरता से इस कार्य को कर रही है ?

गुजरात में आदिवासियों तथा हरिजनों को गृह निर्माण के लिए सहकारी समिति बनाने की अनुमति दी गई थी परन्तु उसे बीच में ही समाप्त कर दिया गया। इस कार्य को केन्द्रीय सरकार को आरंभ करना चाहिए जिसमें 50 प्रतिशत योगदान स्वयं उसका हो तथा शेष 50% राज्यों का। इन समितियों को 25 वर्ष की अवधि के लिये ब्याज-रहित ऋण दिया जाना चाहिये ताकि अनुसूचित जातियाँ एवं जन-जातियाँ इसका भुगतान आसान किश्तों में कर सकें।

भारत के आदिवासियों में काम कर रहे कार्यकर्त्ताओं के लिये आजीवन सदस्य योजना को पुनः लागू किया जाना चाहिए जिससे कि वे और अधिक उत्साह से कार्य करें। इस योजना को भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिये आश्रम स्कूल खोले जायें तथा रोजगार-प्रधान शिक्षा प्रदान की जाये ताकि उन्हें अपने अध्ययन के पश्चात् रोजगार ढूँढ़ने के लिये मारा-मारा न फिरना पड़े।

बड़े नगरों से गंदी बस्तियों को हटाया नहीं गया है। ये मकान सामान्यतया गाँवों में बाहर बने हुये होते हैं जो बड़े कंलक की बात है।

यह दुःख की बात है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आदिवासियों एवं हरिजनों को रोजगार नहीं के बराबर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बारे में समिति ने जो सिफारिशें की हैं उन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हजारों वर्षों के बाद भी अस्पृश्यता की भावना जारी है, इसका निवारण किया जाना चाहिये तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे अस्पृश्यता का निवारण प्रभावी ढंग से किया जा सके।

***श्री शक्ति कुमार सरकार** (जयनगर) : हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली दोषयुक्त है। यदि इसी अवस्था में शिक्षा प्रणाली को ठीक ढंग से नहीं संभाला गया तो भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। उपकुलपतियों को 'घेराव' करने जैसी बहुत सी अशोभनीय घटनाएँ समाचार-पत्रों में प्रकाशित होती हैं। हम शिक्षा में सुधार करने के लिये बजट में अधिक राशि नियत कर देते हैं

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Bengali.

परन्तु ऐसा करके भी हम वास्तविक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज शिक्षित युवकों में भयावह अशांति है। शिक्षा प्रणाली में किस जगह कौनसा दोष है, इसका पता लगाने के लिये हमने आयोग एवं समितियाँ गठित कीं, परन्तु उनकी सिफारिशों को लागू कहाँ किया जाता है। हमने दोष के मूल में जाने का प्रयास नहीं किया है। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में क्या मूल अंतर है ? यदि पाश्चात्य प्रणाली लाभदायक है तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र 'नक्सलवादी' कैसे बन गए ? हमें यह पता लगाना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में किस स्थान पर दोष है। हमारी शिक्षा प्रणाली की तुलना अमरीका अथवा यूरोप की शिक्षा प्रणाली से करने में कोई लाभ नहीं है ? योजना आयोग ने लम्बा-चौड़ा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसने शिक्षा को मानव शक्ति में बदलने का प्रयास किया है। मानव शक्ति क्या है ? केवल विशेषज्ञ बनाना ही देश के लिये लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। पाश्चात्य देशों में भी असंतोष की भावना व्याप्त है। यदि समृद्धि ही समूची आकांक्षा हो तो वे लोग 'हिप्पी' क्यों बन रहे हैं ? अब समय आ गया है जब हमें शिक्षा-प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना है। आज छात्र तथा जनता सभी समस्याओं का आर्थिक समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।

आज हमारे अर्थशास्त्री प्रत्येक क्षेत्र में हावी हैं। शिक्षा का क्या मापदंड हो, इसमें कितनी प्रगति होगी आदि सभी बातें अर्थशास्त्री तैयार करते हैं। हमें इस स्थिति से सतर्क रहना है। हम ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो छात्रों में चरित्र का निर्माण कर सके तथा एक दूसरे का सम्मान करना सिखा सके। प्रतिवेदन में चरित्र निर्माण के पहलू का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। स्नातकोत्तर छात्रों को जो 'स्टाइपेंड' दिया जाता है वह आज के रहन-सहन स्तर की तुलना में बहुत कम है। इसमें वृद्धि करने की काफी आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों के छात्रों को भारतीय प्रशासन सेवा का प्रशिक्षण देने के लिये इलाहाबाद में एक संस्थान है। पूर्वी क्षेत्र में कहीं भी ऐसा संस्थान नहीं है अतः वहाँ भी ऐसा एक संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति (आदेश) विधेयक को जो चौथी लोक-सभा में प्रस्तुत किया गया था, वह पास नहीं हो सका था। इस लोक-सभा में वह विधेयक फिर लाया जाना चाहिए।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : Lord Macauley founded the present system of eduction in India. He did not aim at imparting real education to the Indians; his aim was to prepare a class of persons that was Indian in blood and colour but English in taste. Although certain changes have been made in that system, it is still continuing. After independence all the top thinkers stressed a change in that system.

The real aim of education is to develop mind in body of man and if that type of education is imparted to a person in a particular society, naturally that society would prosper. Literacy is one thing and humanity is another. An education which teaches humanity is the real eduction. That kind of education is not imparted in our schools at present. In olden times the Gurus judged the able students for higher eduction. In Shastras, three modes of learning have been mentioned. These are : first, set the learning by serving the Guru; second, by giving money to a wise man and third by exchange of ideas between the learned persons. But now-a-days a fourth way has emerged and that is violence. Students resort to violence through which they seek admission to classes and force the Principals to pass them in the examination. Therefore, education system should be changed so that respect to the teacher forms a part of the education.

Our students should develop a sense of restraint and austerity. They should learn

to lead simple life and have control over themselves. The real education should teach these things to students. It should teach selflessness and import humanism.

In the three language formula, Sanskrit is suffering badly. Unfortunately, no bulletin is being broadcast on A. I. R. in Sanskrit and I would request the hon. Minister to provide due protection to Sanskrit.

श्री राजा राम शास्त्री (वाराणसी) : भारत सरकार द्वारा शिक्षा के बारे में बनाई गयी राष्ट्रीय नीति के अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिससे सच्चरित्र एवं योग्य नवयुवक तथा नवयुवतियाँ तैयार की जा सकें जो राष्ट्र की सेवा तथा विकास में योगदान दे सकें। तभी राष्ट्र संघ में देश को सही स्थान मिलेगा।

हमने अपने काँग्रेस दल के घोषणा पत्र में भी हम ऐसे ही भावों को व्यक्त किया है। इन नीतियों को लागू करने में कुछ कमियाँ हैं।

संस्कृत, प्राकृत तथा पाली जैसी हमारी प्राचीन भाषाओं के बारे में हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व में विभाजन हो गया है क्योंकि प्रायः यह समझा जाता है कि संस्कृत का अध्ययन हिन्दू विशेषतः ब्राह्मण, प्राकृत का अध्ययन अधिकांशतः जैन तथा पाली का अध्ययन बौद्ध करते हैं। इसके परिणामस्वरूप हमने बुद्ध और जैन दर्शन के कई अद्भुत और क्रांतिकारी पहलुओं की उपेक्षा कर दी है और उनकी प्रवृत्तियों से हमने अपने को हमेशा पृथक समझा है।

मेरा सुझाव है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिल्ली में कम से कम ऐसा संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें इन तीनों प्राचीन भाषाओं के एक साथ अध्ययन की व्यवस्था हो। भारत में इस तरह का संस्थान कहीं पर भी विद्यमान नहीं है। बनारस में संस्कृत के अध्ययन के लिये एक विश्वविद्यालय है। जैन और बौद्ध अपने धर्म और संस्कृति का अध्ययन कराते हैं। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। अतः मैं इन प्राचीन भाषाओं के समेकित पाठ्यक्रम का सुझाव देता हूँ। यूरोपीय भाषाओं से भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं से यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद कार्य करने के लिये कहा जाता है लेकिन हमारी अपनी प्राचीन भाषाओं के अनुवाद कार्य पर कोई विचार नहीं किया जाता है।

हमारी राष्ट्रीय नीति और काँग्रेस घोषणा-पत्र में भी एकता और धर्म-निरपेक्षता की बात कही गयी है तथा साम्प्रदायिक दल के बारे में भी काफी चर्चा चल रही है। साम्प्रदायिक व्यक्ति कौन है और राष्ट्र का हितैषी कौन है, इस संबंध में काफी भ्रान्ति है। मेरा सुझाव है कि जो दल अपने घोषणा-पत्रों में, वर्ग व्यवस्था तथा उनके सिद्धान्तों के विरुद्ध कुछ नहीं कहते हैं, उन्हें स्पष्टतया साम्प्रदायिक दल माना जाना चाहिये। इसी तरह जो दल भारतीय संस्कृति तथा भारतीय धर्मों में कोई अन्तर नहीं मानते हैं, वे गैर-साम्प्रदायिक दल माने जाने चाहिये। अब उचित समय आ गया है जबकि शिक्षा मंत्रालय को इन मामलों की जाँच करने के लिये कोई निकाय अथवा समिति गठित करनी चाहिये। हमारी पाठ्यपुस्तकों को ठीक लिखा जाना चाहियें जिससे साम्प्रदायिक मामले के ऊपर उन पुस्तकों में कोई भ्रान्ति न रहे।

हमारे बच्चों के व्यक्तित्व का विकास तब तक पूरी तरह से नहीं हो सकता है जब तक कि हम उन्हें उस त्याग और संघर्ष की भावना से अवगत नहीं कराते हैं जो त्याग हमने अपनी स्व-

तंत्रता को प्राप्त करने के लिए किया है और जो अब भी हम समाज के निर्माण के लिए कर रहे हैं। पुस्तकों का संकलन और लेखन इस तरह से होना चाहिए कि वह हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के बारे में सुधारकों और विचारकों के आन्दोलनों को चित्रित कर सकें। यह पाठ्य-पुस्तक प्रत्येक विद्यार्थी को अवश्य ही पढ़नी चाहिये।

रोजगार-प्रधान शिक्षा के बारे में काफी चर्चा है। हमें शिक्षा नीति के प्रेरणा स्रोतों और उद्देश्यों के बारे में अधिक सतर्क रहना चाहिए। प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों में कोई छटनी अथवा कमी नहीं की जानी चाहिये। सामाजिक सेवाओं के अन्तर को अवश्य पूरा करना चाहिए और उन परम्परागत सेवाओं के स्थान पर आधुनिक सेवाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। यदि समाज कल्याण कार्य को क्रांतिकारी भावना से किया जाए तो निश्चित रूप से अनेक मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।
SHRI K. N. TIWARY *in the chair.*]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : उपाध्याय महोदय, आर्थिक विकास, औद्योगिक दक्षता और धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के विकास के लिए सभी स्तरों पर युवा पीढ़ी के लिये शिक्षा की समुचित राष्ट्रीय नीति की महत्ता से आज कोई इन्कार नहीं कर सकता है लेकिन इसके लिए हमें समुचित शिक्षा प्रणाली की जरूरत है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस विशाल कार्य के लिए न तो स्वस्थ और समुचित शिक्षा नीति बनाई गई है और न ही पर्याप्त धनराशि का आबंटन किया गया है। स्वतंत्रता के 25 वर्षों के बाद केवल 30 प्रतिशत लोग ही पढ़ और लिख सकते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है और इसमें सुधार लाने के लिए कोई ठोस कार्यवाही शीघ्रता से नहीं की गई है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के बारे में अनेक आयोग नियुक्त किए गए हैं लेकिन उनकी रिपोर्टों को कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। क्रियान्वित न करने का कारण धन का अभाव बताया जाता है अथवा शिक्षा को राज्य का विषय कह कर बात को खत्म कर दिया जाता है।

साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के उत्थान के उद्देश्य से सैदीन समिति को स्कूलों और कालिजों की पाठ्य-पुस्तकों का पुनरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था लेकिन रिपोर्ट की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा के स्तर को अवश्य ही बढ़ाया जाना चाहिए और इसे रोजगार-प्रधान बताया जाना चाहिए। उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा दी जानी चाहिये। शिक्षा की त्रुटिपूर्ण प्रणाली से हमारी युवा पीढ़ी में असंतोष एवं निराशा व्याप्त होती है जो देश की उन्नति के लिए बाधक सिद्ध होती है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की समस्या के बारे में प्रधान मंत्री सहित कई मंत्रियों ने आश्वासन दिये हैं कि इस विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाए रखा जाएगा और इस संबंध में यथाशीघ्र एक विधेयक लाया जायेगा। लेकिन अब तक यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया

गया है । हम माँग करते हैं कि इस विधेयक को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए तभी मुस्लिम अल्प-संख्यकों की महत्वाकांक्षाओं को सन्तोषजनक रूप से पूरा किया जा सकता है ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देश में मुस्लिम संस्कृति का एक जीता जागता स्मारक है । हमारी मांग यह है कि इसके वर्तमान अल्पसंख्यक एवं रिहायशी स्वरूप को ज्यों का त्यों रखा जाये । विश्वविद्यालय कोर्ट तथा परिषद के सदस्यों को अब मनोनीत किया जाता है, उन्हें चुना नहीं जाता है । मेरा सुझाव है कि उनका चुनाव होना चाहिए । विश्वविद्यालय को तानाशाही ढंग से चलाया जा रहा है । हम माँग करते हैं कि विश्वविद्यालय को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, विश्वविद्यालय के प्रशासन को चलाने के लिए एक निर्वाचित परिषद तथा कोर्ट बनाई जानी चाहिए ।

पिछले महीने की 23 तारीख को प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर प्रदर्शन कर रहे इस विश्वविद्यालय के छात्रों से प्रधान मंत्री ने मिलने से इन्कार कर दिया था । कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया था । यद्यपि उनका प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया था और उन्होंने कोई आपत्तिजनक नारे नहीं लगाए थे । छात्रों के प्रति यह रवैया अविवेकहीन तथा अलोक-तांत्रिक ही नहीं, अपितु खेदजनक और शर्मनाक भी है । मुझे आशा है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री सरकार द्वारा तथा प्रधान मंत्री और पिछले शिक्षा मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को अवश्य पूरा करेगें ।

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : हमारे देश की कुल जनसंख्या के लगभग 23 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के हैं । मेरे अपने राज्य उड़ीसा में 24 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की है । बोन्डा प्रजा, कोया, यादव और सौर नाम से ज्ञात आदिवासी बहुत ही पिछड़े हुए हैं । पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा उनकी स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुए हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकार ने इन अधिकांश पिछड़ी जन जातियों के साथ विशिष्ट व्यवहार और सुविधाओं को देने का निर्णय किया है । क्योंकि अधिकांश अनुसूचित जातियों के लोगों के पास भूमि नहीं है, इसलिए बैंकों तथा सहकारी समितियों द्वारा दी जाने वाली किसे भी सहायता से ये लोग वंचित रह जाते हैं । केवल दस प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा जन-अनसूचित जातियों के लोगों को ही बैंकों और सहकारी समितियों से सहायता मिलती है और वह सहायता भी खेती के मौसम में नहीं, अपितु खेती का मौसम समाप्त हो जाने के पश्चात दी जाती है । यही कारण है कि अनेक आदिवासी कृषकों को साहूकारों के पास जाना पड़ता है और ब्याज की ऊँची दरों पर ऋण लेना पड़ता है । ऋण की अदायगी के समय कृषक को या तो अपनी कृषि वाली भूमि अथवा कोई अन्य सम्पत्ति बेचनी पड़ती है । इस प्रकार सहकारी समितियों के दोषपूर्ण कार्य संचालन से विशेष कर उड़ीसा के मुख्य अदिवासी क्षेत्र कोरापुर जिले में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को सहायता की बजाए इससे हानि होती है । मेरे राज्य उड़ीसा में साहूकार और शराब विक्रेता आदिवासी लोगों का मुख्य रूप से शोषण करते हैं । सरकार को साहूकारों द्वारा आदिवासी लोगों का शोषण समाप्त करने के लिए आदिवासी निगम की तुरन्त स्थापना करनी चाहिए । सामाजिक प्रथा के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में मद्यपान की आदत

पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है । शराब की बिक्री बढ़ने से वे शराब पीने के आदि हो जाते हैं । ऋण चुकाने अथवा शराब पीने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों द्वारा भू-सम्पति बेचने के अनेक उदाहरण मिलते हैं । अतः देश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों वाले समूचे क्षेत्रों में मध्यपान का निषेध अनिवार्य होना चाहिए ।

अधिकांश अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के पास भूमि नहीं है जिसके कारण सहकारी समितियों आदि द्वारा वित्तीय सहायता पाने से वे लोग वंचित हो जाते हैं । जंगलों में कृषि योग्य भूमि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । इन सभी लोगों को इकट्ठा करके बस्तियों में बसाया जा सकता है । इस तरह हम आदिवासियों द्वारा उनके जीवन निर्वाह के लिए वनों के विनाश को रोक सकते हैं और इन भूमिहीन लोगों को बसा सकते हैं ।

सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में किसी भी आदिवासी विकास खंड को न खोलने का निर्णय किया है । देश में अनेक खंड ऐसे हैं जो आदिवासी विकास खंड की कसौटी पर खरे उतरते हैं लेकिन उनकी घोषणा नहीं की गयी है । अतः मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इन विकास खंडों के लिए धन देने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए ।

हमारे समाज के पिछड़े लोगों के बच्चों की सुविधा के लिए पर्याप्त रिहायशी स्कूलों को खोला जाना चाहिए ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए क्रमशः लगभग 16 प्रतिशत तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत रिक्त स्थान आरक्षित किए गए हैं और इन जातियों के उम्मीदवारों के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण के लिए प्रतिवर्ष लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है । वस्तुतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों से कुछ ही रिक्त स्थान भरे जाते हैं । यदि पर्याप्त शैक्षिक योग्यता रखने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों को पर्याप्त सुविधायें दी जायें तो प्रति वर्ष ये सभी रिक्त स्थान भरे जा सकते हैं ।

Shri Anant Prasad Dhusia (Basti) : Mr. Chairman, Sir, when I think about the present Education System, I feel too much disappointment. To improve our education system, valuable suggestions are made every year but no proper action is taken by the Government on those suggestions. Committee and sub-committees are constituted but no action has been taken to improve syllabii for various examinations as suggested by these committees. Nothing has been done for making our educational system dynamic.

There is no dearth of scholars in the education department but they have not been able to contribute much for the welfare of the society except to earn their livlihood.

To improve our education system, we have to learn from foreign countries like Germany, Japan and Switzerland. Intellectuals in those countries have reoriented their educational systems according to their social needs. In India, it is also necessary to follow the same method to reorient our education.

We are talking of socialism in the country, but for achieving our goal, we have to change our educational system in toto. In this way, we can reconstruct our country. Before 1946, bribery and immorality were not found in our educational institutions and Education Department. But now bribery, dishonesty, casteism and groupism are supreme in our

educational institutions. Council of Social Sciences and Research is functioning in Delhi. Rs. 60 lakhs are being spent annually on this institution and this money is being wasted. The Government should look into the working of this institution and stop irregularities in its working. Evils of casteism, groupism and corrupt practices are responsible for mal-functioning of Banares, Lucknow, Allahabad, Calcutta and Patna Universities. These evils should be removed immediately to improve the working of our universities.

Some achievements are made in the field of education. Percentage of literacy has gone up and scientific research has also made a headway.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are badly treated in the villages. Those people are harassed and subjected to many cruelties as is evident from the reports appearing in the newspapers off and on. The Government has not been able to make any tangible improvement in the lot of scheduled castes people. This condition is due to the fact that our administration is dominated by people who hate the backward people of the country.

Scheduled Caste persons are not able to get employment. It is due to the fact that from top to bottom our administration is dominated by people who hate the backward people.

The Government had decided in the previous years that the persons belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes will be appointed as Commissioners. But the post has not been filled up with a scheduled caste person although there is no dearth of competent scheduled castes persons to hold that post. Also the number of scheduled caste employees in the department of social welfare is negligible.

So long as a separate Ministry of social education is not established and persons of scheduled castes and scheduled tribes are not appointed at important points, we cannot achieve the welfare of these people. The untouchability in America and Mauritius has come to an end whereas it is still continuing in India.

श्री कार्तिक उरांव (लोहरदगा) : सभापति महोदय, जब भी समाज कल्याण विभाग पर चर्चा की जाती है ऐसा समझा जाता है कि इसका संबंध केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से ही है। उन लोगों के प्रति किये जाने वाले विविध अत्याचारों की इस सदन में कई बार चर्चा हुई है।

आदिम जातियों के पास जो भूमि देश के सभी भागों में थी उसे अवैद्य रूप से हथिया लिया गया है।

अनुसूचित जातियों के लोगों की लूट-मार और शोषण अब बन्द होना चाहिए।

हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में हमारे देश ने 14 दिन के युद्ध में एक देश को स्वतंत्र कराकर एक इतिहास कायम कर दिया है।

आपको इन अनुसूचित जातियों के लोगों की सहायता के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। जैसी निष्ठा हमने बंगला देश के बारे में दिखाई है वैसी ही इस कार्य के लिए भी हमें दिखानी चाहिए। कारगर उपाय किए जाने चाहिएं और इस संबंध में पृथक नाम भी समाप्त किए जाने चाहिएं।

कई तरह के शोषण कार्य हो रहे हैं जोकि सर्व विदित नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों की परिभाषा भी की गई है। अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति ने अनुसूचित जन-जातियों की उदघोषणा भी की हुई है। इस संबंध में किसी न्यायालय को निर्णय देने का अधिकार नहीं है परन्तु ऐसा कई बार किया गया है। केवल संसद ही इस मामले में सक्षम है और आदेश में स्वमेव परिवर्तन कर सकती है।

एक गैर जन-जातीय महिला जातीय पुरुष से विवाह करके जन-जातीय बन सकती है। एक गैर जन-जातीय पुरुष जन-जातीय महिला से विवाह करने पर जन-जातीय बन जाता है। हर किसी को अनुसूचित जन-जातियों में अपना लिया जाता है, जब तक इसे अन्यथा सिद्ध न कर दिया जाये। इस बारे में सतर्कता रखना जरूरी है। सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए विधि का निर्माण करना चाहिए।

इस समस्या का सामना हमें युद्ध स्तर पर करना चाहिए और इसे अनिश्चित काल के लिए लटकाए नहीं रहने देना चाहिए। प्रधान मंत्री ने बेरोज़गारी और गरीबी मिटाने के लिए तीन वर्ष का समय रखा है। हमें इस अवधि में इस समस्या को हल कर लेना चाहिए।

अनुसूचित जातियों को इस रूप में स्वीकार न कर समाज के एक निर्बल तत्व के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए और बंगला देश के समान ही उन्हें भी मुक्ति मिलनी चाहिए।

शिक्षा के द्वारा ही देश में क्रांति लाई जा सकती है। शिक्षा में उपेक्षा का अर्थ है हर बात की उपेक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें आत्म-निर्भरता प्राप्त करनी चाहिए और हमारे पास तकनीकी जानकारी होनी चाहिए और प्रतिभावान व्यक्ति होने चाहिएं, जिनको कार्य करने के अवसर दिये जाने चाहिएं।

कुछ छात्र 5 रुपये मासिक भी व्यय नहीं कर सकते हैं और कुछ व्यक्ति 200-300 रुपये व्यय कर सकते हैं। बाद के छात्रों ने एक स्तर प्राप्त कर लिया है। यह कैसा समाजवाद है? शिक्षा का स्तर समान होना चाहिए। देश में क्रान्तिकारी समाज की आवश्यकता है। शिक्षा की पद्धति ऐसी हो जो हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को शिक्षित होने के बाद भारतीय बना सके।

हर गाँव में प्राथमिक विद्यालय खोला जाना चाहिए। हर ग्राम पंचायत में माध्यमिक विद्यालय तथा हर ब्लाक में उच्च विद्यालय तथा जिला स्तर पर कालिजों को रखना चाहिए। मैं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में लिए जाने के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि इस दशा में एक बंगाली के पेपर बंगाली के पास भेजने पड़ेंगे और पंजाबी के पंजाबी के पास। इससे प्रान्तीयता को बढ़ावा मिलेगा। इससे राष्ट्रीय एकता के छिन्न-भिन्न होने का भय है। सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करना चाहिए।

***श्री एम० एम० जोजफ** (पीरमाडे) : स्वतन्त्रता के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में महान

मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Malayalam.

प्रगति की है । शिक्षा संस्थाओं और छात्रों की संख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में तीसरा है ।

देश के नगरों और गाँव में 6 करोड़ प्राथमिक कक्षाओं के छात्र हैं । देश में 94 विश्वविद्यालय तथा 3,200 कालिज हैं जिनमें 30 लाख छात्र अध्ययन करते हैं । दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है । इसका गठन ब्रिटिश आयोग के ढंग पर किया गया है परन्तु वहाँ तो केवल 10 विश्वविद्यालय और 300 कालेज हैं जबकि हमारे देश में उनकी संख्या दस गुनी है । इसके ढाँचे में भी परिवर्तन करना आवश्यक है । आयोग की राज्यों में शाखाएँ होनी चाहिएँ । डा० कोठारी जैसे विद्वान व्यक्तियों ने भी आयोग का नेतृत्व किया परन्तु फिर भी संतोषजनक परिणाम नहीं निकल सके हैं ।

आयोग की वर्ष 1969-70 की रिपोर्ट के पृष्ठ 47 के अनुसार दिल्ली के 47 कालेजों को 3 करोड़ रुपये अनुदान में दिए गए जबकि शेष 3200 कालेजों को $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये दिये गए । समाजवादी देश के लिए यह विचित्र नीति है । इसकी जाँच की जानी चाहिए ।

शिक्षा संस्थाओं को भवनों, उपकरणों और प्रयोगशालाओं के लिए अनुदान देना अच्छी बात है । शिक्षकों को अपना योग्यता का स्तर सुधारने के लिए सुविधाएँ दी जानी चाहिएं । उन्हें वर्ष में 500 रुपये पुस्तकें खरीदने के लिए दिए जाने चाहिएं । आयोग ने चौथी योजना का लक्ष्य शिक्षा का मानवीकरण रखा है । हर राज्य में क्षेत्रीय भाषा को माध्यम के रूप में रखना उचित नहीं है । सभी कालेजों में अंग्रेजी अथवा राष्ट्र भाषा हिन्दी को ही शिक्षा का माध्यम रखा जाना चाहिए ।

कला और संस्कृति को उचित सम्मान मिलना चाहिए । नेशनल बुक ट्रस्ट को मलयालम में सभी पुस्तकों का अनुवाद करना चाहिए ।

मैं आशा करता हूँ कि शिक्षा और संस्कृति के मामले में मंत्रालय देश को एक स्थान पर लोन का प्रयत्न करेगा ।

श्री धर्मराव अफजलपुरकार (गुलबर्गा) : सभापति महोदय, हमें गर्व है कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है । हमें सोचना है कि क्या प्रजातंत्र और अशिक्षा और अशिक्षा तथा प्रगति साथ साथ चल सकते हैं । शिक्षा के बिना हम अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।

हमारी जनसंख्या बढ़ रही है । योजना आयोग को शिक्षा की योजनाएँ बनाते हुए बढ़ती हुई जनसंख्या का ध्यान रखना चाहिए । 1951 में 29·80 करोड़ व्यक्ति अशिक्षित थे और 1972 में अशिक्षितों की संख्या 38·6 करोड़ हो गई । अंतरिम रिपोर्ट में 60 रु० मासिक के अंशकालिक शिक्षकों की व्यवस्था भी की गई है जो 6 मास में 35 अशिक्षितों को शिक्षा देंगे । इस प्रकार तो समस्त देश में शिक्षा के प्रसार पर 193 वर्ष लग जायेंगे ।

हमने अपने मतदाताओं को समाजवाद का वचन दिया है । 1500 की जनसंख्या वाले गाँव अथवा गाँवों के समूह में एक पंचायत होनी चाहिए । वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय पंचायत के

अधीन चलना चाहिए। 'योजना' पत्र में एक समाचार छपा था कि एक पंचायत के 13 सदस्यों में से 12 अनपढ़ थे और इस प्रकार सचिव ने अपनी इच्छानुसार धन का उपयोग किया था।

वर्तमान शिक्षा पद्धति मैकाले द्वारा शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य क्लर्क बनाना ही था। हमारे देश में 65,000 बेरोजगार इंजीनियर हैं और इस पद्धति को जारी रखने पर समस्या और भी गंभीर होती जाएगी।

वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार हम समाजवाद और धर्मनिर्पेक्षता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमने योजना पर 37·7 प्रतिशत व्यय किया है। 147 करोड़ शेष 2 वर्षों के लिए छोड़ दिया गया है। सभी विभागों में ऐसी ही स्थिति है। इसका कारण स्पष्ट है कि अधिकारीगण इसमें रुचि नहीं लेते हैं। इस मामले पर सभी स्तरों पर विचार किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य तथा तकनीकी शिक्षा कार्य गैर-सरकारी एजेंसियों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। जो लोग इन कालेजों को चलाते है उन्होंने अपने कमीशन एजेंट रखे हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।

सप्रू हाउस लाइब्रेरी के बारे में डा० वी० के० आर० वी० राव ने आश्वासन दिया था कि इसका बँटवारा नहीं किया जायेगा।

Shri Onker Lal Berwa : Sir there ought to be quorum in the house.

सभापति महोदय : घंटी बज रही है······अब गण पूर्ति हो गई है।

श्री धर्मराव अफजलपुरकार : छात्रों के आन्दोलन को देखते हुए उक्त लाइब्रेरी का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए।

Shri Arvind Netam (Kanpur) : Sir, ninety percent of the population of Bastar is Adivasi. There are some prospects of industrial development in that region due to the forest wealth. Due to that the Central Government has estabilshed there Iron Ore project which has about 30 thousand employees. The employees of this unit had immoral connections with 500 Adivasi girls. About 200 girls are still missing. There are 10 such girls who are less than ten years old and who have given birth to children. The former collector of Bastar Shri Brahm Dev Sharma did his best to help these Adivasis but he was transferred from there.

The inhabitants from outside exploits the local population, in many ways. A project worth 300 crores of rupees have been sanctioned for Adivasis. This amount should be spent during the year. But that project is not getting any coopertion either from State Government or from Central Government.

There is Tribal Cooperative Development Corporation established at a cost of Rs. $2\frac{1}{2}$ crores. During the year 1969-70 that corporation incurred a loss of Rs. $1\frac{1}{2}$ crore. The money is being misused. Who is responsible for that ? May I know ?

The Corporation at Bhopal is also running in loss. The residence for a officer was

hired at Rs. 700 p. m. afterwards which was raised to Rs. 900/- p. m. A bunglow at a rent of Rs. 1500/- p. m. has also been hired. The money intended for tribal welfare is being wasted like this.

Shri Ramavtar Shastri : Sir, in Patna University, there is no cooperation between the students and teachers and the Vice-Chancellor and indecent scenes are being taking place there. There is an all round decline of standards. The science colleges there are without apparatus. Sufficent books are not available in the library and the hostelf acilities are also lacking. The condition of the university is alarmming. The Central Government should take it under its own control and save it.

If, however, it is not possible to take it over, efforts be made to remove all the evils existing there at present.

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : Mr. Chairman, Sir, I am thankful that you have given me time.

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा 13 अप्रैल, 1972/24 चैत्र, 1894 (शाक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, April 13, 1972/*Chaitra* 24, 1894 (*Saka*)

New India Printing Press, Khurja